सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घकालीन योजना

(S. S. A.)

कार्ययोजना व बजट

वर्ष 2002-03

जनपद – रुद्रप्रयाग

उत्तरांचल

NIEPA DC
D11810

FOR REFERENCE ONLY

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11910
DOC, No.....
Date 27-06-2003

अध्याय — 1

जनपद - एक सामान्य परिचय

ऐतिहासिक परिदृश्य :-

पर्वतराज हिमालय की तलहटी में दो पवित्र नदियां अलकनन्दा एवं मदाकिनी के संगम पर अवस्थित रूद्र प्रयाग शहर का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक लम्बे समय तक ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा रहा । रूद्रप्रयाग पूर्व में जनपद चमोली का एक अंग था। जिले के रूप में यह 16 सितम्बर 1997 को अस्तित्व में आया जिसमें टिहरी जनपद एवं पौड़ी जनपद के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है।

प्राचीन काल में यह क्षेत्र केदारखण्ड के नाम से जाना जाता था। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में इस क्षेत्र की महत्ता वर्णित है। भगवान शिव शंकर का पवित्र धाम केदारनाथ तथा प्रसिद्ध चौखम्बा पर्वत इसी जनपद में अवस्थित हैं अलकनन्दा एंव मंदाकिनी के संगम (प्रयाग) पर अवस्थित भगवान रूद्रनाथ का पवित्र मंदिर पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान् रूद्रनाथ के नाम पर ही इस स्थान को रूद्रप्रयाग के नाम से जाना गया।

भौगोलिक परिदृश्य :-

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित रूद्र प्रयाग जनपद का विस्तार 29° 55' 37' से 31° 27' 01' उत्तरी अक्षांश एंव 78° 54' 04' से 79° 2' 00' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। यह जनपद पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में जनपद पौड़ी से घिरा है। घाटी एवं पर्वतों से निर्मित यह जनपद अपने प्राकृतिक सुन्दरता के लिये विख्यात है। हरी गद्दीनुमा घासों (चूना बुग्गी घास) से आच्छादित क्षेत्र जो स्थानीय भाषा में 'बुग्याल' के नाम से जाने जाते हैं, अपना प्राकृतिक छटा के लिये पूरे देश में विख्यात है। यहां की सुरम्य घाटियाँ यथा–त्रियुगी नारायण घाटी, केदारनाथ घाटी, मदमहेश्वर घाटी, तुंगेश्वर घाटी, राकेश्वरी घाटी आदि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुन्दरता की तरफ आकर्षित करती हैं।

जलवायु :-

जनपद रूद्रप्रयाग ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं एंव ढलवा पहाड़ियों से निर्मित है जिसकी सबसे ऊंची चोटियाँ केदारनाथ एंव चौखम्बा सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। जपनद के दिभिन्न क्षेत्रों की समुद्र तल से ऊंचाई भिन्न–भिन्न (यथा 600 मीटर से 7800 मीटर तक) होने के कारण यहां की जलवायु में विभिन्नता पायी जाती है। जलवायु की दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत है :–

क्र0स0	जलवायु क्षेत्र	ऊचांई (मीटर में)
1.	गर्म घाटी क्षेत्र	600 से 1000
2.	शीतोष्ण क्षेत्र	1000 से 1500
3.	शीत क्षेत्र	1500 से 1800
4.	अति शीत क्षेत्र	1800 से 2400
5.	हिमाच्छादित क्षेत्र	2400 से ऊपर

मौसम/ऋतु :-

यहां की ऋतुओं का विवरण निम्नवत् है –

क्र0स0	ऋतु	माह से–तक
1.	शीत	दिसम्बर से फरवरी
2.	बसन्त	मार्च से अप्रैल
3.	ग्रीष्म	मई से जून
4.	वर्षा	जुलाई से सितम्बर
5.	शिशिर	अक्टूबर से नवम्बर

जमीन एंव मिट्टी :-

पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते जनपद रूद्रप्रयाग की मृदा की कोई एकरूपता नही है। कहीं कंकरीली जमीन तो कहीं निरीह नग्न चट्टानें हैं। कंही पहाड़ों पर

सघन वन एवं बुग्याल तथा कहीं आबादी वाले क्षेत्रों में पर्वत मालाओं के बीच ऊखड़ जमीन पायी जाती है। घाटी क्षेत्रों में सुन्दर समतल मैदान एवं तलाऊ जमीन भी पायी जाती है जो ऊपज की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। स्थानीय कृषकों के अनुसार यहां तीन प्रकार की जमीन पायी जाती है :-

1 कंकरीली 2. उखड़ (असिंचित) 3. तलाऊ (सिंचित)

वनस्पति :-

जलवायु एंव ऊचाई के अनुसार जनपद में भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं जिनका उपयोग स्थानीय उद्योग, इमारत निर्माण एंव मवेशियों के चारे आदि के लिये किया जाता है। यहां निम्नलिखित वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।

1. 1200 मीटर से नीचे के – चीड़, तुन, अखरोट आदि जिनका उपयोग स्थानीय कृषकों द्वारा कृषि यंत्र एंव ईमारत निर्माण तथा पशुओं के चारे लिये करते हैं।
2. 1200 से 1800 मीटर तक के बीच – बांज, मोरू, खैर, देवदार, केमू, अखरोट खर्सू आदि जिनका उपयोग ईमारती लकड़ी तथा फर्नीचर उधोग आदि में जाता है।
3. 1800 से 3000 मीटर तक – कैल, सुराई, रिंगाल, बांस आदि जिनका उपयोग झोपड़ी, टोकरी, कंडिया, चटाई आदि बनाने में किया जाता है।
4. 3000 से 4000 मीटर तक – इसमें गद्दीनुमा बारीक घास उगती है। इस क्षेत्र को बुग्याल कहा जाता है जो अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित रहता है। केवल ग्रीष्म ऋतु में मात्र तीन चार माह के लिये बर्फ पिघलने पर यहां भेड़ बकरियां चुगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वन औषधियों का अपूर्व भण्डार है। यहां नाना प्रकार के पुष्प तथा भोज पत्र आदि भी पाये जाते हैं।

कृषि :-

कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है।यह के कुल क्षेत्रफल का केवल 19 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य है। इसलिए यह लोगों की आवश्कताओं के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाता। आलू, सोयाबीन, राम दाना एंव जड़ी बूटीयाँ आदि यहाँ की मुख्य व्यापारिक फसलें हैं।

नाल्टा, सन्तरा, सेव, नारंगी, अखरोट आदि फल भी यहां प्रचुर मात्रा में उत्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं, धान, तिलहन आदि की खेती भी यहाँ की जाती है।

पशुपालन :-

जनपद की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि के साथ पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। गाय एंव भैंसों से केवल दुग्ध का उत्पादन नही होता बल्कि इनके गोबर का प्रयोग भी खेतों में खाद के रूप किया जाता है। भेड़ बकरी का उपयोग सामान ढुलान एंव भेड़ के ऊन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। जनपद का कुल पशुधन निम्नवत् है।

जनपद का पशुधन

क्र0स0	पशु का नाम	नर	मादा	बछड़े	कुल
1.	स्थानीय गाय	37967	29697	19405	87069
2.	वर्ण शंकर गाय	1038	505	791	2334
3.	भैंस	326	22263	5250	27839

अन्य पशु

क्र0स0	पशु का नाम	संख्या
1.	देशी भेड़	13101
2.	वर्ण शंकर भेड़	614
3.	बकरा एंव बकरी	31908
4.	घोड़ा एवं टट्टू	491

खनिज सम्पदा :-

भूगर्भ वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में तॉबा, सीसा, सोना, जस्ता गन्धक, हीरा आदि बहुमूल्य खनिज सम्पदा विद्यमान हैं किन्तु अभी तक इनका उत्खनन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जल सम्पदा :-

जल संसाधन की दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग काफी समृद्ध है। मंदाकिनी यहॉ की प्रमुख नदी है जो केदारनाथ के नजदीक चौरावरी ग्लेसियर से निकलती है। इसके अतिरिक्त तुंगेश्वरी राकेश्वरी, मैदानी नदी, काली नदी आदि नदियां जनपद में प्रवाहित होकर पेयजल की समस्या को दूर करती हैं तथा सिंचाई के काम आती है। इनके अतिरिक्त ताल एवं झीले भी जनपद के प्रमुख जल संसाधन हैं। देवारिया ताल, वासुकी ताल एवं काना ताल पर्यटक आकर्षण के केन्द्र हैं। जनपद में गर्म जल के श्रोत भी पाये जाते हैं।

सिंचाई :-

जनपद में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। किसान अधिकांशतया सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते है। तलहटी वाले क्षेत्रों मे गूल एवं छोटी नहरों से सिंचाई की जाती हैं।

आधार भूत ढांचा :-

(क) सड़क, परिवहन एवं जनसंचार –

सड़क, परिवहन एवं जनसंचार के क्षेत्र में यह जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। यद्यपि ब्लाक मुख्यालय सड़क से जुडे हुए है। किन्तु अभी भी जनपद में ऐसे दूर-दराज के क्षेत्र हैं जो मोटर हेड से लगभग 40 किमी दूर हैं।

जनपद में परिवहन के साधनों मे मुख्य रूप से राज्य परिवहन निगम की बसों तथा प्राइवेट मालिकों द्वारा चलाई जाने वाली बसें एवं टैक्सियां हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों मे घोड़े, खच्चर एवं गधो द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है।

जनपद में 106 डाकघर,03 तारघर, 104 पी0सी0ओ0 एवं लगभग 2000 टेलीफोन कनेक्शन हैं। आज भी रेड़ियों यहाँ जनसंचार का मुख्य साधन है।

(ख) विद्युत व्यवस्था :-

जनपद के लगभग 70 प्रतिशत गाँवो का विद्युतीकरण हो चुका है। किन्तु विद्युत आपूर्ति प्रायः अनियमित रहती हैं। यहाँ विद्युत उपभोग मुख्यतया

घरेलू उददेश्यों के लिए किया जाता है।

(ग) जलापूर्ति :-

जल निगम एवं जल संस्थान के द्वारा जिले के कस्बाई क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है किन्तु जनपद के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो के लोग पेयजल के लिए प्रकृतिक श्रोतों पर ही निर्भर हैं।

(घ) बैकिंग व्यवस्था :-

जनपद में कुल 22 बैंक कार्यरत है जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र0स0	बैक का नाम	संख्या
1	पंजाब नैशनल बैंक	02
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	12
3	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	03
4	को–आपरेटिव बैंक	05

(ड) आर्थिक – सामाजिक दशा :-

गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण जनपद की आर्थिक–सामाजिक दशा संतोषजनक नहीं है। कृषि ऊपज जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नही कर पाता है। साक्षरता दर में कमी भी जनपद की आर्थिक सामाजिक दशा को प्रभावित करती है। बालिकाओं एवं महिलाओं के पिछड़ेन को दूर करने तथा कमजोर तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सुनियोजित योजना बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है ।

(च) प्रशासनिक ढांचा :-

नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग अभी अपनी शैशवास्था में है। जिलाधिकारी जनपदीय प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया हैं। प्रशासनिक एवं विकास कार्यों में उनकी सहायता के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी, 3 उपजिलाधिकारी और 3 खण्ड विकास अधिकारी हैं।

जनपद की प्रशासनिक संरचना

	बस्तियां	ग्राम पंचायत	न्यायपंचायत	नगर पंचायत क्षेत्र	विकासखण्ड	तहसील
योग	700	330	27	02	03	03
ऊखीमठ	145	57	5			
अगस्त्यमुनि	387	177	13			
जखोली	168	96	9			

क्षेत्रफल :–

जनपद का कुल क्षेत्रफल 3245 वर्ग किलोमीटर है। जनपद में 48 सी.आर.सी. केन्द्र है।

जनसंख्या :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 227461 है। जिसमें 107425 पुरूष तथा 120036 महिलाएं हैं। इस तरह 1000 पुरूषों के सापेक्ष 1117 महिलाए है।

जनगणना 1991 एंव 2001 का तुलनात्मक अध्ययन

क्र0सं0	विषय	1991	2001
1	कुल जनसंख्या	200515	227461
2	राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	2.82	2.68
3	जनसंख्या धनत्व	106 प्रति वर्ग कि0मी0	120 प्रति वर्ग कि0मी0
4	लिंग अनुपात	1094 / 1000	1117 / 1000
5	दशक मे जनसंख्या वृद्वि दर	17.51 प्रतिशत	13.44 प्रतिशत

सारणी

विकास खण्ड / जातिवार जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार

क्र0 सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति			अनु0 जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
					पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	ऊखीमठ	22100	22814	43914	2930	2869	5799	34	42	76	127	113	240	20	14	34
2	अगस्त्यमुनि	54146	55899	110046	9044	9090	18134	91	100	191	189	385	574	272	260	532
3	जखोली	31179	42323	73502	5357	5583	10946	31	33	64	181	170	351	36	30	66
	योग	107425	120036	227461	17331	17542	34873	156	175	331	497	668	1165	328	304	632

ऊपरोक्त तालिका की गणना से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या विकास खण्ड अगस्त्यमुनि की है जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला विकास खण्ड ऊखीमठ है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या विकास खण्ड अगस्त्यमुनि तथा सबसे कम जनसंख्या विकास खण्ड ऊखीमठ में ही है।

1991 की जनगणना के अनुसार

क्र0 सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति			अनु0 जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
					पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	ऊखीमठ	19409	19237	38646	2584	2530	5114	30	37	67	–	–	–	-	–	–
2.	अगस्त्यमुनि	47748	49204	97042	7976	8016	15992	80	89	169			--		–	–
3.	जखोली	27736	32158	59894	4724	4924	9648	14	16	30					-	-
	योग			195582			30754			266						

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

विकास सीधा शिक्षा से जुडा मुद्दा हैं। किसी भी क्षेत्र, प्रदेश अथवा देश का विकास वहां के शैक्षिक विकास पर निर्भर करता है तथा उस क्षेत्र का शैक्षिक रिदृश्य वहाँ क विकास का दर्पण होता है आजादी के पूर्व इस क्षेत्र मे विद्यालयों की कमी के कारण यह की साक्षरता काफी न्यून थी किन्तु आजादी के बाद केन्द्र/राज्य सरकार के प्रयासों से साल दर साल यहाँ बहुत से विद्यालय खोले गये तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की साक्षरता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में एवं कमजोर आर्थिक/ सामाजिक दशा के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अनुरूप जनपद में शत्–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गो को प्रयास करने होगें ।

साक्षरता दर :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग की साक्षरता दर 74.23 प्रतिशत है जो राज्य की कुल साक्षरता दर यथा 72.28 प्रतिशत से कुछ अधिक है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में साक्षरता दर घाटी क्षेत्रों की साक्षरता दर की अपेक्षा काफी न्यून है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में जहाँ पुरूष साक्षरता दर 90.73 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर केवल 59.98 प्रतिशत है। इस तरह पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की साक्षरता काफी कम है। इसका मूल कारण आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन एवं हमारे समाज की प्रचीन मान्यताऐं हैं। समाज की यह धारणा है कि महिलाओ का कार्य मात्र गृहस्थी देखना है। यद्यापि वर्तमान मे इस धारण मे काफी बदलाव आया है।

सारणी –2/1

राज्य तथा जनपद की साक्षरता– एक तुलानात्मक अध्ययन

क्रस0	साक्षरता का प्रकार	राज्य	जनपद
1	कुल साक्षरता	72.28	74.23
2	कुल पुरूष साक्षरता	84.01	90.73
3	कुल महिला साक्षरता	60.26	59.98

स्त्रोत-जनगणना 2001

शैक्षिक संस्थाएं :-

जनपद में प्राथमिक स्तर पर कुल 482 परिषदीय विद्यालय, 07 प्राथमिक मॉडल स्कूल एवं 65 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 295 परिषदीय विद्यालय तथा 23 मान्यता प्राप्त विद्यालय है। इसके अतिरिक्त 19 हाईस्कूल, 41 इण्टरमीडिएट [illegible] है। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय भी जनपद में अवस्थित है।

सारणी—2/2

विकासखण्ड वार शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		हाईस्कूल	इण्टर कालेज	डिग्री कालेज	अन्य विद्यालय
		परिषदीय	मॉडल	मान्यता प्राप्त	परिषदीय	मान्यता प्राप्त				
1	ऊखीमठ	101	02	15	15	04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	अगस्त्यमुनि	240	01	43	48	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	जखोली	141	04	25	35	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	योग	482	07	83	98	37	37	49	03	[illegible]

स्रोत : डी०[illegible], रुद्रप्रयाग

सारणी 2/3

छात्रसंख्या वार विद्यालयों का विवरण

क्र०सं०	छात्र संख्या	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	कुल प्राथमिक विद्यालय का प्रतिशत
1	20 तक	44	[illegible]
2	20 से 40 तक	185	[illegible]
3	40 से 60 तक	84	17
4	60 से [illegible] तक	75	[illegible]

Cont..

5	80 से 100 तक	33	07
6	100 से 120 तक	23	05
7	120 से 140 तक	19	04
8	140 से 160 तक	15	03
9	160 से ऊपर	04	01
	योग	482	100

नोट :- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा कमजोर आर्थिक सामाजिक दशा के कारण जनपद के एक तिहाई विद्यालयों में छात्र संख्या 40 से कम है।

स्रोत – बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/4

विकास खण्ड वार 1 किमी परिधि तथा इससे अधिक दूरी वाले परिषदीय प्रा0वि0 तथा 3 किमी परिधि वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	1 किमी की परिधि वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1 किमी से अधिक परिधि वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	3 किमी की परिधि में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1	ऊखीमठ	57	44	08
2	अगस्त्यमुनि	94	146	17
3	जखोली	105	36	15
	योग	256	226	40

स्रोत – बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

सारणी- 2/5

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें – प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम0स0	विवरण / विषय	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	टिप्पणी
1	कुल विद्यालय	482	98	2 बार भूकंप एवं अनेकबार भूस्खलन के कारण
2	भवन विहीन विद्यालय	02	14	जनपद के अधिकांश विद्यालय जर्जर एवं ध्वस्त हो
3	भवन युक्त विद्यालय	480	84	चुके है।
4	एक कक्षीय विद्यालय	18	06	
5	दो कक्षीय विद्यालय	301	24	
6	तीन कक्षीय विद्यालय	141	48	
7	चार कक्षीय विद्यालय	021	06	
8	पांच या अधिक कक्षीय विद्यालय	0	0	
9	शौचालय युक्त विद्यालय	0	0	
10	शौचालय विहीन विद्यालय	482	98	
11	पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	0	0	
12	पेयजल व्यवस्था जहां नही है	482	98	
13	चारदीवारी युक्त विद्यालय	0	0	
14	चारदीवारी विहीन विद्यालय	482	98	
15	मरम्मत योग्य विद्यालय	250	15	
16	पुर्ननिर्माण योग्य विद्यालय	193	35	

स्रोत ' बी0एस0ए, रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/6

I

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	6–11 आयु के कुल बच्चे			6–11 वय वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे			6–11 वय वर्ग के न पढ़ने वाले बच्चे			जी0ई0 आर0
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	ऊखीमठ	5359	6177	11535	5173	5942	11115	186	235	420	96.36
2	अगस्त्यमुनी	5915	6585	12400	5623	6341	11964	292	244	436	96.48
3	जखोली	5505	6066	11571	5250	5776	11026	255	290	545	95.29
	योग	16678	18828	35506	16046	18059	34105	632	769	1401	96.05

स्त्रोत – डी0ई0ओ0 रुद्रप्रयाग

सारणी – 2/7

विकास खण्ड वार 11 – 14 वय वर्ग की बालगणना

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	11–14 वर्ष के कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे			11–14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले बच्चे			जी0ई0
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	आर0
1	ऊखीमठ	1769	1668	3437	1739	1600	3339	30	68	98	97.15
2	अगस्त्यमुनी	3643	3352	6995	3586	3282	6868	57	70	127	98.18
3	जखोली	2877	2607	5484	2829	2520	5349	48	87	135	97.54
	योग	8289	7627	15916	8154	7402	15556	135	225	360	97.74

स्त्रोत – डी0ई0ओ0 रुद्रप्रयाग

सारणी – 2/9

जनपद रूदप्रयाग

प्राथमिक विद्यालयों में विकास खण्ड/जातिवार विद्यार्थियों की संख्या

क्र0	विकास क्षेत्र	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति छात्र संख्या			अनुसूचित जनजाति छात्र सं0			पिछड़ी जाति		
स0	का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अगस्त्यमुनि	4655	5315	9970	1657	1816	3473	0	1	1	77	100	177
2	ऊखीमठ	4602	1278	9880	530	582	1112	6	12	18	18	19	37
3	जखोली	4549	5107	9656	1190	1055	2245	0	0	0	126	106	232
	योग	13806	15700	29506	3377	3453	6830	6	13	19	221	225	446

स्त्रोत बी0एस0ए0 रूदप्रयाग

(सारणी –2/10)

जनपद रूदप्रयाग

उच्च प्रा0विद्यालयों में विकास खण्ड/जातिवार विद्यार्थियों की संख्या

क्र0	विकास क्षेत्र	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति छात्र संख्या			अनुसूचित जनजाति छात्र सं0			पिछड़ी जाति		
स0	का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अगस्त्यमुनि	1232	1368	2600	251	313	564	0	2	2	50	55	105
2	ऊखीमठ	684	759	1443	14	174	188	3	2	5	28	29	57
3	जखोली	821	912	1733	173	209	382	0	0	0	33	38	71
	योग	2737	3039	5776	438	696	1134	3	4	7	111	122	233

स्त्रोत बी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/14

जनपद रूद्रप्रयाग में प्राथमिक विद्यालयों में आंवटित एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क्र0स0	पैत्रिक जनपदों का नाम जहा से पद ट्रान्सफर हुए	आवंटित पद		योग	कार्यरत पद		योग	रिक्त पद		योग	विद्यालयों की संख्या
		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		
1	चमोली	209	427	636	207	415	622	2	12	14	301
2	पौडी	40	66	106	42	37	79	2 अधिक	29	27	40
3	टिहरी	73	224	297	73	177	250	0	47	47	141
	योग	322	717	1039	322	629	951	0	88	88	482

स्त्रोत– बी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/15

जनपद रूद्रप्रयाग में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आंवटित एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क्र0स0	पैत्रिक जनपदों का नाम जहा से पद ट्रान्सफर हुए	आवंटित पद		योग	कार्यरत पद		योग	रिक्त पद		योग	विद्यालयों की संख्या
		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		
1	चमोली	53	211	264	52	208	260	1	3	4	54
2	पौडी	9	34	43	5	27	32	4	7	11	9
3	टिहरी	30	89	119	27	73	100	3	16	19	35
	योग	92	334	426	84	308	392	8	26	34	98

स्त्रोत– बी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/16

विकास खण्ड/जातिवार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापको की संख्या

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनु0 जाति			अनु0जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	अगस्त्यमुनि	198	300	498	26	5	31	0	2	2	8	18	26	6	5	11
2	उखीमठ	98	104	202	6	4	10	0	0	0	9	14	23	1	1	2
3	जखोली	160	91	251	31	14	45	0	1	1	14	16	30	0		0
	योग	456	495	951	63	23	86	0	3	3	31	48	79	7	6	13

स्रोत – बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/17

विकास खण्ड /जातिवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापको की संख्या

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनु0 जाति			अनु0जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	अगस्त्यमुनि	200	25	225	17	7	24	0	0	0	4	1	5	3	0	3
2	उखीमठ	52	15	67	7	2	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	जखोली	73	27	100	13	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	325	67	392	37	13	50	0	0	0	5	1	6	3	0	3

स्रोत – बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य एवं ई0 जी0 एस0 केन्द्रो की संख्या माह दिसम्बर से मार्च तक 4 माह 2001–2002

क्रम सं0	क्षेत्र	पुनर्निमाण		अतिरिक्त कक्ष		शौचालय		पेयजल		फर्नीचर		लघुमरम्मत		EGS	N.P.R.C
		प्रा0	उ0प्र0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्र0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0		
1	ऊखीमठ	02	01	03	–	2	02	03	02	–	15	03	01	30	5
2	अगस्त्यमुनि	02	01	02	02	6	03	06	03	–	20	05	03	48	10
3	जखोली	01	01	02	01	2	05	03	01	–	15	02	02	20	5
	योग	05	03	07	03	10	10	12	06	–	50	10	06	98	20

विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वालों की संख्या एवं प्रतिशत निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	कार्य के प्रकार	कुल संख्या	कुल कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
1.	कृषक	136477	60
2.	कृषि कार्य करने वाले मजदूर	9099	4
3.	अन्य मजदूर	6824	3
4.	औद्योगिक मजदूर	4549	2
5.	व्यापार कार्य करने वाले	6824	3
6.	सेना में कार्य करने वाले	2274	1
7.	शिक्षा जगत से जुड़े हुए	2274	1
8.	अन्य बेरोजगार	59160	26
	योग	227481	100

अध्याय – 3

सर्व शिक्षा अभियान – लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यक्त भावना को फलीभूत करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागेदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रराम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :–

1. सभी बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
2. सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें।
4. संतोषजनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्तव दिया गया हो, पर बल देना।
5. बालक–बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना।

जनपद रूद्रप्रयाग के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य :–

क) शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनपद रूद्र प्रयाग में भी वर्ष 2002–03 के अंत तक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद का वर्तमान शुद्ध नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सकल नामांकन दर को 2002–03

में इतना बढ़ाना होगा कि दोनों का अन्तर शून्य हो जाय। इस सन्दर्भ में 200[illegible]–03 तक [illegible] नामांकन [illegible] प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

ख) <u>पुरूष–महिला साक्षरता के अन्तर को कम करने का प्रयास–</u>

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूष एवं महिला साक्षरता में काफी अन्तर है। पुरूष साक्षरता की दर जहां 90.73 प्रतिशत है वही महिलाओं की साक्षरता की दर मात्र 59.98 प्रतिशत ही है। पुरूष महिला साक्षारता के अन्तर को समाप्त कर इसे शत् प्रतिशत करने का प्रयास किया जायेगा।

ग) <u>ड्राप आउट कम करने का लक्ष्य–</u>

जनपद में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठशाला त्याग दर (ड्राप–आउट रेशियो) क्रमशः 1.2 प्रतिशत एंव 1.4 प्रतिशत है जिसे शून्य प्रतिशत तक ले जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु औपचारिक विद्यालय, ई0जी0 एस0 तथा ए0आइ0 ई0 केन्द्रो की स्थापना की जायेगी साथ ही अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था तथा जनसहभागिता बढाई जायेगी। योजनाओं के ठीक क्रियान्वयन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रबन्धन एवं अनुश्रवण को चुस्त बनाया जायेगा।

घ) <u>आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना –</u>

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हमारा उद्‌देश्य विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके बाह्य एंव आन्तरिक स्वरूप को आकर्षक बनाना है।

(1) निर्माण –

1. भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण कराना।
2. जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत कराना।
3. अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराना।
4. शौचालय एवं चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों में इनका निर्माण कराना।
5. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0) एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (एन0 पी0 आर0 सी0) का निर्माण कराना।

(ड) <u>विद्यालयी व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण –</u>

(1) विधार्थी विषयक क्रियाकलाप –

1. विद्यालयों में बैठने हेतु टाट–पट्‌टी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2 प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एँव बालिकाओं के लिये निःशुल्क, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें एंव गणवेश (स्कूल यूनिफार्म) उपलब्ध कराना तथा बच्चों के लिये उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।

3 यदि संसाधन अनुमति दें तो अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा गणवेश उपलब्ध कराकर उनको अध्ययन के प्रति आकर्षित करना।

4 विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कर बच्चों पर बस्ते के बोझ को कम करना तथा पुस्तक अध्ययन के लिये प्रेरित करना।

5 विद्यालयों में खेल सामग्री की व्यवस्था कर बच्चा को विद्यालयों में ठहराव को प्रोत्साहित करना।

6 यदि संसाधन अनुमति दें तो सभी बच्चों को परिचय पत्र उपलब्ध कराना जिससे उनके अन्दर विशिष्टता का बोध हो तथा अन्य प्राइवेट विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह ही वे गर्व से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

(2) अध्यापक विषयक क्रियाकलाप –

1. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
2. 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में जहाँ कम से कम 20 विद्यार्थी हों, दो कक्षीय विद्यालय तथा एक अध्यापक की व्यवस्था करना जिससे कक्षा एक एवं दो की पढाई हो सके।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात (1:40) के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों को आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे अध्यापक अपने विद्यालयों को पूरा समय दे सकें तथा स्थानीय नागरिकों को शिक्षा के प्रति आकर्षित कर सकें।
5. अध्यापकों को वेतन एंव अन्य भत्तों का समय से भुगतान सुनिश्चित करना जिससे वे निश्चिन्त होकर लगन से शिक्षण कार्य कर सके। इसके निर्मित बी0 आर0 सी0 एंव एन0 पी0 आर0 सी0 में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराया जा सकता है।
6. अध्यापकों के लिये एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार कर दूर–दराज के क्षेत्रों में भी एक निश्चित समयाविधि के ठहराव को सुनिश्चित करना तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापको को एक निश्चित ठहराव के बाद उन्हें इच्छित विद्यालय में स्थानांतरित करना।
7. दूरस्थ एंव दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में अनिच्छुक नियमित शिक्षकों को न भेजकर स्थानीय योग्य व्यक्तियों को ही प्रशिखण दिलाकर शिक्षक

के रूप में नियुक्त करना जिससे वे मनोयोग से जनहित एवं बालहित में काम कर सकें।

8. अध्यापकों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के अलावा यथासम्भव अन्य कार्यों से विरत किया जाना जिससे कि वे पूर्ण मनोयोग से अपना दायित्व पूरा करें।

9. अध्यापकों को समय-समय पर नवीन साहित्य एवं शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें सतत् जागरूक बनाना तथा उनके अन्दर के निराशा जनक मनोवृति को समाप्त करना।

10. अध्यापकों के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिससे वे शिक्षण के आधुनिक पद्धतियों एवं नवाचार विधाओं से परिचित होकर उनका उपयोग विद्यार्थी हित में कर सकें।

11. अध्यापकों के लिये अवकाश की व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित करना जिससे कि हर दशा में कम से कम एक अध्यापक विद्यालय में रहे तथा विद्यालय, अध्यापकों के अभाव में बंद न हो।

(3) <u>पाठ्यक्रम विषयक क्रियाकलाप :-</u>

1. प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम रूचिपूर्ण बनाना जो आसानी से बच्चों के समझ में आ सके।

2. पाठ्यक्रम में स्थानीय विशेषताओं का समावेश करना जिससे बच्चे अधिक उत्साहित होकर अध्ययन कर सकें।

3. पूरक पुस्तकों का स्थानीय भाषा में अनुवाद जिससे बच्चें पढ़ाई में रूचि ले सकें।

4. दृश्य-श्रव्य शिक्षण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था जिससे शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाया जा सके।

5. बच्चों के मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र/प्रगति कार्ड दो प्रतियों में तैयार करना जिसकी एक प्रति विद्यालय एवं दूसरी प्रति अभिभावक के पास रहे। इससे छात्र एंव छात्र का अभिभावक समय-समय पर अपनी प्रगति के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यक सुधार कर सकता है।

(च) स्वास्थय सम्बन्धी कार्य –

1. विद्यार्थियों को स्वच्छता, सफाई आदि का महत्व बताकर उन्हें सदैव इसके प्रति जागरूक बनाना तथा स्वस्थ रहने के प्रति सचेत करना।

2. बच्चों का मासिक स्वास्थय परीक्षण कराना जिससे बच्चें स्वस्थ रहें तथा नियमित रूप से विद्यालय आकर अध्धयन कर सकें।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

जनपद में शिक्षा के प्रचार-प्रसार, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, सामुदायिक सहभागिता के विचार को लोकप्रिय बनाने एंव प्रभावी शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने हेतु जनपद में जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की महती आवश्यकता है।

●●●

अध्याय — 4

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद के सभी बच्चों का वर्ष 2003 तक विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना तत्पश्चात् विद्यालयों में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कर ड्राप आउट दर को शून्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान ही ऐसी योजना है जो बस्ती ग्राम, न्याय पंचायत, विकासखण्ड स्तर से संकलित होकर जिला स्तरीय योजना बनकर प्रस्तुत हुई है।

माइक्रो प्लानिंग :-

जनपद रूद्रप्रयाग में वर्ष 2000–2001 में परिवार तथा ग्राम को इकाई मानकर माइक्रो प्लानिंग की गयी। आकड़ो का संकलन न्याय पंचायत/संकुल स्तर पर करके विकास खण्ड के अनुसार रणनीति तय की गयी है। अन्त में सभी विकास खण्डों के आकड़ों, समस्याओं विशषताओं तथा विभिन्नताओं को समेकित करके वृहद प्लान तैयार किया गया है। दैनिक शिक्षा परियोजना में जो कमियां रह गई थी, उनकी पूर्ति हेतु इस योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं। योजना का निर्माण इस तरह किया गया है कि स्कूल तक न पहुँच पा रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ कर उनका विद्यालयो में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके तथा प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किया जा सके।

स्कूल चलो अभियान :-

जनपद में 01 जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2001 तक गतवर्ष की भाँति स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसमें यह प्रयास किया गया कि 6–14 वर्ग के सभी बच्चे विद्यालयों में प्रवेश ले सकें। प्रत्येक विद्यालय की बालगणना पत्रिका में नये बच्चों का नामाकंन करवाया गया तथा ग्राम स्तर पर उस क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं ने रैलियों व गोष्ठियों का आयोजन किया। प्रत्येक विकास खण्ड एंव तहसील दिवसों पर होने वाली बैठको में स्कूल चलो अभियान का प्रचार प्रसार जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। फलतः जनता में शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हुई।

स्कूल चलो अभियान से शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु वातावरण तैयार हुआ तथा उन कारणों में मदद मिली जो बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदाई है। 15 जून से पूर्व जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय कोर टीमों का गठन कर दिया [redacted] जायेगा।

- अध्यक्ष – जिलाधिकारी।
- उपाध्यक्ष – मुख्य विकास अधिकारी।
- सचिव – बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य –
  1. प्राचार्य डायट।
  2. जिला कार्यक्रम अधिकारी।
  3. जिला पंचायत राज अधिकारी ।
  4. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला सदस्य।
  5. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति का सदस्य।
  6. किसी एक स्वैच्छिक संगठन का अध्यक्ष।
  7. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालायों के एक –एक अध्यापक

विकास खण्ड स्तर पर गठित कोर टीमः-

- अध्यक्ष – विकास खण्ड अधिकारी।
- सदस्य सचिव – सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य –
  1. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित एक महिला सदस्य ।
  2. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति का प्रधान।
  3. स्वैच्छिक संगठनों का एक सदस्य जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखता हो।
  4. प्राथमिक विद्यालयों के एक प्रधानाध्यापक।
  5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक प्रधानाध्यापक।

ग्राम शिक्षा समिति :-

- अध्यक्ष – ग्राम प्रधान।
- सदस्य सचिव – कम से कम दो महिला सदस्य जिसमें एक अनुसूचित जाति एंव एक अनु0जनजाति की होगी। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो।
- सदस्य – दो अभिभावक जिसमें एक के पाल्य के सर्वोच्च अंक होगें तथा दूसरे के पाल्य के सबसे कम अंक होगे।

इस अभियान की सफलता हेतु अन्य विभागों के कर्मियों का भी सहयोग लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी ,जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास),जिला सूचना अधिकारी, ज़िला क्रार्यकम अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी तथा निर्माण एवं तकनीकी विशेषज्ञ प्रमुख हैं।

जिला व विकासखण्ड स्तरीय बैठको में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों /कमियों पर विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा हुई तथा निम्न आवश्यकतायें चिन्हित की गयी ।

(क) अक्षेवित क्षेत्र।

(ख) ड्रापआउट के कारण।

(ग) विद्यालय भवनों एंव संसाधनों की स्थिति।

(घ) अन्य भौतिक संसाधनो की आवश्यकता।

(ड) जन सहभागिता की स्थिति।

(च) अपवंचित वर्ग के बच्चों एंव बालिका शिक्षा सम्बन्धी बाधायें।

(छ) विकलांग बच्चो हेतु शिक्षा व्यवस्था।

सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कोर टीम द्वारा विभिन्न विकासखण्डों में संगोष्ठियॉ आयोजित करवायी गई। जिसमे जिला स्तर के सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में दो–दो व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम विवरण निम्नवत है।

दिनांक : 5–7–2001 से 7–7–2001 रूलेक, देहरादून में सर्व शिक्षा अभिमुखीकरण कार्यशाला का संचालन किया गया।

दिनांक : 25–8–2001 जनपद रूद्रप्रयाग एंव चमोली की संगोष्ठी गोपेश्वर में की गयी ।

दिनांक : 4–9–2001 से 8–9–2001 एन0एस0 डार्ट, मसूरी में परियोजना निर्माण कार्य शाला का आयोजन हुआ।

दिनांक : 12–9–2001 राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून में प्राचार्य डायट एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक/संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

दिनांक : 14–9–2001 जनपद रूद्रप्रयाग मे जनपदीप बैठक एंव सर्वशिक्षा प्रकोष्ठ की पहचान की गयी।

विकास खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए निम्न कार्यशालाऐं आयोजित की गयी।

दिनांक	विकास खण्ड का नाम	स्थान	सन्दर्भ व्यक्ति	प्रतिभागी
19–9–2001	अगस्त्यमुनि –1	रूद्रप्रयाग	1. श्रीमती ऊषा वर्त्वाल 2. श्री एस0एस0 नेगी	ब्लाक प्रमुख, समस्त ग्राम प्रधान एवं ब्लाक कोर टीम के सदस्य
20–9–2001	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1. श्री डी0एस0घरिया 2. कु0 दीना राणा	"
20–9–2001	अगस्त्यमुनि – 2	अगस्त्यमुनि	1. श्रीमती ऊषा वर्त्वाल 2. श्री एस0एस0नेगी	"
21–9–2001	जखोली	जखोली	1. श्री रमेश प्रसाद सेमवाल 2. श्रीमती ऊषा विष्ट 3. श्री एस0एस0 नेगी 4. कु0 दीना राणा	

दिनांकः– 24–9–2001 को जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एन0 एस0 डार्ट मसूरी से विशेषज्ञ के रूप में श्री अतिन्द्र सेन, आई0ए0एस0 व डा0 एच0 सी0 पोखरियाल तथा राज्य स्तरीय प्रतिभागी के रूप में श्री शीशराम आर्य एवं श्री दिवाकर देवरानी ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों क्षेत्र पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्षों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनो के प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया।

अभियान की सफलता का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग के आलाव अध्यापक, अभिभावक एवं समाज के जागरूक लोगों के ऊपर है। जनपद स्तर पर अभियान का नेतृत्व ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे।

●●●

जनपद – रूद्रप्रयाग

सर्व शिक्षा अभियान (2002–2010)

नियोजन आरेख

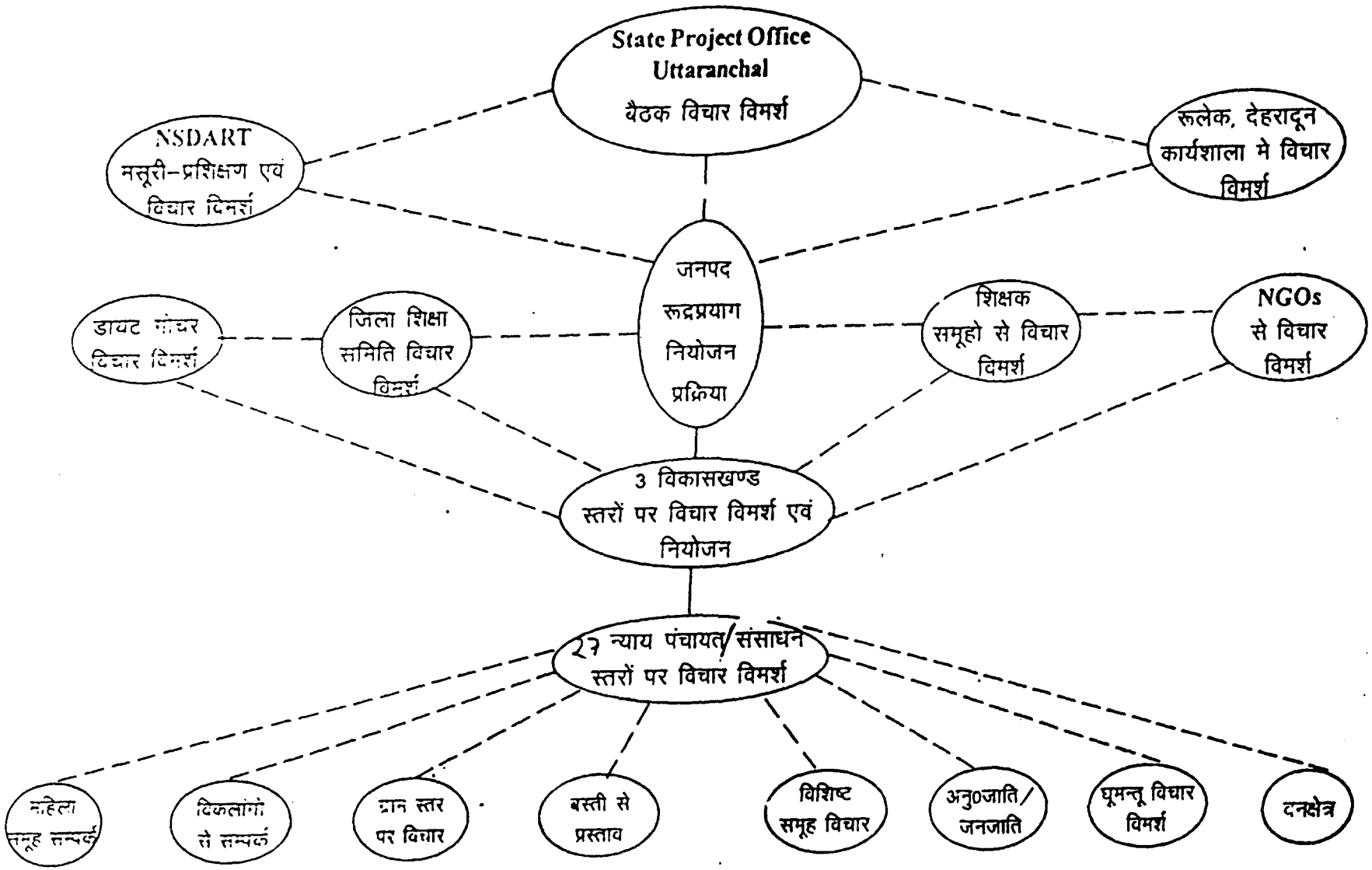

अध्याय – 5

समस्याऐं एवं रणनीतियॉ

आवश्यकता :-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गए फोकस ग्रुप डिसकसन से प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरांत उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गई है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती, नये भवनों का निर्माण, जीर्ण भवनों की मरम्मत, शौचालयों का निर्माण तथा सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया।

समस्या	रणनीति
पहुँच :-	
◆ शिक्षा का व्यवहारिक न होना।	◆ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा। जिससे विद्यार्थियों में स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके एवं आर्थिक पिछड़ापन दूर हो। विशेषकर ग्रामीण अंचल के बालक/बालिकाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कताई, फल संरक्षण, स्थानीय क्राफ्ट, पर्यावरणीय शिक्षा एवं रीगंल, भीमल, रातदास, न्यौलू (गेहू का डण्टल) आदि से विभिन्न प्रकार की वस्तुओ का निर्माण कराना सीखाया जायेगा।
◆ अस्तवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	◆ 1 किमी तथा 200 की आवादी वाले ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय से दूरी के मानक अनुसार E.G.S. केन्द्र खोले जायेगें तथा 6–14 वय वर्ग तक के बच्चो के लिए A.I.E केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या तथा उनके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय /वर्ग की सीमा निर्धारित की गई है।
◆ प्रकृतिक अवरोध – भौगोलिक कठिनाइयों जैसे नदी , नाले	◆ भौगोलिक कठनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारण्टी योजना एवम् वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेगें और कालान्तर में उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ लिया

जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध।	जायेगा।
◆ विद्यालयों में भौतिक संसाधनों जैसे टाट पट्टी, फर्नीचर कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, एवं चार दीवारी आदि की कमी।	◆ छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चाहरदीवारी आदि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के बच्चों के बैठने के लिए काष्टोपकरण की व्यवस्था की जायेगी।
<u>दृष्टव्य :–</u>	
◆ शिक्षा के प्रति अभिभावक, बच्चों में जागरूता का अभाव। अभिभावक की सोच की बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़ें।	◆ शिक्षा का मुल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना। अभिभावक वर्ग की अवधारणा है कि उसका बच्चा कृषि कार्य के स्थान पर पढ़–लिख कर नौकरी करें। वह कृषि कार्य को निम्नस्तर पर रखता है तथा रोजगार को विशेष महत्व देता है इस सोच में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है।
◆ विद्यालयी कार्यकलापों के प्रति बच्चो में अरूचि होना।	◆ बच्चों को विद्यालय बोझिल न लगे, इस हेतु रूचिपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य किया जायेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
◆ शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास।	◆ शिक्षक का छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार हो। मानवीय मूल्यो एवं संवेदनाओं में समन्वय हो। शिक्षक की छवि छात्रों के मस्तिष्क में सकारात्मक एवं गुणवत्ता परक रूप में प्रतिबिम्बित हो। अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यो के निष्पादन में लिगं भेदी व्यवहार किया जाता है। लिंग भेद न करने हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रेरित किया जायेगा।
◆ शिक्षक/शिक्षिकाओं का समुदाय से समन्वय न होना।	◆ अधिकांशतः समुदाय का विद्यालयी कार्यों में सहयोग नहीं लिया जाता है तथा वह विद्यालय क्रिया कलापों से अनिभज्ञ रहता है। इस हेतू M.T.A जैसे समितियों का गठन कर उसे मजबूत बनाया जायेगा।
◆ विद्यालय में छात्र संख्या के	◆ ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग प्राप्त कर मानक के अनुसार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

[illegible]	...त्र के शेष अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। जहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित होगें, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही दोनों विद्यालयों का पूर्ण संचालन करेगा जिसके सभी अध्यापक कक्षा 1 से 8 के तक पाठ्यकम से परिचित होगें तथा अध्यापकों की कमी भी दूर होगी।
◆ अध्यापकों से अपने विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों के कार्यो को निष्पादित कराया जाना।	◆ अपरिहार्य परिस्थिति में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से करवाये जायें जिससे अध्यापकों को शिक्षण कार्य हेतु पूरा समय मिल सकें। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा।
◆ पाठ्य सहायक सामग्री/पुस्तकों का अभाव।	◆ जनपद का अधिकांश क्षेत्र ऊसर होने के कारण यहाँ अन्न का उत्पादन नाममात्र का होता है तथा इस क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की सुविधा भी अधिक न होने के कारण अधिकांश लोग गरीब है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को भी निःशुल्क पुस्तके उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
◆ विद्यालय का वातावरण छात्रों के मनोकूल न होना।	◆ विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। T.L.M और T.L.E के द्वारा कक्षा शिक्षण के क्रियालापों को रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा तथा नवाचार विधियों के द्वारा विद्यालय वावावरण को रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा।
◆ निदानात्मक शिक्षण का अभाव	◆ जनपद की दुर्गम भौगोलिक एवं समाजिक परिस्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्र पठन–पाठन के क्रिया कलापों से दूर हो जाते हैं और शिक्षा के प्रति उनमें आर्कषण कम हो जाता है। अतः ग्रीष्मकाल में शिक्षण हेतु समर कैम्प की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें निदानात्मक शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

क्षमता संवर्द्धन :-

◆ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	◆ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, संकुल संसधान केन्द्र एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की

/संकुल संसाधन केन्द्र/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसथान का न होना।	जायेगी।
◆ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात में कक्षा – कक्षों की कमी।	◆ **जनपद की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा, एवं भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जायेगा (V.E.C. के माध्यम से)**
◆ सामुदायिक नेताओं का विद्यालय के प्रति जागरूक न होना।	◆ जनपद में V.E.C, M.T.A, P.T.A आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे सामुदायिक नेताओं में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत होगी।
◆ जड़ी–बूटियों आदि के क्षेत्र में पारम्परिक ज्ञान का ह्रास।	◆ जड़ी बूटी के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके लिए शोध की व्यवस्था करना। तथा उनके द्वारा किये गये शोध कार्यो का लाभ जन जन तक पहुँचाना। इस प्रकार पारम्परिक ज्ञान के संवर्धन का प्रयास किया जायेगा।

गुणवत्ता :-

◆ शिक्षक की कमी।	◆ जनपद की भौगोलिक स्थिति,शिक्षको का असमान वितरण, प्रति विद्यालय दो अध्यापक, छात्र शिक्षक अनुपात पर आधारित मानक पर शिक्षकों की कमी है। इस कमी को दूर करने का पूरा प्रावधान किया जायेगा। ◆ कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक के रूप में गृह विज्ञान शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी।
◆ शिक्षक अनुदान न मिलना।	◆ शिक्षा में गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए प्रत्येक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करेगा। इस कार्य के लिए शिक्षक अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।
◆ स्कूल अनुदान की अनुपलब्धता।	◆ प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में T.L.E की व्यस्था का प्रावधान किया जायेगा।

◆ शिक्षकों में सकारात्मक सोच की कमी।	◆ इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे- विशेष सन्दर्भ शिक्षक अभिमुखीकरण एवं नवाचार, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
◆ प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का न होना।	◆ अनुश्रवण एंव मूल्यांकन का कार्य विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाता है। इस कार्य में V.E.C., C.R.C, B.R.C आदि का भी विभिन्न स्तरों पर सहयोग लिया जायेगा।
◆ सतत मूल्यांकन का अभाव	◆ विद्यालय स्तर पर सतत मूल्याकंन की व्यवस्था हेतु अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
◆ विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में कमी।	◆ विकलांग बच्चों का जनपद में सर्वेक्षण करवाकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0 आई0 को बच्चो के लिए उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
◆ विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन का अभाव।	◆ विशेष कार्य करने वाले V.E.C., C.R.C, B.R.C अध्यापक एंव छात्रों को के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।

बालिका शिक्षा की समस्याः-

◆ शिक्षा के प्रति रूचि होंने के बावजूद घरेलू कार्यो एवं सामाजिक मान्यताओं के कारण बालिकाए शिक्षा से दूर हो जाती है जिससें उनका व्यक्तित्व निर्माण अवरूद हो जाता है।	◆ शैक्षिक अभियान चलाकर पुरातन सामाजिक मान्यताओं पर कड़ा प्रहार किया जायेगा तथा लिंग समानता का विचार जन–जन तक पहुँचाया जायेगा। ◆ विकास खण्ड स्तर पर बालिका छात्रावासों की व्यवस्था कर 50 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग यथा अनु0जाति एवं अनु0जन जाति के छात्राओं के लिए आरक्षित किया जायेगा तथा छात्रा संवासनियों का चयन ब्लाक स्तरीय चयन समिति के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। छात्रावास का प्रबन्ध महिलाओं द्वारा ही किये जाने की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जायेगी।(संलग्नक देखे) ◆ कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिए विद्यालय समय के पश्चात् विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी तथा इस कोचिंग हेतु नियोजित बस्ती की शिक्षित महिला को प्रशिक्षक बनाया जायेगा। यदि उस बस्ती में शिक्षित महिला न हो तो निकटवर्ती गाँव की महिला को प्रशिक्षक बनाया जायेगा जो कोचिग के समय छात्राओं के गृहकार्य को भी पूर्ण करने में सहायता करेगी।

- लिग भेद के कारण महिलाओं/ छात्राओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

- लिंग भेद और [illegible]स्य को समाप्त करने हेतु पुरूष महिला समानता पर [illegible] का अभियान चलाया जायेगा।
- महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु महिला मंगल दल, महिला समाख्या, मैती सदस्यों बाल विकास परियोजना में कार्यरत कार्यकर्ता, ए0 एन0 एम0,कला तथा जनसम्पर्क समूह, ग्रामशिक्षा समितियों तथा जागरूक नागारिकों का सहयोग लिया जायेगा।
- इसके निमित्त जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान में महिला शिक्षा एंव विकास विभाग का गठन किया जायेगा ओर इसके संचालन हेतु चार सदस्यी समिति का निर्माण होगा। इसका एक सदस्य सरकारी क्षेत्र से तथा 3 सदस्य गैर–सरकारी क्षेत्र से होगी। सभी सदस्य महिलाऐं होगी।
- प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक आठ सदस्यीय महिला प्रकोष्ठ का गठन किया ज़ायेगा। जिसका मुख्य कार्य महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की पहचान कर उनका निदान करना तथा तत्सम्बन्धी सूचना से डायट स्थित महिला शिक्षा एवं विकास विभाग को अवगत करना होगा।
- महिला पुरूष भेदभाव को कम करने हेतु जेण्डर सोसाइटीजेशन एंव सामुदायिक सहयोंग से गोष्ठियो, सेमीनाऐं आदि का आयोजन करना ।
- डायट स्तर पर महिला शिक्षा एंव विकास विभाग द्वारा माताओं के संगठन को प्रशिक्षित किया जायेगा।

●●●

LIBRARY ... CENTRE
National ...
D-11916

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

नवीन विद्यालय :-

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत्– प्रतिशत् नामाकंन कराने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तियां जहाँ के बच्चे अन्य निकटस्थ विद्यालयं में पहुँचने में कठिनाई महसूस करते है और अपनी शारीरिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जातें हैं, उन वस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करके नामाकंन को बढाया जायेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए सर्व प्रथम सम्पूर्ण जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असेवित एवं अपहुँच वाली बस्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान की मंशा 2003 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शत् प्रतिशत् नामांकन की है अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य इस अवधि के पूर्व ही करा लिए जायेगे। ताकि 2003 तक शत् प्रतिशत नामाकंन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। असेवित बस्तियों मे नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारणी में दशायें गयें है।

निर्माण कार्य की प्रक्रिया :-

निर्माण की प्रकिया निम्नवत होगी।

1 साइकोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असंवित बस्तियों में आवश्यकता के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रस्तावित किया जायेगा।

2 स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जायेगी।

3 स्थल चयन के पश्चात् ग्राम शिक्षा निधि में प्रथम किश्त की धनराशि, अवमुक्त कर दी जायेगी।

4 विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एंव प्रधानाध्यपक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। धन का हिसाब किताब प्रधान अध्यापक के पास रहेगा।

5 धनराशि ग्राम शिक्षा निधि में पहुँच जाने पर निर्माण कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार ... प्रधानाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

2 *फर्नीचर :-*

परिषदीय प्रा0 विद्यालयों में कम से कम 4 कुर्सी, 2 मेज एवं एक अलमारी, टाट पटटी, बाल्टी, लोटा एवं घन्टों की व्यवस्था की जायेगी।

3 *साज- सज्जा :-*

साज सज्जा हेतु प्रत्येक प्रा0 विद्यालयों में रू0 2000/- प्रतिवर्ष तक प्रत्येक उच्च प्रा0 वि0 हेतु रूपया 2000/- प्रति वर्ष की दर से दिया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु प्रयास :

जनपद रुद्रप्रयाग की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि वर्ष के आधे भाग में बालिकाओं का ग्राम से बाहर जाना संम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए यहां की बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत न्यून है। उसमें भी अनुसूचित जाति एवं अनु0जाति की बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। बालिकाओं में शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक गॉव में विद्यालय शिशु शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साक्षरता दर कम होने का प्रमुख कारण उनकी आर्थिक स्थिति का भी कमजोर होना है। परिवार के अधिकतर सदस्यों को रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर जाना पड़ता है। तथा 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं को गृहकार्य, छोटे भाई–बहनों की देख–रेख तथा भोजन पकाना आदि कार्य करना पड़ता है।

ऐसी बालिकाओं हेतु जिन्हें अभिभावक के मजदूरी पर जाने के कारण परिवार के छोटे बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है। उन्हें विद्यालय में लाने के हेतु शिशु केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी।

बालिका शिक्षा हेतु ऐसे पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा जिसके द्वारा उन्हें साक्षर बनाने के साथ– साथ गृह कार्य कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई एंव आर्थिक प्रगति में सहयोगी अन्य गृहउपयोगी कार्य जैसे – आचार निर्माण, मुरब्बा निर्माण आदि विधाओं का समावेश किया जायेगा। अभिभावक के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि बालिकाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिन्टमीडिया, बैनर, पोस्टर एंव जनजागरण अभियान चलाकर ये समझाया जाना आवश्यक है कि यदि बालिका अशिक्षित रह गयी तो समाज का किसी भी प्रकार से विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। क्योकि ये समस्त बालिकाएं ही आगे चलकर एक–एक परिवार का भार अपने कन्धों पर लेगीं। और यदि वे स्वंय शिक्षित नहीं हैं तो समाज की अगली पीढ़ी को शिक्षित कर पाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएगी। साथ ही गृहस्थी सम्बन्धी कार्यों को भी सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित नहीं कर सकेंगी। इसके लिए ऐसी बालिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उम्र की वजह से कक्षा 1 या 2 में प्रवेश लेने में झेंप महसूस करती हैं, उनके लिए बालिका शिक्षा शिविर लगा कर उन्हे योग्यता के अनुसार सीधे अगली कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा।

ऐसे स्थान जहां की भौगोलिक एंव आर्थिक स्थिति इन बालिकाओ के शिक्षित होने में बाधक है, जहॉं पर दूर दूर तक विद्यालय नहीं है, जहॉं की लड़कियॉं अन्य कार्यों में संलग्न हैं, वहॉं पर ब्रिजकोर्स पूर्ण रूप से आवासीय होगे। और उनके शिक्षण के साथ साथ कपड़ो की सफाई एंव स्वच्छता आदि का भी ध्यान

रखा जायेगा। इससे पूर्व इन बालिकाओं के अभिभावकों को ...

उनके शिक्षक के रूप में महिला अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि अभिभावक बीच में अपनी बालिकाओं से मिल सके और ये जान सकें कि उनकी बच्चियों शिविर में रह कर कुछ सीख रही हैं।

जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ के अनेक ग्राम/बस्ती मानक के अनुसार असेवित है इसलिए विभिन्न वय वर्ग की बहुत सी बालिकाओं का विद्यालय तक पहुचना सम्भव नहीं हो पाता। अतः उनको शिक्षा की मुख्य धारा में पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना/ शिक्षा गारण्टी योजना प्रारम्भ की जायेगी। इन केन्द्रो को आकर्षक एंव रोचक बनाने हेतु बच्चों के पठन पाठन सामाग्री के साथ–साथ उनके शारीरिक ,मानसिक एंव बौद्विक विकास मे सहयोगी सामग्रियों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उनके ड्राप आउट को समाप्त करने हेतु इन केन्द्रो पर महिला अभिभावको से सम्पर्क के समय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा। बच्चियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके लिए परिसर में ही ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पूर्व से संचालित आंगनवाड़ी, बालवाडी, आदि केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत उन्हे अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर एवं उनकी कक्षाएं निकट के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित करवा कर उन्हें गतिशील बनाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सुदूर स्थिति गांवो एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों को प्राथमिकता के आधार पर सेवित किया जायेगा।

समस्त जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर किसी विशेषता (अपहुँच वाला गांव, अनु0जाति बाहुल्य गाँव इत्यादि) के आधार पर एक माडल ग्राम का चुनाव किया जायेगा एवं इस गॉव में बालिकाओं का शत प्रतिशत नामाकंन कराकर उन्हें सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार से उपयोगी शिक्षण सामाग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षित किया जायेगा। एंव यहां के नामाकंन प्रतिशत एंव उपलब्धियों की सम्पूर्ण न्याय पंचायत मे प्रचारित करने हेतु माडल क्लस्टर विलेज द्वारा साक्षर की गयी बालिकाओं के माध्यम से गांव गांव में गोष्ठी, नाटक एवं नुक्कड़ सभाओंके आयोजन द्वारा जन जागरण अभियान चलाकर पूरी न्याय पंचायत का शत् प्रतिशत बालिका नामाकंन लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। तथा सभी बालिकाओं को कक्षा –2 तक की शिक्षा देने के उपरान्त् उन्हें विद्यालयोंमे प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

आर्थिक रूप से परिवार के मददगार न होने पर विद्यालय को सत्र के बीच में छोड़ने वाली बालिकाएं, शिक्षण सत्र के मध्य में गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण शिक्षा छोड़ने वाली बालिकाओं, बाल विवाह के कारण सत्र के मध्य विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएँ एवं अन्य कारणों से शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सर्वप्रथम पैरा टीचर्स की नियुक्ति कर गाँव–गाँव में ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया

जायेगा। इसमें सर्व प्रथमः मुख्य कार्य गॉव की माइकोप्लानिंग कराकर ड्राप आउट हुई बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जायगा। उनक ड्राप आउट होने के कारणों की खोज एंव विश्लेषण किया जायेगा। अभिभावकों को पुनः बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उस गाँव में संचालित ग्रीष्म कालीन शिविरों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा तथा शिविर के पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि निर्धारित समय के अन्तर्गत ही उसे समाप्त कर नए सत्र में आरम्भ होने वाली कक्षाओं में उनका प्रवेश कराया जा सके।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव योजना का संचालन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत विभागीय पाठ्यक्रम के साथ-साथ भावी जीवन के लिए उपयोगी कार्य कलापों का समादेश किया जायेगा। इसमें घर की स्वच्छता, साज सज्जा, बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियॉ तथा उनके उपचार आदि को सम्मिलित किया जायेगा। नारी जीवन में गृहणी के कार्यो से सम्बन्धित क्रिया-कलाप जैसे अचार, मुरब्बा आदि का निर्माण तथा उनको सुरक्षित रखने की विधि आदि का भी समादेश किया जायेगा। जिससे बालिकाएं अपने शिक्षण काल में ही स्वंय उनके निर्माण एंव प्रयोग में दक्ष होकर अपने भावी जीवन में स्वावलम्बी बन सकें एंव परिवार की आर्थिक दशा को सुदृढ करन में सहभागिता निभा सकें।

उपरोक्त सभी योजनाओं की सफलता तथा बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामाकंन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तको का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल प्रदेश में पुरूषों एंव महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 84.01 एंव 60.26 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग में पुरूषों की कुल साक्षरता 90.73 प्रतिशत एंव महिलाओं की कुल साक्षरता 59.98 प्रतिशत दर्शायी गयी है।

महिला साक्षरता :-

किसी भी राष्ट्र का विकास वहॉ की महिला साक्षरता से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि महिला के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामाकंन शत् प्रतिशत् करने के साथ ही सभी वर्गो की बालिकाओं का नामाकंन सुनिश्चित किया जायेगा।

बालिका शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। 3-6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामाकंन में वृद्वि हुयी है। बालिकायें अक्सर इस वय वर्ग में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नही जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं हेतु कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

परिणामस्वरूप विद्यालय की उपस्थिति में वृद्वि हुयी एंव ड्राप आउट की संख्या में कमी आया ।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ :-

बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न योजनाएं प्रस्तावित है :-

1 बालिकाओं के माता पिता अपनी लड़कियो को दूरस्थ स्थापित विद्यालयों में भेजना उचित नहीं समझते अतः विद्यालय विहीन 1.5 कि0 मी0 की परिधि एंव कम से कम 200 की आबादी पर नवीन विद्यालयों की स्थापना की जायेगी एवं 300 की आबादी से अधिक तथा 3 कि0 मी0 की परिधि पर प्रत्येक बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें।

2 प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एंव पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

3 प्रत्येक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षिकायें हो ऐसा प्रयोग किया जायेगा।

4 माता शिक्षक संघ एंव महिला प्रेरक समूहो का गठन कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को कम किया जायेगा।

5 बालिकाओं के नामाकंन एंव ठहराव में वृद्वि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।

6 जनपद में बालिका शिक्षा के समन्वय एवं देखरेख एक पूर्ण कालिक जिला समन्विका की व्यवस्था नियमानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

7 समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं एवं विद्यालय वातावरण आदि पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं।

8 ऐसी बालिकायें जो औपचारिक विद्यालय में नहीं जा सकती, उनका ई0जी0एस0 में प्रवेश कराया जायेगा।

9 11–14 वय वर्ग की बालिकाओं जो गॉव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालकों के साथ विद्यालय में नहीं पढ़ने जाती, उनके लिए अलग नवाचार ए0आई0ई0 खोले जायेगे।

10 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जायेगें।

कार्यक्रम

जनजागरण अभियान :-

जनपद – रुद्रप्रयाग में 2542 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामाकंन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जायेगें। विशेषकर विकासखण्ड ऊखीमठ एवं जखोली में बालिकायें घरों में काम करती है। या अल्पसंख्यक जातियाँ अपेक्षाकृत अधिक पिछडी हुयी हैं। इनके लिए माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रभात फेरियाँ जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठको का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन संख्या :-

1 समस्त ग्राम समितियो को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगे।

2 महिला प्रेरक समूहो एवं एम0 टी0 ए0 का गठन एंव प्रशिक्षण।

3 जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच :-

जनपद के अत्यन्त पिछडे एंव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल क्लस्टर ग्राम सभा का विकास किया जायेगा।

न्याय पंचायत को माडल बनाकर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा । इन क्लस्टरों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगे ताकि इन न्याय पंचायतो की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति स्वाभाविक लगाव भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतो में बालिकाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यकम प्रस्तावित है जैसे ग्रीष्मकालीन शिविर किशोरी संघो का गठन, लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि का आयोजना।

विशेष नामांकन अभियान :-

चयनित क्लस्टर में पार्टीसिपेन्ट्री रूरल एप्रोच विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आंकड़ो के आधार पर उपरोक्त विकास खण्डो में नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इस सम्बन्ध में समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूहों का सहयोग लिया जायेगा एंव निम्न कार्यकम आयोजित किये जायेगें।

1 इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठियो का आयोजन, फिल्म प्रदर्शन, बैनर चार्ट पोस्टर एवं कला जत्था के माध्यम से माता पिता एंव अभिभावकों

को प्रेरित किया जायेगा।

2 माँ – बेटी मेला आयोजन : ग्राम स्तर पर माँ, बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा उसके माध्यम से माताओं को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

3 ग्राम सभा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला : इस कार्यक्रम के तहत एम0 टी0 ए0, पी0 टी0 ए0, बी0 ई0 सी0 महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन0 पी0 आर0 सी0 केन्द्रों के समन्वयकों आदि के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

4 ग्राम शिक्षा समितियो, महिला प्रेरक समूहो का गठन एंव प्रशिक्षण : बालिकाओ की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, नामांकन विद्यालय में ठहराव में वृद्वि हेतु बी0ई0 सी0 एवं एम0 टी0 ए0 आदि को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यस्था की जायेगी । इसके लिए जि0 प्रा0 शि0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूशा प्रयोग की जायेगी।

5 बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने वाली कक्षा द्वारा कक्ष प्रकियाओं तथा गतिविधियों से अवगत कराने हेतु विकासखण्ड संसाधन तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों तथा सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा शिविर :-

शालात्यागी बालिकाओ को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु : ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु 30 दिन का ग्रीष्मकालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको कक्षा विशेष में पुनः नामाकित कराया जायेगा यह शिविर प्रा0 एंव उ0प्रा0 विद्यालयों में चलाये जायेगें। क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्राप आउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

विकास खण्ड के नाडल क्लस्टर/अन्य क्षेत्रो की चयनित ग्राम सभाओं में दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं के अभिभावकों , स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रधानों एवं अन्य समूहो कों बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आयोजित किये जायेगें ऐसे शिविर नगर क्षेत्र रूद्रप्रयाग तथा ऊपर उल्लिखित दो विकास खण्डों में प्रस्तावित किये जायेगे। इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम :-

जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को खिलौना बनाना, कला, चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढाई, बुनाई आदि की शिक्षा के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियों, मिट्टी के खिलौने कागज के खिलौने, एवं कागज के समान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत कृषि पशुपालन, पुस्तककला, धातु कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान देकर छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति आर्कषण पैदा किया जायेगा।

विशेष वर्ग की शिक्षा - समेकित शिक्षा :-

भारत की लगभग 5–10प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकंलागता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजानिकीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रासित बच्चो को विद्यालय नहीं लाया जाता। इसके पश्चात् एक मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हे विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा और इन बच्चों के लिए समेकित अथवा व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :-

मुख्य रूप से विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता।
2. श्रवण एंव वाणी विकंलागता।
3. अस्थि विकार विकलागता।
4. मानसिक मन्दता।
5. अधिगम मन्दता।

विकलांगता / अक्षमता के कारण :-

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/ अक्षमता जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। बच्चो की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं।

1. बौदिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर।

2 देखने में कठिनाई सुनने एवं चालन न ...

3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों में तालमेल न होने से क्रिया कलाप न ...

4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें आदि।

5 दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है।

- माता पिता के स्नेह में कमी।
- सीखने के समान अवसर का न मिलना।
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

<u>अक्षमता के परिणाम :-</u>

1. बच्चों में :-

- आत्मनिर्भरता में कमी।
- चलने में परेशानी।
- समाज में उपेक्षित।

2. परिवार में :-

- अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।
- आर्थिक बोझ अधिक आदि।

3 अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीकि की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का

ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की तकनीकि की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिन [illegible] आर रूप धारण कर गया चुका है।

4. **संवेदीकरण :–**

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक है–

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एवं भाई–बहनों का संवेदीकरण मार्गदर्शन ।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं, किन्तु इन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवयकता है। उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उनके लिए उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिये बच्चों को डाक्टरों की एक टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक्स, एक इ.एन.टी. डाक्टर एवं एक आई स्पेस्लिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेन्ट कराया जाता है। फिर आवश्यकतानुसार उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है। इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।–

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बान्द्रा, मुम्बई।
3. एलिम्को, जी.टी. रोड, कानपुर–208016।
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद।
7. नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, काटेन ग्रीन, एल.पी. कॉम्प्लेक्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

9. यू.पी.विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 का दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र, रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :-

शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया है जो पाँच विकलांगताओं यथा-दृष्टि,श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोकस किये गए है।जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये 'आप क्या कर सकते है।' फोल्डर विकास किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा-3 पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में 'दोस्ती' नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में विकलांगता के विषय मे शामिल किया गया है।

8. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम का समावेश होता है।

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझाना।
- इन बच्चों के सभी समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा-कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

9. स्वंय सेवी संस्थाओं की भागीदारी :-

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्न पात्रताएँ रखती हों।

- संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
- विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

सामुदायिक गतिशीलता :-

6–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक होती है।

गॉव एवं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चत करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरों में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अनेक अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

फोकस ग्रुप डिस्कसन :-

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर विभिन्न समस्याओं पर फोकस ग्रुप डिस्कसन कराये गये। इन ग्रुप डिस्कसन में ग्राम प्रधान गणमान्य व्यक्ति अध्यापक, अभिभावक अधिकारियों, अल्प संख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा प्रभिभाग किया गया।

फोकस ग्रुप डिस्कसन में नामांकन, भवन, विज्ञान, शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, मकतब को सुदृढ़ करना, गणवेश, बालिका शिक्षा आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता :-

ग्राम में ग्राम शिक्षा पर चर्चा की गई। सामुदायिक गतिशीलता को बनाये रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है। समुदाय को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है।

जिले भर में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ है। पंचायत राज व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ग्राम पंचायतो को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अत्यन्त आवश्यक हैं। जनपद में वर्ष 2002 में 100 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संसाधन के निर्देशन मे न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि दो दिन की होगी तथा प्रशिक्षण स्थल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र होगें।

विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने में सामुदायिक भूमिका :-

सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त विद्यालय मे जो समस्याएं है उनका निराकरण करने मे समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नही सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :-

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण एवं पुष्पबाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी तथा उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय मे उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज-सज्जा में सहयोग :-

विद्यालय में फर्नीचर टाट पट्टी, श्याम पट्ट चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कॉपी आदि की सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत उन्हें करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियता :-

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चाहरदीवारी निर्माण, मिट्टी भराव एवं विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय गणवेश निर्माण मे सहयोग :-

वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु बच्चों के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगो की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससें बच्चें अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चें अपने को अपराध भावना से देखें और स्वंय भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सके।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृति :-

राष्ट्रीय पर्वो मे प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोडा जायेगा। प्रतियोगिताएं आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग :-

समुदाय के शिक्षित लोगो को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालयो में शिक्षण कार्य के लिए समय दे तथा अध्यापक के कार्य मे सहयोग करे।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग :-

ग्राम के शिक्षित एवं सम्मानित व्यक्तियों शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जाये कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे। और मासिक रूप से उसका अनुश्रवण भी करे तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करे।

●●●

अध्याय –

परियोजना का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 – 2010 तक होगी। इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा। इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय समय पर समीक्षा और रणनितियों के परिर्वतन के लिये इसे तत्पर रहना होगा। इसमें सबसे निचले स्तर पर जवाब देही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा । अध्यापको एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रबन्ध तंत्र –

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीला प्रणाली के अर्न्तगत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित किया जाना है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित किया गया है तथा वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्धक तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है।

निर्णय कर्त्ता	प्रबन्धक तन्त्र	अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एन.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.
संगठनात्मक ढॉचा – नीति निर्धारण		

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1 ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष होगा ।

2 ग्राम पंचायत मे स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।

3 बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दष्ट किये जायेगे।

अधिकार एवम् दायित्व : -

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :-

1. पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
2. बेसिक स्कूलो के प्रचार, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
3. बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
4. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझे जायें।
5. पंचायत के सीमाओं के अंदर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों पर ऐसी रीति से जैसे नीहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
6. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए. महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिऐ परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण

(Convergence) इसी समिति का कार्य एवम् ...

शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा ...

है ।

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति :-

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी ।

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है:–

1.	ब्लाक प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम् अध्यापक	–	सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वय एवम् क्रियावन्य में आ रही कठिनाईयाँ को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करना है।

ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन किया गया है। इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –

1	खण्ड विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित	–	सदस्य
4.	क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति/ पिछड़े वर्ग एक का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित	–	सदस्य
5.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1)	–	सदस्य

6 प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1) – सदस्य

7 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य / सचिव

अधिकार एवम् दायित्व :-

इस कोर टीम का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विद्यालयों शिक्षकों, बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / आँकड़ो का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक पर संकलन समन्वयों के साथ बैठक का आयोजन करना इस टीम के प्रमुख दायित्व के रूप में संदर्भित है।

संकुलन संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.) :-

जनपद के भौगोलिक स्थितियो को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम 12 विद्यालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इन्हें सुसज्जित किया जाऐगा । संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

कार्य एवम् दायित्व :-

1. संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना ।
2. अध्यापकों की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विर्मश करना ।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना बनाना ।
5. संकुल स्तरीय सूचनाओं / ऑकड़ों का संकलन करना ।

ब्लाक संसाधन केन्द (बी.आर.सी.) N.P.R.C.

इस जनपद में सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा तथा इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विद्युतकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधों से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी। विकास खण्डों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सह समन्वयक

की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

कार्य एवम् दायित्व :-

1. अध्यापकों के लिए अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
3. विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
4. ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
5. संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
7. विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटराइज आँकडें तैयार करना ।
8. विद्यालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।
9. प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
10. विकास खण्ड में संकुल एवम् विद्यालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवम् डायट को अवगत करना है।

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
प्राचार्य/डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवम् लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर.ई.एस)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्लू.डी)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षाविद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य
विश्व विद्यालय एवम् महाविद्यालयों से	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्ण माला. क्रम से)	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवम् दायित्व :-

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी । जिले स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुऐ इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवम् जनसहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवम् शैक्षिक अंगों को माननीय होगें। प्रवेश, धारण, गणवत्ता, संबधन, निर्माण की तकनीकी आदि के लिये सभी कार्य सभी समिति द्वारा निर्धारित किये जाएगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान की संरचना, संचालन एवम् निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रमों के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति में होगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :-

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अर्न्तगत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसका स्वरूप निम्नवत है –

जिला पंचायत अध्यक्ष — अध्यक्ष

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से हों	सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	
विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
जो समिति का सहायक उप सचिव होगा	

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद के नियमों और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।.
2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
3. ऐसे बेसिक स्कूल के विकास प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

प्रशासनिक तन्त्र :-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा ।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे स्टाफ के पद सृजित कर तैनाती सुनिश्चित की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय की संरचना:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी

2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई.जी.एस./ए.आई.ई)	01
3.	समन्वयक	04 (राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर)
4.	सलाहकार	02 (रू 10000/– नियत वेतन प्रति पद)
5.	सलाहकार	01 (रू 7000/– नियत वेतन प्रति पद)
6.	सहायक लेखाधिकारी	01
7.	लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	01
8.	परिचारक	02

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने –अपने विकास क्षेत्र के प्रभारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली

(ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना कार्यालय में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी; कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण तथा आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा।

विद्यालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक एवम् सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र भरने सूचना संकलन एवं विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाएगी।

आँकड़ें का उपयोग :-

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे जी.ई.आर.ड्राप आउट दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय

विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के सकलन म समय का बचत हो सके और कार्ययोजना की संरचना में समयनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

ऑकड़ों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में शिक्षा गांरटी केन्द्र/ नवाचार वे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान करने में एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्ह करण में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति मे बालिकाओं के कम नामकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण मे विकलांग बच्चों के चिन्ही करण तथा उन्हे उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में अत्यधिक प्रभावी होगी ।

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान :-

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की महती आवश्यकता है। नवसृजित जनपद होने के कारण यहाँ डायट नहीं है। अतः जनपद चमोली के गोचर स्थित डायट से ही अभी सहयोग लिया जा रहा है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान व्यपक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखतें हुये जनपद रूद्रप्रयाग में डायट की स्थापना तथा उसका सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है।

इस योजना के अर्न्तगत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।
2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों कें सम्पर्क मे रहना तथा शिक्षा में नवाचार, अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों तथा शोध अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना, ताकि जिला विकास खण्ड एवंम् ग्राम स्तर किया जा सके ।
3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।
4. जिला स्तर पर शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।
5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्कतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवम् नियन्त्रण करना ।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारीयों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11916
Date ....

8. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे करना।

9 जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10 शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11 शिक्षकों, समन्वयकों, ई.सी.सी.ई. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12 एम.आई.एस के माध्यम से शैक्षिक आँकडों का विश्लेषण करना तथा संकलित को विश्लेषण कराना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13 जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्विय कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी की का प्रकाशन ।

परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली :-

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी और जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

निधि का प्रवाह :-

जिले की वार्षिक योजना एवम् बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण, अकादमिक,पर्यवेक्षक /अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी

इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यादायी संस्थाओं जैसे – ग्राम शिक्षा समिति स्वय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते में हस्तान्तरित की जायेगी । जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवम् व्यय – धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान

(राष्ट्रीय प्रकोष्ठ)

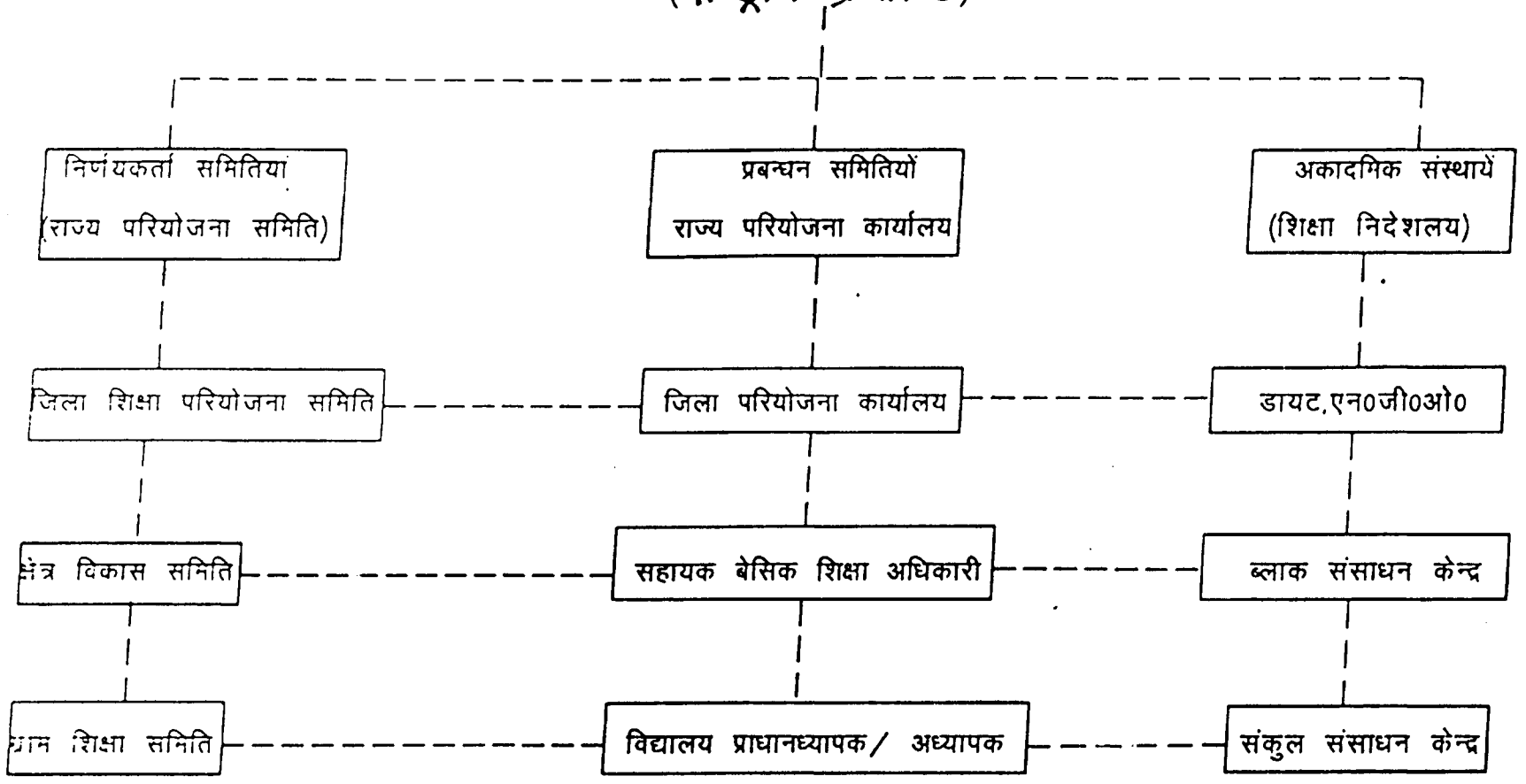

●●●

वर्ष 2002–03 हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्य विवरण

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम का नाम	पुर्ननिर्माण		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		शौचालय		पेयजल		चाहरदीवारी		CRC/ NCRC	BRC
		प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0		
1	उखीमठ	6	3	9	3	35	8	45	5	20	3	5	
2	अगस्तमुनि	12	5	23	7	80	14	70	10	40	5	10	
3	जखोली	9	5	10	3	50	8	30	5	20	3	5	
योग		27	13	43	13	165	30	145	20	80	11	20	

वर्ष 2002–03 हेतु प्रस्तावित E G S व E C C E केन्द्रों का विवरण क्षेत्रवार

क्र0स0	क्षेत्र का नाम	E G S	E C CE	E C C E (I C D S)
1	उखीमठ	30	50	0
2	अगस्तमुनि	30	120	10
3	जखोली	5	0	0
योग		65	170	10

कार्यक्रम प्रगति आख्या

सर्व शिक्षा अभियान

सारिणी ए पिछले वर्षों के कार्यक्रमों की प्रगति वर्ष २००१–२००२ जनपद – रूद्र प्रयाग

भारत सरकार के मानवसंसाधन मन्त्रालय द्वारा जनपद रूद्रपयाग के सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष २००१– २००२ के लिए निम्न कार्यो हेतु निम्न धनराशि प्रदान की गयी है, जिसका विवरण अग्रलिखित है।

१. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए साजसज्जा/ एवं (बैठक व्यवस्था हेतु कास्टोपकरण) हेतु २० विद्यालयों को पचास हजार की दर से १० हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसका व्यय वर्ष २००१ में नहीं हो सका। यह धनराशि पूर्ण रूप से जनपद के पास शेष हैं। इसलिए वर्ष २००२–०३ में किया जाना प्रस्तावित है।

२. शिक्षा गारण्टी स्कीम के अर्न्तगत जनपद की मांग के अनुरूप चालीस शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के लिए ४८ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

३. जनपद रूद्रप्रयाग में अतिरिक्त कक्षाकक्षों निर्माण हेतु सात विद्यालयों को ७० हजार की दर से चार सौ हजार नब्बे हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

४. पुराने पडे प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए पाँच विद्यालयों को चयनित किया गया। उनको १३७५ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। जिनका निर्माण वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

५. पुराने पडे एवं क्षतिग्रस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु १२ लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। इनका विद्यालयों का पुनर्निर्माण भी वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

६. जनपद में पीने के पानी के लिये १८ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ३६० हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है। इसका व्यय २००२–०३ में होना है।

७. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल ५४७ विद्यालयों को २७३५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग विद्यालय साज–सज्जा पर २००२–०३ में कर दिया जायेगा।

८. जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए १०६ पैराटीचर की व्यवस्था हेतु मानदेय के लिए ७१५.५ हजार रूपयों की स्वीकृति दी गई है। इसका व्यय भी २००२–०३ में किया जाना है।

९. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हाई स्कूल इण्टर कालेजों में कक्षा ८ तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक संगठन की बैठक कराने हेतु ६४७ विद्यालयों को १२९४ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उपयोग भी वर्ष २००२–०३ में किया जायेगा।

१०. इनोगेटिग कार्यक्रमों हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में १२४ हजार रूपयों की माँग की गई थी। यह धनराशि वर्ष २००१–०२ में अवमुक्त नहीं हो सकी। अतः इसका उपयोग वर्ष २००२–०३ में किया जायेगा।

११. तकनीकी शिक्षा की जानकारी हेतु ग्रीष्म अवकाश के समय विद्यालयों से बाहर तीन दिवसीय कैम्पों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा। जिसके लिए २८० हजार रूपयों की माँग की गई थी।

१२. बालिका शिक्षा की दर में वृद्वि करने हेतु प्राथमिक स्तर पर गणित, विज्ञान एवं अंगेजी पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं को मानदेय के रूप में दिये जाने हेतु शासन द्वारा १० दिवसीय प्रशिक्षण के लिए २५० हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की है

१३. प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए १८ अध्यापकों का वेतन २२४ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है।

१४. आँगनवाडी केन्द्रो के विकास के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक केन्द्र को सामग्री वितरण हेतु एक लाख रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

१५. जनपद की ६८ केन्द्रों पर कार्यरत आँगनवाडी सेविकाओं के मानदेय हेतु शासन ने ३४ हजार रूपयों की स्वीकृति दी है।

१६. आँगनवाडी में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के मानदेय के लिए २५.५ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

१७. आँगनवाडी कार्यक्रमों के तहत व्यय होने वाली सामग्री के लिए ३४ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है।

१८. आँगनवाडी में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के लिए २० दिवसीय पुर्नबोध प्रशिक्षण के लिए ६५.२ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है।

१९. ग्रामीण क्षत्रों में जनजागृति करने की इच्छा से एम.टी.ए. को संगठित किया गया है। उनको दो दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु शासन द्वारा ५६ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२०. शिक्षा के प्रति जनजागृति करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कला जत्था बाल मेला आदि द्वारा प्रचार प्रसार करने हेतु शासन से १०२ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२१. ग्रामीण क्षेत्रों के १०० गाँवों में ८ सदस्य प्रति गाँव के हिसाब से ८०० सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए शासन द्वारा ४८ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२२. जनपद के एस.सी./ एस.टी. बच्चों को विशिष्ट शिक्षा देने के लिए शासन ने २१५.२ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की है। जो बच्चों की उचित शिक्षा देने में व्यस की जायेगी।

२३. बी.आर.सी. सेन्टर में नियुक्त नौ समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु ६.३ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२४. सी.आर.सी सेन्टरों के समन्वयकों को १० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ३३.६ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

२५. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डायट के रिसोर्स पर्सन को २० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १६.८ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

२६. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षको के पुर्नबोध प्रशिक्षण के लिए ५४.६ हजार रूपयों की स्वीकृति की गई है।

२७. जनपद रूद्रप्रयाग में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु २.१ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२८. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की देखरेख करने वाले इन्जीनियर तथा जूनियर इन्जीनियर के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १.४ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

२६. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापकों को सर्वशिक्षा की जानकारी दिये जाने के लिए १५२३ अध्यापकों के लिए १०६६.१ हजार रूपयों की व्यवस्था सुनिश्चित है।

३०. ए.डब्ल्यू.पी.वी. के कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं पत्राचार के लिए १५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३१. लिंगभेदीय जानकारी हेतु अध्यापकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए १५.७५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३२. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक सामग्री निर्माण हेतु ७६१.५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३३. परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस.सी./एस.टी. जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था है। जिसके लिए ३४५० हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है।

३४. जनपद में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा एक रिसोर्स सेन्टर हेतु ६ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत की है। जिसका व्यय वर्ष २००२–०३ में होना है।

३५. जनपद में कार्यरत समन्वयकों एवं सहायक समन्वयकों के वेतन के मद में १२८२.५ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

३६. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा जिला संसाधन केन्द्र की साजसज्जा तथा फर्नीचर की व्यवस्था हेतु ३०० हजार रूपयों की व्यवस्था सुनिश्चित है।

३७. विकास खण्ड रिसोर्स सेन्टरों के लिए स्टेशनरी व्यवस्था हेतु १२.५ हजार रूपयों की स्वीकृति दी गई है।

३८. मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु विकास खण्ड रिसोर्स सेन्टर के लिए ३६ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३९. जनपद में बने ४८ सी.आर.सी. केन्द्रों के लिए स्टेशनरी तथा फर्नीचर के लिए ४८० हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

४०. न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर के लिए स्टेशनरी हेतु ४० हजार की व्यवस्था है।

४१. न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों के लिए ११६ हजार रूपयों की स्वीकृति की गई है।

४२. जिला संसाधन केन्द्रों के चार समन्वयकों के लिए वेतन के रूप में १२० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४३. जिला संसाधन केन्द्र में दो सलाकार की मानदेय के रूप में ६० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४४. सहायक लेखाकार के मासिक वेतन हेतु तीस हजार रूपयों की स्वीकृति है।

४५. दो परिचारकों के वेतन हेतु २४ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

४६. फर्नीचर हेतु जिला संसाधन केन्द्र के लिए १०० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४७. जिला संसाधन केन्द्र में लेखन सामग्री कम्प्यूटर, टाइपराटर हेतु १०० हजार रूपयों की व्यवस्था मान ली गई है।

४८. जिला संसाधन में एक चौकीदार के वेतन हेतु १२ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४९. पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन हेतु २१ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

५०. जिला संसाधन इकाई में एक लिपिक के वेतन के लिए १३.५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५१. यात्रा भत्ता जनपद में १७ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

५२. खारिज होने वाली सामग्री स्याही, पेन, कागज आदि के लिए ८ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५३. फोटो स्टेट मशीन एवं अन्य सामग्री के लिए १०० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५४. जिला संसाधन केन्द्र में टेलीफोन एवं फैक्स हेतु १० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५५. जिला संसाधन केन्द्र में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के तेल तथा जेनरेटर के लिए तेल पर होने वाले व्यय हेतु १७ हजार रूपये स्वीकृत हैं।

५६. जूनियर इंजीनियर एवं इंजीनियर के लिए मानदेय के रूप में १८ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५७. जिला संसाधन केन्द्र में मशीनरी आदि की मरम्मत हेतु १७ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५८. जिला संसाधन द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए ४० हजार रूपये की व्यवस्था स्वीकृत की गई है।

५६. रिसर्च एवं मूल्यांकन हेतु दस हजार रूपयों की स्वीकृति दी गई है।

६०. जिला संसाधन के अधिकारियों एवं सहायक अधिकारियों की बैठकों हेतु ७५ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

६१. कम्प्यूटर आपरेटर के वेतन की मद में २१ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

६२. एम.आई.एस. सामग्री हेतु ४६० हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

६३. डाटा युक्त फार्मेटों की छपाई एवं वितरण हेतु बीस हजार रूपयों की व्यवस्था है।

६४. जिला संसाधन केन्द्र में होने वाली सामग्री के लिए ६.६६ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

६५. कम्प्यूटर में खारिज होने वाली सामग्री के व्यय हेतु ८ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

स्पिल ओवर वर्क

सर्व शिक्षा अभियान

सारिणी बी गत वर्ष छूटा हुआ कार्य जोकि आने वाले वर्ष २००२–२००३ में व्यय किया जाना है। जनपद – रूद्र प्रयाग

जनपद रूद्रप्रयाग ने सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए वर्ष २००१–२००२ में वित्त वर्ष २००१–२००२ में वित्त वर्ष के अन्तिम माह दिसम्बर से मार्च तक के लिए उक्त परियोजना के तहत तालिका ए के अनुसार धनराशि माँगी गयी थी। लेकिन नवगठित उत्तरांचल राज्य में प्रथम विधान सभा चुनाव तथा वित्तीय आवन्टर में विलम्ब होने के कारण यह कार्य समय से पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए यह धनराशि स्वीकृति का ५० प्रतिशत ही वर्ष २००२–२००३ में व्यय करने योग्य शेष रह गया जिसका स्पिल ओवर विवरण निम्न प्रकार है।

१. उचच प्राथमिक के २० विद्यालयों हेतु ककाष्टोपकरण साजसज्जा हेतु १० हजार रूपयों की व्यवस्था वित्तवर्ष के अन्तिम माह में दी गयी है जिसको कि समय से व्यय नहीं किया जा सका, यह धनराशि वित्त वर्ष २००२–२००३ के लिए शेष है, प्राथमिकता के आधार पर इसका व्यय इसी वित्त वर्ष के प्रारम्भ में किया जाना सुनिश्चित है।

२. अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण के लिए शासन द्वारा ७० हजार प्रतिकक्ष के हिसाब से ७ विद्यालयों हेतु ४६० हजार रूपयों की व्यवस्था की गयी है, जो धन राशि शेष है, इसका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

३. पुराने क्षतिग्रस्त प्राथमिकम विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु पाँच प्राथमिक विद्यलायों को वरीयता के आधार पर २७५ हजार के हिसाब से १३७५ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह धनराशि शेष है। इसका उपयोग वित्त वर्ष २००२–०३ के प्रारम्भ में किया जायेगा।

४. जनपद के ३ उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु १२०० हजार रूपयों की स्वीकृति मिली थी जो अवशेष है। इसका व्यय शीघ्र ही वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

५. जनपद रूद्रप्रयाग के सम्पूर्ण प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल विहीन थे सर्वशिक्षा परियोजना के तहत १८ प्राथमिक एवं उच्च

प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर २० हजार रूपये प्रति विद्यालय के हिसाब से ३६० हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जो शेष है, वित्त वर्ष २००२–०३ के प्रारम्भ में यह धनराशि व्यय की जानी है।

६. जनपद रूद्रप्रयाग के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख–रखाव हेतु ५१५ विद्यालयों के लिए शासन द्वारा २५७५ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं, जो कि अवशेष है। इस धनराशि का व्यय वर्ष २००२–०३ में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

७. जनपद रूद्रप्रयाग के प्राथमिक उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कालेजों के जूनियर स्तर तक के अध्यापकों को विद्यालय साजसज्जा व्यवस्था के लिए ६४७ अध्यापकों को २ हजार प्रति की दर से १२६४ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है। यह धनराशि शेष है, इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

८. उत्तरांचल राज्य की राज्य स्तरीय संस्था द्वारा ए०डब्ल्यू०पी०वी० के सदस्यों को सर्वशिक्षा अभियान सम्बन्धी ७ दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है। जोकि अवशेष है का व्यय वित्तवर्ष २००२–०३ में किया जाना है। व्यय किया जा रहा है।

९. वी०आर०सी० समन्यवकों का नौ दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित या यह प्रशिक्षण २००२–०३ में दिया जायेगा इसकी कुल धनराशि ६.३ हजार रूपये है।

१०. न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर एवं सी०आर०सी० के समन्वयकों के लिए १० दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित या जिसका व्यय २००२–०३ में किया जायेगा।

११. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रिसोर्स पर्सन का २० दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित या जिसके लिए १६.८ हजार रूपये स्वीकृत हो इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जायेगा। इसमें शेष शून्य होगा।

१२. डायट के स्टाफ को ७ दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित था जिसमें २६ व्यक्तियों के लिए ५४.६ हजार रूपये स्वीकृत है। इस धनराशि को वर्ष २००२–०३ में व्यय किया जायेगा। इसके बाद शेष शून्य हो जायेगा।

१३. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत १५२३ अध्यापकों को पाठ्यक्रम सहायक सामग्री निर्माण हेतु ५०० रूपये प्रति

की दर से ७६१.५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो अवशेष है इसका उपयोग वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

१४. जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एवं छात्राओं के लिए शासन द्वारा १५० रूपये प्रति की दर से १३०३.०५ हजार रूपयों की व्यवस्था की है, यह शेष है।

१५. जनपद में ३ विकासखण्ड संसाधन केन्द्र बनने थे, इसमें से वर्ष २००१–०२ में एक संसाधन केन्द्र की शासन द्वारा ६०० हजार रूपयों में की गई है यह धनराशि शेष है। इसका उपयोग प्राथमिकता के आधर पर वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

१६. जनपद के ३ विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों में काष्टोपकरण एवं साजसज्जा हेतु शासन द्वारा ३०० ह० रूपयों की व्यवस्था की गई है। जो शेष है, इसका प्रयोग वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

१७. जनपद रूद्रपयाग के न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के काष्टोपकरण एवं साजसज्जा हेतु ३३ केन्द्रों के लिए १० हजार की दर से ३३० हजार रूपयों की स्वीकृति है। यह धनराशि शेष है, इसका उपयोग वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

१८. जनपद के जिला परियोजना कार्यालय की साजसज्जा/काष्टोपकरण की व्यवस्था के लिए शासन द्वारा १०० हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है यह धनराशि शेष है, इसका उपयोग वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

१९. जनपद के जिला संसाधन केन्द्र हेतु सामग्री कार्यालय के लिए १०० हजार रूपयों की स्वीकृति है जो शेष हो, इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

२०. जनपद के एम०आई०एस० कक्ष की व्यवस्था हेतु ७५ हजार रूपयों की स्वीकृति दी गयी हैं जो शेष है, इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

२१. जनपद के कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन ४६० हजार रूपये प्रतिमाह की दर से २१४.१५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है, जो शेष है इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जाना है। इस प्रकार जनपद में १२२०४.० हजार रूपये अवशेष है। इसका धनराशि का व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जाना निश्चित है।

सारिणी (सी) प्रस्तावित कार्यक्रम

वर्ष २००२–०३ में व्यय किये जाने वाले बजट का विवरण

इस सारिणी के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग में वर्ष २००२–०३ में मांग की गई धनराशि क्रमबद्ध रूप से दिखाई गयी है। इसमें वर्ष २००२– का बजट सम्मिलित है।

१. जनपद के ५०० विद्यालयों (४८२ + १८) को काष्टोपकर एवं साजसज्जा की सामग्री १५ हजार की दर से ७५०० हजार रूपयों की म की गई है। यह कार्य छः माह में पूर्ण होगा।

२. जनपद रूद्रप्रयाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से २० विद्यालयों को पूर्ण में काष्टोपकरण एवं साज सज्जा हेतु धनराशि की गयी शेष में से ५५ विद्यालयों को उक्त सामग्री की मांग प्रस्तावित करते हुए ५५ विद्यालयों को २७५० हजार रूपयों की मांग की गई है।

३. वैकन्पिक नवाचार शिक्षा व्यवस्था में ई०जी०एस० ए०आई०ई की ग्रारन्ट हेतु १७५ विद्यालयों के लिए १७५० हजार रूपयों की मांग प्रस्ता है।

४. ई०जी०एस० के लिए टी०एल०ई०एस० की व्यवस्था हेतु ४००० विद्यार्थियों के अभिभावकों पर होने वाले बैठक व्यवस्था हेतु ४०० ह रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५. ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० विद्यालयों के लिए शिक्षण सामग्री बैठक व्यवस्था के लिए १७५ विद्यालयों को १.१ की दर से १०२.५ ह रूपयों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

६. ई०जी०एस० एवं ए०आई०ई० हेतु स्टेशनरी हेतु ८१.६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७. ए०आई०ई० के १२ केन्द्रों में स्वयं सेवक के मानदेय हेतु १५८.४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८. ई०जी०एस० में कार्यरत स्वयं सेवकों के मानदेय हेतु इस परियोजना में १६३ ई०की०एस० केन्द्रों के लिए १६५६ हजार रूपयों की म

प्रस्तावित है।

९. ब्लाक टू स्कूल कम्पेनियन हेतु इस परियोजना में ३०० विद्यालयों को १.५ हजार की दर से ४५० हजार रूपयों की मों प्रस्तावित हैं।

१०. जनपद रूद्रप्रयाग में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु ५६ प्राथमिक विद्यालयों URS हेतु ७० हजार की दर से ३६२० हजार रूपयों की ध राशि प्रस्तावित है।

११. जनपद के १६५ प्राथमिक विद्यालयों हेतु १५ हजार की दर से २४७५ हजार रूपयों की धनराशि की मांग प्रस्तावित है।

१२. जनपद के ३० उच्च प्राथमिक विद्यालंयों हेतु १५ हजार की दर से ४५० हजार रूपयों की धनराशि प्रस्तावित हैं।

१३. जनपद के २७ प्राथमिक विद्याज्ञयों के पुनर निर्माण में २७५ की दर से ७४२५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४. जनपद के १३ उच्च प्राथमिक रूपयों विद्यालयों पुनर निर्माण हेतु ४०० हजार की दर से ५२०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

१५. जनपद के १६५ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को २०हजार रू की दर से पीने के पानी की व्यवरथा हेतु ३३०० हजार रूप की मांग प्रस्तावित है।

१६. जनपद की २० प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय भवन मरम्मत एवं रखराव हेतु ५० हजार की दर से एक सौ हज रूपयों की मांग की प्रस्तावित है।

१७. जनपद के ८० प्राथमिक विद्यालयों की चार दिवारी हेतु ४० हजार की दर से ३२०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

१८. जनपद के ११ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चार दिवारी हेतु ५० हजार की दर से ५५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

१९. जनपद में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षण व्यवरथा को व्यवस्थित करने के लिए १२२ शिक्षा मित्रों के मानदेय के रूप में ३२९४ हजार रूप की मांग प्रस्तावित है।

२०. जनपद के ७९९ प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं जूनियर स्तर तक पढ़ाने वाले हाई स्कूल तथा इन्टर कॉलेजों के अध्यापकों को शिक्ष

अभिभावक व्यवस्था के लिए २ हजार की दर से १५६८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

२१. इनोवेटिव कार्यक्रम (उठबेटी) के लिए १३१२ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

२२. जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तकनीकि भ्रमण हेतु ६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

२३. ग्रीष्म अवकाश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के दो दिवसीय कैम्प हेतु १० हजार की दर से २७० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है

२४. एम०एस०डी०ए० हेतु १४० हजार रूपथों की मांग प्रस्तावित है।

२५. एस०यू०पी०डब्ल्यू केवल उच्च प्राथमिक बालिकाओं के लिए २५० हजार रूपयो की मांग प्रस्तावित है।

२६. जनपद के १८ प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यपकों के वेतन हेतु २१६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

२७. जनपद के उच्चप्राथमिक विद्यालयों मे प्रधानाध्यपकों के वेतन हेतु १४४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

२८. जनपद की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में १०५ सहायक अध्यापकों के वेतन १२६०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

२६. जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्रों खोलने हेतु १७० की दर से ३०६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

३०. जनपद के आंगणवाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सामग्री जनपद स्तर १०० हजार रूपये की मांग प्रस्तावित है।

३१. आंगणवाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं हेतु ३६० हजार रूपये की मांग प्रस्तावित है।

३२. आंगनवाड़ी प्रमुख सेविका के मानदेय हेतु २४० हजार रूपये की मांग प्रस्तावित है।

३३. आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु ४० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

३४. आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत कार्यकरने वाले कर्मचारियों का मानदेय ३० हजार रूपयां की मांग प्रस्तावित है।

३५. आई०सी०डी०एस० में स्टेशनरी की व्यवस्था हेतु १२० हजार रूपये की मांग प्रस्तावित है।

३६. आंगनवाडी केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए १० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ५६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

३७. एम०टी०ए० के २ दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ८५.००८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

३८. जनपद में सर्व शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु गांव ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर कलाजत्था के कार्यक्रमों हेतु ३८४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

३६. जनपद के सी०आर०सी० स्तर पर सर्वशिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कला जत्था के लिए १५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४०. जपनद में सर्वाशिक्षा प्रचार प्रसार हेतु वालमेलों का आयोजन किया जाना है जिसके लिए सी०आर०सी० स्तर पर ४८ के लिए ५ हजार की दर से २४० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४१. जनपद के विभिन्न कार्यक्रमों के रिकार्ड करने हेतु वर्ष भर में ऑडियों कैसेट्स के डवलपमेन्ट हेतु वर्ष भर में ऑडियों कैसेट्स के डवलपमेन्ट हेतु १० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४२. जनंपद के कार्यक्रमों को सेचित एवं फोटोग्राफी देखने हेतु वीडियों कवरेज की व्यवस्था हेतु १० हजार की मांग प्रस्तावित है।

४३. जन जागरूकता कार्यक्रमों को जनता क बीच पहुंचाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कार्य किया जायेगा इसके लिए ५० हजार रूपयों की मांग वर्ष भर के लिए प्रस्तावित है।

४४. अच्छे ग्राम की पहिचार एवं प्रोत्साहन हेतु २५ हजार रूपये की मांग प्रस्तावित है।

४५. ग्रामीण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को सर्वशिक्षा की जानकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु १५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४६. जनपद मं सबसे अच्छे शिक्षा मित्र ई०की०एस० में कार्यरत व्यक्ति ई०सी०सी०ई० में कार्यरत सेविका के अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें पुरस्कार व्यवसी के अन्तर्गत प्रत्येक को एक–एक पुरस्कार स्वरूप प्रतिवर्ष ५–५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४७. जनपद में एस०सी०ए०टी० के छात्रों को रिमीडयल टीचिंग हेतु ४३६.२ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४८. जपनद में विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति हेतु २१५ छात्रों को सम्पूर्ण वर्ष भर के लिए २५८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

४९. जनपद के १८ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु १८०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५०. कम्प्यूटरीकृत १८ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक कम्प्यूटर शिक्षक की आवश्यकता की पूरा करने हेतु ८० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५१. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के सम्पूर्ण विद्यालयों तथा हाईस्कूल, इण्टर के जूनियर स्तर तक के बालक–बालिकाओं के स्वास्थय की देख–रेख तथा जीवन के आवश्यक निर्देशन हेतु ७६४ विद्यालयों में स्वास्थय रक्षक के मानदेयस्वरूप ३८२ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५२. जनपद के २०० प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर स्तर हाई स्कूल इण्टर के विद्यालयों में बुक बैंक एवं पुस्तकालय व्यवस्था हेतु १००० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५३. जनपद में क्वालिटी इम्प्रूवमेन्ट हेतु एस०टी०एस०सी० की बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण के तहत विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों को ग्रीष्मवकाश में ट्यूशन के अनुरूप पढ़ाने हेतु ५०० विद्यार्थियों को .०७ रूपयों की दर से ३५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५४. ई०जी०एस० आचार्य के ३० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु २६२.५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५५. जनपद में नवनियुक्त १२२ शिक्षा मित्रों एवं ए०आई०ई० के अध्यापकों के ३० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु २५६.२ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५७. जनपद में एक्सन रिसर्च हेतु प्रतिवर्ष १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५८. जनपद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के सेवा कालीन प्रशिक्षण हेतु १०१५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

५९. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढनेवाले बच्चों के लिए परिचय पत्रों के छपवाई आदि के लिए ८२६.७७ हजार रूपयो की मांग प्रस्तावित हैं।

६०. ब्लाक रिर्सास सेन्टर में कार्यरत समन्यवयकों के प्रशिक्षण हेतु ३.१५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

६१. जनपद के न्याय पंचायत/कलस्टर रिसोर्स सेन्टर के ४८ समन्वय के १० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १६.८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

६२. जनपद के B.R.C. एवं C.R.C. के समन्वयों के रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु ११.६७ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

६३. डायर के रिसोर्स पर्सन के प्रशिक्षण हेतु ८.४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

६४. डायर के स्टाफ की विकास हेतु ७ दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जिसमें ५४.६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तवित है।

६५. B.R.C., C.R.C. के समन्वयकों का मनेजमेन्ट सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था सीमेट द्वारा की जाती है, इस हेतु ८५.५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

६६. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के ५ दिवसीय प्रशिक्षण हेतु २.१ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

६७. जनपद में कार्य करने वाले ए०ई० एवं जे०ई० के प्रशिक्षण हेतु १.४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित हैं।

६८. जनपद के उच्च प्राथमिक एवं डायट के अध्यापकों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण हेतु ५२०० हजार रूपयो की मांग प्रस्तावित हैं।

६९. ग्राम शिक्षा समिति के ओरेन्टेशन प्रशिक्षण हेतु १५८.४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७०. ग्राम शिक्षा समिति के ओरेन्टेशन प्रशिक्षण हेतु १५८.४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७१. जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फल संरक्षण प्रशिक्षण हेतु १०५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७२. ए०डब्लू०पी० के परियोजना निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के लिए १५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७३. प्रदेश की उच्च प्रशिक्षण संस्था सीमेंट द्वारा ई०एम०आई०एफ० के कार्यकर्ताओं के ५ दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १२.५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७४. जनपद में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों अध्यापकों एवं एस०एस०ए० स्टाफ को लिंग भेदीय प्रशिक्षण हेतु १५.७८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७५. जनपद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति हेतु २१४४ अध्यापकों को ५०० की दर से १०७४.५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७६. जनपद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं हाई० इण्टर में जूनियर स्तर तक के बच्चों तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकें दी जाने की व्यवस्था है। जिसमें ५२७५.५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७७. जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में पत्र–पत्रिकाओं एवं बाल–साहित्य तथा सहायक पुस्तक की व्यवस्था है, इसके लिए २५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७८. जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सप्लीमेन्ट्री रीडिंग बुक्स की व्यवस्था हेतु १०५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

७९. सहायक पुस्तकों की छपाई एवं वितरण व्यवस्था हेतु ८० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८०. प्रशिक्षण सम्बन्धी श्ड्यूल की छपाई एवं वितरण व्यवस्था हेतु १६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८१. जनपद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण समाग्री छपाई एवं वितरण हेतु १६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८२. प्रशिक्षण माडूल्स के छपाई हेतु जनपद कार्यालय के लिए १० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८३. प्राथमिक छात्रों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने की व्यवस्था हेतु ४०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८४. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के मूल्यांकन निरिक्षण हेतु ४०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८५. जनपद के प्राथमिक एवं उचच प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवक्ता की परख करने हेतु बाल पुरस्कार योजना की व्यवस्था है। इसमें ४५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८६. जनपद में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए काष्टोपकरण की व्यवस्था हेतु १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८७. सहायक शिक्षण सामग्री एवं ऑडियों–वीडियों कैसेट्स एवं फोटोग्राफी केमरे की व्यवस्था हेतु २०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८८. कम्प्यूटर एवं फोटो स्टेट जनरेटर व्यवस्था हेतु डायट में ४०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

८९. सामग्री के रख–रखाव एवं संचालन हेतु १२० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९०. बिजली एवं ऑयल आदि की व्यवस्था हेतु ३० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९१. एक्सन रिसर्च एवं रिसर्च हेतु ५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९२. फेकेल्टी डवलपमेन्ट हेतु ३० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९३. आकस्मिक एवं वास्तविक विजिट हेतु ५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९४. पुस्तकालय व्यवस्था हेतु १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९५. कम्प्यूटर ऑपरेटर के वेतन हेतु ९६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९६. फोटोस्टेट मशीन एवं साइकिलों स्टाइल भसीन हेतु १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९७. संसाधनों/सामग्री के रख–रखाव हेतु १५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९८. स्टेशनरी व्यय एवं खारिज होने वाली सामग्री के लिए १० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

९९. विकास खण्ड संसाधक केन्द्रों के निर्माण हेतु १२०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१००. विकासखण्ड संसाधक केन्द्र के समन्वयकों के वेतन हेतु ४३२ हजार वार्षिक की मांग प्रस्तावित है।

१०१. सहायक समन्वयकों की वेतन हेतु ६१२ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०२. संसाधन केन्द्रों की चौकीदारी हेतु चौकीदार की व्यवस्था है इस हेतु १८० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०३. यात्रा भत्ता की व्यवस्था हेतु १५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०४. ब्लाक रिसोर्स सेन्टर में कम्प्यूटर व्यवस्था हेतु ३०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०५. सामग्री के रख–रखाव हेतु ३ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०६. पुस्तकालय व्यवस्था संचालित करने हेतु बी.आर.सी. स्तर पर पुस्तकों की मांग हेतु ३० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०७. खारिज होने वाली सामग्री हेतु १५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०८. फोटोस्टेट मशीन एवं अन्य की खरीद हेतु ३०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१०९. मशीन ऑपरेटर के वेतन हेतु ३७.५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११०. सी०आर०सी०वी०आर०सी समन्वयकों के मासिक बैठकों में आवागमन हेतु १०.८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१११. जनपद में ४८ कलस्टर रिसोर्स सेन्टरों का निर्माण होना है। जिसमें वर्तमान वित्तवर्ष में २० सी०आर०सी० केन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु ४००० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११२. सी०आर०सी० केन्द्रों के ४८ समन्वयकों का वेतन ८.५ प्रति के हिसाब से ४८६६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११३. सी०आर०सी० के लिए काष्टोपकरण हेतु १५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११४. सामग्री के रख–रखाव हेतु ६६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११५. स्टेशनरी की व्यवस्था हेतु १२० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११६. न्याय पंचायत/कलस्टर रिसोर्स केन्द्र के कर्मचारियों के मासिक बैठकों की व्यवस्था है। इस हेतु ११५.२ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११७. मासिक ग्रामीण मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु १२४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११८. सी०आर०सी०एन०पी०आर०सी० कर्मचारियों के यात्रा भत्त बिलों के भुगतान हेतु ६६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

११९. जनपद में सर्वशिक्षा व्यवस्था को संचालित करने हेतु जिला परियोजना कार्यालय की व्यवस्था भी है इनके वेतन आदि पर व्यय हेतु ५७६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२०. जपनद में दो सलाहकारों के मानदेय के रूप में २४० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२१. एक लेखाकार के वेतन हेतु ६६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२२. सहायक लेखा अधिकारी के वेतन हेतु १४४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२३. कम्प्यूटर ऑपरेटर की वेतन हेतु ६६ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२४. गाड़ी ड्राइवर का दैनिक भत्ता २० दिन अधिक से अधिक का १६.८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२५. जिला प्रोजेक्ट कार्यालय में दो परिचालकों के वेतन हेतु १२० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२६. वार्षिक पत्रिका छपाई हेतु २० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२७. चौकीदार की वेतन हेतु ६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२८. पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद हेतु १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१२९. एक लिपिक की सैलरी हेतु ८४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३०. सर्वशिक्षा परियोजना सम्बन्धी बैठकों के लिए १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३१. परियोजना कार्यालय के अधिकारियों समन्वयकों के गमनागमन व्यवस्था हेतु ५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३२. खारिज होने वाली सामग्री व्यवस्था हेतु २५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३३. फोटोस्टेट मशीन एवं अन्य सामग्री हेतु १०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३४. टेलीफोन एवं फैक्स व्यवस्था हेतु ३० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३५. परियोजना द्वारा गाड़ी एवं जेनरेटर पर व्यय होने वाले तेल बिजली आदि के व्यय हेतु ५० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३६. जे०ई० एवं ए०ई०के० मानदेय हेतु १८ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३७. सामग्री रख–रखाव हेतु १० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३८. गाड़ी मरम्मत हेतु १४४ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१३९. सुपरविजन एवं मूल्यांकन हेतु ४० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४०. स्टेशनरी व्यवस्था हेतु १० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४१. रिसर्च एवं अनुश्रवण हेतु २३६.७ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४२. जपनद में एम०आई०एस० व्यवस्था को सुचारन रूप से चलाने हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था निश्चित है इसकी सेलरी हेतु ६६

हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४३. एम०आई०एस० के सामग्री हेतु २०० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४४. विभिन्न प्रपत्रों एवं पत्रों की छपाई हेतु २० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४५. विभिन्न मशीनों के रख–रखाव हेतु २० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४६. जनपद में कम्प्यूटर में खारिज होने वाली स्याही कागज आदि के व्यय हेतु २५ हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४७. जनपद में सामन्य ज्ञान प्रतियोगिता हेतु ३० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४८. जनपद में खेल–कूदों की व्यवस्था में पुरस्कार प्रदान करने हेतु ७० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१४९. जपनपद में खेलकूदों के विकास एवं बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु ३२० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

१५०. जनपद के विकासखण्ड स्तर पर कला एवं संस्कृति प्रदर्शनी की व्यवस्था है। इस हेतु ६० हजार रूपयों की मांग प्रस्तावित है।

सारिणी (डी)

वर्ष २००२–०३ की वार्षिक कार्ययोजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण

जनपद रूद्रप्रयाग को वर्ष २००१–०२ में वार्षिक कार्ययोजना के तहत वित्त वर्ष के अन्तिम चार माह में कार्ययोजना को संचालित करने हेतु निम्न धनराशि शासन द्वारा प्रदान की गई थी, परन्तु नवगठित उत्तरांचल राज्य के प्रथम विधान सभा निर्वाचन होने के कारण उक्त समयाविधि में कार्ययोजना को मूर्तरूप प्रदान नहीं किया जा सका इसलिए वह धनराशि स्लिप ओवर धनराशि के साथ ही साथ वर्ष २००२–०३ के कार्यक्रम भी संचालित होते रहेंगे। इस प्रकार किसी भी प्रकार इस धनराशि को व्यय करने पर जनपद में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना।

१. जनपद रूद्रप्रयाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं काष्टोपकरण की व्यवस्था हेतु १००० हजार रूपये आबन्टित थे जो वर्ष २००२–०३ में स्पिलओवर है शेष शून्य है।

२. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए ४६० हजार रूपये शासन द्वारा दिये गये हैं जो वर्ष २००२–०३ में किया जाना है। इसके बाद शेष शून्य है।

३. पुराने प्राथमिक विद्यालयों के पुनरनिर्माण हेतु १३७५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है। इसके सापेक्ष १३७५ हजार रूपये स्पिलओवर है इसका प्रयोग वर्ष २००२–०३ में किया जाना है। इसके बाद शेष शून्य है।

४. जनपद में पुराने क्षतिग्रस्त तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्मण हेतु १२०० हजार रूपये स्वीकृत है। इसके सापेक्ष १२०० हजार रूपये वर्ष २००२–०३ के लिए स्पिल ओवर है। शेष शून्य है।

५. जनपद में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु ३६० हजार रूपये स्वीकृत है। इसके सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में ३६० हजार रूपये स्पिल ओवर है, शेष .शून्य है।

६. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों में रख–रखाव एवं साज–सज्जा हेतु जनपद के ५१५ भवनों के रख–रखाव के लिए २५७५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है इसके सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में २५७५ हजार रूपये की धनराशि स्पिल ओनर है, शेष शून्य है।

७. जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल इण्टर कॉलेजों के जूनियर स्तर तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों को अध्यापक अभिभावक संगठन की बैठकों एवं विद्यालय लैब सज्जा हेतु प्रति विद्यालय २ हजार रूपयों की व्यवस्था की गयी थी जो वर्ष २००२–०३ के लिए स्पिल ओबर है, शेष शून्य है।

८. बी०आर०सी० समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु ६.३ हजार रूपयों की स्वीकृति है जो स्पिल ओवर है, शेश शून्य है।

९. न्याय पंचायत एवं कलस्टर रिसोर्स सेन्टर के समन्वयकों के १० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ३३.६ हजार रूपये प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, यह प्रशिक्षण वर्ष २००२–०३ में करने के बाद शेष शून्य हो जायेगा।

१०. रिसोर्स पर्सन डायट के २० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १६.८ हजार रूपये स्वीकृत है वर्ष २००२–०३ में इस धनराशि के सापेक्ष व्यय होने पर बचत शून्य हो जायेगी।

११. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को सर्वशिक्षा के सन्दर्भ में प्रशिक्षण देने के लिए ५४.६ हजार रूपये प्रस्तावित एवं स्वीकृत है के सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में प्रशिक्षणपरान्त धनराशि व्यय होने के बाद शून्य हो जायेगी।

१२. जनपद में वार्षिक बजट प्लान निर्माण के लिए तथा बजट सम्बन्धी निर्देश के लिए १५ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है, जिसका व्यय वर्ष २००२–०३ में होने के बाद सापेक्ष धनराशि शून्य हो जायेगी।

१३. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को सहायक सामग्री निर्माण हेतु ७६१.५६ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत हो। इसके सापेक्ष धनराशि वितरण के बाद शून्य हो जायेगी, इसका व्यय भी वर्ष २००२–०३ में किया जायेगा।

१४. प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल इण्टर कॉलेज में अध्ययनरत एस०सी०, एस०टी० एवं बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तक

वितरण हेतु १३०३.०५ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है, इस धनराशि के सापेक्ष व्यय करने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१५. जनपद में विकासखण्ड रिसोर्स सेन्टर के निर्माण के लिए शासन द्वारा ६०० हजार रूपयों की स्वीकृति दे दी गयी है इसके सापेक्ष व्यय २००२–०३ में किये जाने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१६. विकासखण्ड रिसोर्स सेन्टर में संसाधन एवं सामग्री काष्टोपकरण की व्यवसी हेतु ३०० हजार रूपयों की स्वीकृति है। के सापेक्ष व्यय करने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१७. न्यायपंचायत एवं कलस्टर रिसोर्स सेन्टर के कोर्डिनेटरों को प्रशिक्षण देने हेतु ३६ हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में यह धनराशि व्यय नहीं हो सकेगी, यही शेष रह जायेगी।

१८. न्यायपंचायत/कलस्टर रिसोर्स सेन्टरों में लेखन सामग्री एवं साज–सज्जा काष्टोपकरण के लिए ३३० हजार रूपये स्वीकृत है, इस धनराशि के सापेक्ष व्यय करने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१९. जनपद के न्याय पंचायत/कलस्टर केन्द्रों के अनुश्रवण निरीक्षण हेतु ११६ हजार रूपयों की व्यवस्था की गयी हो, जिसके सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में व्यय न होने पर यह धनराशि शेष रह जायेगी।

२०. न्याय पंचायत/कलस्टर केन्द्रों में काष्टोपकरण खरीदने हेतु १०० हजार रूपये की व्यवस्थाहो इस धनराशि के सापेक्ष व्यय होने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

२१. न्याय पंचायत/कलस्टर केन्द्रों में लेखन छपाई के सामग्री हेतु १०० हजार रूपये की व्यवसी हो , सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में व्यय होने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

२२. जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवागमन/यात्रा भत्ता हेतु १० हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष व्यय होने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

२४. जिला प्रोजक्ट कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु ४० हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत हो सकेगा अतः यह धनराशि शेष बचत रह जायेगी।

२५. जनपद में एम०आई०एस० को व्यवस्थित करने हेतु ७५ हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष व्यय होने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

२६. जनपद में एम०आई०एस० कार्यालय के लिए सामग्री काष्टोपकरण हेतु १६० हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष व्यय होने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

Serva Shiksha Abhiyan

Budgut at a Glance

District Rudraprayag

Head		Amount (Rs. in thousand)
Access	-	15152.400
Retention	-	57362.208
Quality	-	15507.24
Capacity	-	17304.00
Total	-	105325.848

Civil work			
BRC/CRC construction	-	5200.00	(4.93%)
Other Construction	-	26620.00	(25.27%)
Total	-	31820.00	(30.21%)

TABLE - A

Last Year Activities Progress of District Rudraprayag (UA)

Progress Year 2001-2002

SL. NO	Activities/Particulars Main/Subhead	Phy. Target	Last Year sanctioned Amount with spill over	Re-appropriated Amount	Revised sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Remarks
						Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Till 31st Dec.	Till 31st March App.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1											
	Furniture/ Fixture and equipment PS										
	Furniture/ fixture and equipment UPS	20	1000.000							1000.000	
	Sub Total (A1)	**20**	**1000.000**							**1000.000**	
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS										
	Alternative School (EGS + AIE) grants										
	TLE for Student- EGS										
	Equipment for EGS & AIE										
	Contengency - EGS & AIE										
	Insentive AIE										
	EGS Insentive										
	Sub Total (A2)	**0**	**0.000**							**0.000**	
A3	Back to school campaign										
	Sub Total (A3)	0	0.000							**0.000**	
	TOTAL (A)	20	1000.000							**1000.000**	
(R)	**RETENTION**										
R1	Additional Class Rooms	7	490.000							490.000	

	Toilets (PS)										
	Toilets (UPS)										
	Ree. of Old PS	5	1375.000							1375.000	
	Ree. of Old UPS	3	1200.000							1200.000	
	Drinking Water (PS, UPS)	18	360.000							360.000	
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	547	2735.000							2735.000	
	Repairs (PS+ UPS)										
	Boundary walls (PS)										
	Boundry walls (UPS)										
	Sub Total Contraction	**580**	**6160.000**							**6160.000**	
	Additional teacher Primary (Para Teacher)	106	715.500							715.500	
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	647	1294.000							1294.000	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	1	124.000							124.000	
	Technical visits										
	Summer camps										
	MCDA (Training 2 days)	2000	280.000							280.000	
	SUPW for Girls (UPS)	10	250.000							250.000	
	Salary										
	Additional Teacher in PS HT										
	Additional Teacher in PS AT	18	324.000							324.000	
	Additional Teacher in UPS HT										
	Add. Teacher in UPS AT										
	Opening of ECCE centre										
	Development & Distribution of ECCE materials	1	100.000							100.000	
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)	68	102.000							102.000	

	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)										
	TLM (I.C.D.S)	58	34.000							34.000	
	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)	68	25.500							25.500	
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)	68	34.000							34.000	
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)										
	Induction 20 days	68	95.200							95.200	
	Recurring 10 days										
	Community mobilization										
	MTA Training 2 days	4000	56.000							56.000	
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)	24	192.000							192.000	
	Community Trg. VEC 8 Member	800	48.000							48.000	
	Development of awareness material										
	Bal mela at CRC										
	Production of Audio tapes										
	Production of Video Tapes										
	Assistance to NGOs for Community mobilization										
	Award of Best VEC										
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.										
	Shiksha Mitra										
	EGS										
	ECCE										
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.	269	215.200							215.200	
	Provision for Disabled Children	40	48.000							48.000	
	Computer Edu. for UPS Composite School										
	Computer Edu. for UPS Composite School										

	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)										
	Book Bank and School Library PS										
	Book Maintenance										
	Sub Total	**8246**	**3937.4**							**3937.4**	
	Total (R)	**8826**	**10097.4**							**10097.4**	
Q	**(Q) Quality improvement**										
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days										
	Induction Training for EGGS Acharya										
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE										
	Training for Gram Pradhan 2 day										
	Action Research										
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days	1523	1066.100							1066.100	
	Identify Card for all student										
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days										
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)										
	Training for BRC Coordinator	9	6.300							6.300	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	48	33.600							33.600	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)										
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days										
	Training of resources person at (DIET) 20 days	12	16.800							16.800	
	Staff development training for DIETs 7 days	26	54.600							54.600	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)										
	ABSA/SDI training 5 days	6	2.100							2.100	
	Training for AE and JE 5 days	4	1.400							1.400	

	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days										
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days										
	Food and Fruit conservation training 3 days										
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	1	15.000							15.000	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days										
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days	75	15.750							15.750	
	Sub Total (Q1)	**1704**	**1211.65**							**1211.65**	
Q2	Teacher learning Material										
	Teacher Grant (PS+UPS)	1523	761.500							761.500	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)	23000	3450.000							3450.000	
	Supplementary Reading Material (PS)										
	Supplementary reading Material (UPS)										
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)										
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)										
	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)										
	Development printing and distribution of AS training modules										
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)										
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)										
	School awards										
	Sub Total (Q2)	**24523**	**4211.5**							**4211.5**	
	Total (Q)	**26227**	**5423.15**							**5423.15**	
C	**Capacity Building**										
C1	DIET										

	Civil work										
	Furniture										
	Equipments (including audio visual)										
	Computer Work Station										
	Hiring										
	POL										
	Research/Action research										
	Faculty development										
	Exposure visit										
	Library										
	Salary of Computer operator										
	Photo state machine/Cyclo style machine										
	Maintenance of Equipments										
	Consumable/Computer stationery										
	Sub Total (C1)	**0**	**0**							**0**	
C2	**Block Resource Centre**										
	Civil Construction	1	600.000							600 000	
	Salary Coordinator	57	1282.500							1282.500	
	Asst. Coordinator										
	Chowkidar										
	Equipment/Furniture	3	300.000							300.000	
	Traveling Allowance										
	Computer										
	Maintenance of Equipments										
	Maintenance of building										
	Books										

	Consumable										
	Photo state machine and equipments										
	Contingency	3	12.500							12.500	
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.										
	Monitoring & Supervision	120	36.000							36.000	
	Sub Total (C2)	**184**	**2231**							**2231**	
C3	**Cluster Resource centre**										
C3	School Complex (CRC)										
	Construction										
	Salary Coordinator										
	Equipments/Furniture	48	480.000							480.000	
	Maintenance of Equipments										
	Book for Library/Book bank										
	Contingency	48	40.000							40.000	
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC										
	Traveling Allowance										
	Monitoring & Supervision	580	116.000							116.000	
	Sub Total (C3)	**676**	**636**							**636**	
C4	**Distt Project office**										
	Staffing Coordinators-4	4	120.000							120.000	
	Consultants-2	2	60.000							60.000	
	Accountant										
	Assistant Account Officer	1	30.000							30.000	
	Computer Operator-1										
	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver										

	Peon-2	2	24.000							24.000	
	Furniture	1	100.000							100.000	
	Publication of yearly magazine										
	Equip.	1	100.000							100.000	
	Chowkidar	1	12.000							12.000	
	Books										
	Salary of Librarian-1	1	21.000							21.000	
	Clerk-1	1	13.500							13.500	
	SSA Conference										
	Traveling Allowance	1	17.000							17.000	
	Consumable	1	8.000							8.000	
	Photo state machine and equipments	1	100.000							100.000	
	Telephone/Fax	1	10.000							10.000	
	POL	1	17.000							17.000	
	Honorarium to JE/AE	3	18.000							18.000	
	Maintenance of Equipments										
	Hiring of vehicle	1	17.000							17.000	
	Supervision and Monitoring	100	40.000							40.000	
	Contingency	1	10.000							10.000	
	Research and Evolution										
	Sub Total (C4)	**124**	**717.5**							**717.5**	
C4-1	MIS										
	MIS Call Furnisining	1	75.000							75.000	
	Salary for Computer Operator	1	21.000							21.000	
	MIS Equip.	1	460.000							460.000	
	Printing and Distribution of data formats	1	20.000							20.000	

	Maintenance of Equipments	1	6.660							6.660	
	Computer Consumables	1	8.000							8.000	
	Sub Total (C4-1)	**6**	**590.66**							**590.66**	
C4-2											
	G.K. Competition										
	Prize Money in Distt Game										
	Developments of Games										
	Art and Cultural Exhibition at BRC level										
	Sub Total (C4-2)	**0**	**0**							**0**	
	Total (C)	**990**	**4175.16**							**4175.16**	
	Grand Total (A+R+Q+C)	**36063**	**20695.71**							**20695.71**	

TABLE - B

Spill Over Work Plan for Coming (Next) Year 2002-03 Distt. Rudraprayag (UA)

SL. NO.	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over Phy. Target)	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Impementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1								
	Furniture/ Fixture and equipment PS							
	Furniture/ fixture and equipment UPS	20	1000.000	20.000	50.000	1000.000	6 months	
	Sub Total (A1)	**20**	**1000.000**	**20.000**	**50.000**	**1000.000**		
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS							
	Alternative School (EGS + AIE) grants							
	TLE for Student- EGS							
	Equipment for EGS & AIE							
	Contengency - EGS & AIE							
	Insentive AIE							
	EGS Insentive							
	Sub Total (A2)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
A3	Back to school campaign							
	Sub Total (A3)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
	TOTAL (A)	**20**	**1000.000**	**20.000**	**50.000**	**1000.000**		
(R)	**RETENTION**							
R1	Additional Class Rooms	7	490.000	7.000	70.000	490.000	6 months	
	Toilets (PS)							
	Toilets (UPS)							
	Ree. of Old PS	5	1375.000	5.000	275.000	1375.000	8 months	
	Ree. of Old UPS	3	1200.000	3.000	400.000	1200.000	8 months	
	Drinking Water (PS, UPS)	18	360.000	18.000	20.000	360.000	6 months	

	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	515	2575.000	515.000	5.000	2575 000	4 months	
	Repairs (PS+ UPS)							
	Boundary walls (PS)							
	Boundry walls (UPS)							
	Sub Total Contraction	**548**	**6000.000**	**548.000**	**770.000**	**6000.000**		
	Additional teacher Primary (Para Teacher)							
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	647	1294.000	647.000	2.000	1294.000	4 months	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs							
	Technical visits							
	Summer camps							
	MCDA (Training 2 days)							
	SUPW for Girls (UPS)							
	Salary							
	Additional Teacher in PS HT							
	Additional Teacher in PS AT							
	Additional Teacher in UPS HT							
	Add. Teacher in UPS AT							
	Opening of ECCE centre							
	Development & Distribution of ECCE materials							
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)							
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)							
	TLM (I.C.D.S)							
	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)							
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)							
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)							
	Induction 20 days							
	Recurring 10 days							
	Community mobilization							
	MTA Training 2 days							

	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)							
	Community Trg. VEC 8 Member							
	Development of awareness material							
	Bal mela at CRC							
	Production of Audio tapes							
	Production of Video Tapes							
	Assistance to NGOs for Community mobilization							
	Award of Best VEC							
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.							
	Shiksha Mitra							
	EGS							
	ECCE							
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.							
	Provision for Disabled Children							
	Computer Edu. for UPS Composite School							
	Computer Edu. for UPS Composite School							
	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)							
	Book Bank and School Library PS							
	Book Maintenance							
	Sub Total	**647**	**1294.000**	**647.000**	**2.000**	**1294.000**		
	Total (R)	**1195**	**7294.000**	**1195.000**	**772.000**	**7294.000**		
Q	**(Q) Quality Improvement**							
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days							
	Induction Training for EGGS Acharya							
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE							
	Training for Gram Pradhan 2 day							
	Action Research							
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days							

	Identify Card for all student							
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days							
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)							
	Training for BRC Coordinator	9	6.300	9.000	0.07 x 10	6.300	4 months	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	48	33.600	48.000	0.07 x 10	33.600	4 months	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)							
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days							
	Training of resources person at (DIET) 20 days	12	16.800	12.000	0.07 x 20	16.800	6 months	
	Staff development training for DIETs 7 days	26	54.600	26.000	0.3	54.600	6 months	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)							
	ABSA/SDI training 5 days							
	Training for AE and JE 5 days							
	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days							
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days							
	Food and Fruit conservation training 3 days							
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	1	15.000	1.000	15.000	15.000	2 months	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days							
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days							
	Sub Total (Q1)	**96**	**126.300**	**96.000**		**126.300**		
Q2	Teacher learning Material							
	Teacher Grant (PS+UPS)	1523	761.500	1523.000	0.500	761.500	3 months	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)		1303.050		0.150	1303.050	6 months	
	Supplementary Reading Material (PS)							
	Supplementary reading Material (UPS)							
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)							
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)							

	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)							
	Development printing and distribution of AS training modules							
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)							
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)							
	School awards							
	Sub Total (Q2)	**1523**	**2064.550**	**1523.000**	**0.650**	**2064.550**		
	Total (Q)	**1619**	**2190.850**	**1619.000**	**0.650**	**2190.850**		
C	**Capacity Building**							
C1	DIET							
	Civil work							
	Furniture							
	Equipments (including audio visual)							
	Computer Work Station							
	Hiring							
	POL							
	Research/Action research							
	Faculty development							
	Exposure visit							
	Library							
	Salary of Computer operator							
	Photo state machine/Cyclo style machine							
	Maintenance of Equipments							
	Consumable/Computer stationery							
	Sub Total (C1)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
C2	**Block Resource Centre**							
	Civil Construction	1	600.000	1.000	600.000	600.000	9 months	
	Salary Coordinator							
	Asst. Coordinator							

	Chowkidar							
	Equipment/Furniture	3	300.000	3.000	100.000	300.000	3 months	
	Traveling Allowance							
	Computer							
	Maintenance of Equipments							
	Maintenance of building							
	Books							
	Consumable							
	Photo state machine and equipments							
	Contingency							
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.							
	Monitoring & Supervision	120	36.000		0.300			
	Sub Total (C2)	**124**	**936.000**	**4.000**	**700.300**	**900.000**	**0.000**	
C3	**Cluster Resource centre**							
C3	School Complex (CRC)							
	Construction							
	Salary Coordinator							
	Equipments/Furniture	33	330.000	33.000	10.000	330.000	6 months	
	Maintenance of Equipments							
	Book for Library/Book bank							
	Contingency							
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC							
	Traveling Allowance							
	Monitoring & Supervision	580	116.000		0.200			
	Sub Total (C3)	**613**	**446.000**	**33.000**	**10.200**	**330.000**		
C4	**Distt Project office**							
	Staffing Coordinators-4							
	Consultants-2							
	Accountant							

	Assistant Account Officer							
	Computer Operator-1							
	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver							
	Peon-2							
	Furniture	1	100.000	1.000	100.000	100.000	2 months	
	Publication of yearly magazine							
	Equip.	1	100.000	1.000	100.000	100.000	4 months	
	Chowkidar							
	Books							
	Salary of Librarian-1							
	Clerk-1							
	SSA Conference							
	Traveling Allowance							
	Consumable							
	Photo state machine and equipments							
	Telephone/Fax	1	10.000	1.000	10.000	10.000	2 months	
	POL							
	Honorarium to JE/AE							
	Maintenance of Equipments							
	Hiring of vehicle							
	Supervision and Monitoring	100	40.000		0.400			
	Contingency							
	Research and Evolution							
	Sub Total (C4)	**103**	**250.000**	**3.000**	**210.400**	**210.000**		
C4-1	MIS							
	MIS Cell Furnisining	1	75.000	1.000	75.000	75.000	6 months	
	Salary for Computer Operator							
	MIS Equip.	1	204.15	1.000	460.000	204.150	6 months	
	Printing and Distribution of data formats							

	Maintenance of Equipments							
	Computer Consumables							
	Sub Total (C4-1)	**2**	**279.150**	**2.000**	**535.000**	**279.150**		
C4-2								
	G.K. Competition							
	Prize Money in Distt Game							
	Developments of Games							
	Art and Cultural Exhibition at BRC level							
	Sub Total (C4-2)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
	Total (C)	**842**	**1911.150**	**42.000**	**1455.900**	**1719.150**		
	Grand Total (A+R+Q+C)	**3676**	**12396.000**	**2876.000**	**2278.550**	**12204.000**		

TABLE - C

Plan for the Next Year Distt. Rudraprayag (UA)

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	Physical Target	Unit Cost	Approximate Financial Investment	Time Schedule	Remarks
	A	B	C	D	E	F
A1						
	Furniture/ Fixture and equipment PS	500	15.000	7500.000	6 months	
	Furniture/ fixture and equipment UPS	55	50.000	2750.000	6 months	
	Sub Total (A1)	**555**	**65.000**	**10250.000**		
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS					
	Alternative School (EGS + AIE) grants	175	10.000	1750.000		
	TLE for Student- EGS	4000	0.100	400.000		
	Equipment for EGS & AIE	175	1.100	192.500		
	Contengency - EGS & AIE	175	0.468	81.900		
	Insentive AIE	12	1.000	72.000		
	EGS Insentive	163	1.000	1956.000		
	Sub Total (A2)	**4700**	**13.668**	**4452.400**		
A3	Back to school campaign	300	1.500	450.000		
	Sub Total (A3)	**300**	**1.500**	**450.000**		
	TOTAL (A)	**5555**	**80.168**	**15152.400**		
(R)	**RETENTION**					
R1	Additional Class Rooms	56	70.000	3920.000		
	Toilets (PS)	165	15.000	2475.000		
	Toilets (UPS)	30	15.000	450.000		
	Ree. of Old PS	27	275.000	7425.000		

	Ree. of Old UPS	13	400.000	5200.000		
	Drinking Water (PS, UPS)	165	20.000	3300.000		
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	20	5.000	100.000		
	Repairs (PS+ UPS)					
	Boundary walls (PS)	80	40.000	3200.000		
	Boundry walls (UPS)	11	50.000	550.000		
	Sub Total Contraction	**567**	**890.000**	**26620.000**		
	Additional teacher Primary (Para Teacher)	122	2.250	3294.000		
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	799	2.000	1598.000		
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	1	50.000	1312.000		
	Technical visits	3	20.000	60.000		
	Summer camps	27	10.000	270.000		
	MCDA (Training 2 days)	1000	0.070	140.000		
	SUPW for Girls (UPS)	10	25.000	250.000		
	Salary					
	Additional Teacher in PS HT	18	10.000	2160.000		
	Additional Teacher in PS AT					
	Additional Teacher in UPS HT	1	12.000	144.000		
	Add. Teacher in UPS AT	105	10.000	12600.000		
	Opening of ECCE centre	18	170.000	3060.000		
	Development & Distribution of ECCE materials	1	100.000	100.000		
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)	80	0.375	360.000		
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)	80	0.250	240.000		
	TLM (I.C.D.S)	80	0.500	40.000		

	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)	80	0.375	30.000		
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)	80	1.500	120.000		
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)	80	0.070	56.000		
	Induction 20 days					
	Recurring 10 days					
	Community mobilization					
	MTA Training 2 days	6072	0.007	85.008		
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)	48	8.000	384.000		
	Community Trg. VEC 8 Member					
	Development of awareness material	3	5.000	15.000		
	Bal mela at CRC	48	5.000	240.000		
	Production of Audio tapes	1	10.000	10.000		
	Production of Video Tapes	1	10.000	10.000		
	Assistance to NGOs for Community mobilization	1	50.000	50.000		
	Award of Best VEC	1	25.000	25.000		
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.	1	15.000	15.000		
	Shiksha Mitra	1	5.000	5.000		
	EGS	1	5.000	5.000		
	ECCE	1	5.000	5.000		
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.	183	0.200	439.200		
	Provision for Disabled Children	215	1.200	258.000		
	Computer Edu. for UPS Composite School	18	100.000	1800.000		
	Computer Edu. for UPS Composite School	18	10.000	180.000		
	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)	764	0.500	382.000		

	Book Bank and School Library PS	200	5.000	1000.000		
	Book Maintenance					
	Sub Total	**10162**	**674.297**	**30742.208**		
	Total (R)	**10729**	**1564.297**	**57362.208**		
Q	**(Q) Quality improvement**					
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days	500	0.070	350.000		
	Induction Training for EGGS Acharya	175	1.500	262.500		
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE	122	0.070	256.200		
	Training for Gram Pradhan 2 day	330	0.070	46.200		
	Action Research	1	100.000	100.000		
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days	1450	0.070	1015.000		
	Identify Card for all student	55118	0.015	826.770		
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days					
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)					
	Training for BRC Coordinator	9	0.070	3.150		
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	48	0.070	16.800		
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	9	0.070	1.890		
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days	48	0.070	10.080		
	Training of resources person at (DIET) 20 days	12	0.070	8.400		
	Staff development training for DIETs 7 days	26	0.300	54.600		
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)	57	0.300	85.500		
	ABSA/SDI training 5 days	6	0.070	2.100		
	Training for AE and JE 5 days	4	0.070	1.400		

	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days	140	1.500	4200.000		
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days	2640	0.030	158.400		
	Food and Fruit conservation training 3 days	500	0.070	105.000		
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	1	15 000	15.000		
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days	5	0.500	12.500		
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days	75	0.070	15.750		
	Sub Total (Q1)	**61276**	**120.055**	**7547.24**		
Q2	Teacher learning Material					
	Teacher Grant (PS+UPS)	2149	0.500	1074.500		
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)	35170	0.150	5275.500		
	Supplementary Reading Material (PS)	500	0.500	250.000		
	Supplementary reading Material (UPS)	105	1.000	105.000		
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)	1	80.000	80.000		
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)	1	160.000	160.000		
	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)	1	160.000	160.000		
	Development printing and distribution of AS training modules	1	10.000	10.000		
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	1	400.000	400.000		
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)	1	400.000	400.000		
	School awards	3	15.000	45.000		
	Sub Total (Q2)	**37933**	**1227.15**	**7960**		
	Total (Q)	**99209**	**1347.205**	**15507.24**		
C	**Capacity Building**					
C1	DIET					

	Civil work					
	Furniture	1	100.000	100.000		
	Equipments (including audio visual)	1	200.000	200.000		
	Computer Work Station	1	400.000	400.000		
	Hiring	1	10.000	120.000		
	POL	1	30.000	30.000		
	Research/Action research	1	50.000	50.000		
	Faculty development	1	30.000	30.000		
	Exposure visit	1	50.000	50.000		
	Library	1	100.000	100.000		
	Salary of Computer operator	1	8.000	96.000		
	Photo state machine/Cyclo style machine	1	100.000	100.000		
	Maintenance of Equipments	1	15.000	15.000		
	Consumable/Computer stationery	1	10.000	10.000		
	Sub Total (C1)	**13**	**1103.000**	**1301.000**		
C2	**Block Resource Centre**					
	Civil Construction	2	600.000	1200.000		
	Salary Coordinator	3	12.000	432.000		
	Asst. Coordinator	6	815.000	612.000		
	Chowkidar	3	5.000	180.000		
	Equipment/Furniture					
	Traveling Allowance	3	5.000	15.000		
	Computer	3	100.000	300.000		
	Maintenance of Equipments	3	1.000	3.000		
	Maintenance of building					

	Books	3	10.000	30.000		
	Consumable	3	5.000	15.000		
	Photo state machine and equipments	3	100.000	300.000		
	Contingency	3	12.500	37.500		
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.	36	0.300	10.800		
	Monitoring & Supervision	200	0.300	60.000		
	Sub Total (C2)	**271**	**1666.1**	**3195.3**		
C3	**Cluster Resource centre**					
C3	School Complex (CRC)					
	Construction	20	200.000	4000.000		
	Salary Coordinator	48	8.500	4896.000		
	Equipments/Furniture	15	10.000	150.000		
	Maintenance of Equipments	48	2.000	96.000		
	Book for Library/Book bank					
	Contingency	48	2.500	120.000		
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC	48	0.200	115.200		
	Traveling Allowance	48	2.000	96.000		
	Monitoring & Supervision	620	0.200	124.000		
	Sub Total (C3)	**895**	**225.4**	**9597.2**		
C4	**Distt Project office**					
	Staffing Coordinators-4	4	12.000	576.000		
	Consultants-2	2	10.000	240.000		
	Accountant	1	8.000	96.000		
	Assistant Account Officer	1	12.000	144.000		
	Computer Operator-1	1	8.000	96.000		

	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver	1	0.070	16.800		
	Peon-2	2	5.000	120.000		
	Furniture					
	Publication of yearly magazine	1	20.000	20.000		
	Equip.					
	Chowkidar	1	5.000	60.000		
	Books	1	100.000	100.000		
	Salary of Librarian-1					
	Clerk-1	1	7.000	84.000		
	SSA Conference	1	100.000	100.000		
	Traveling Allowance	1	50.000	50.000		
	Consumable	1	25.000	25.000		
	Photo state machine and equipments	1	100.000	100.000		
	Telephone/Fax	1	30.000	30.000		
	POL	1	50.000	50.000		
	Honorarium to JE/AE	3	6.000	18.000		
	Maintenance of Equipments	1	10.000	10.000		
	Hiring of vehicle	1	12.000	144.000		
	Supervision and Monitoring	100	0.400	40.000		
	Contingency	1	10.000	10.000		
	Research and Evolution	7999	0.300	239.700		
	Sub Total (C4)	**8127**	**580.77**	**2369.5**		
C4-1	MIS					
	MIS Call Furnisining					
	Salary for Computer Operator	1	8.000	96.000		

	MIS Equip.	1	460.000	200.000		
	Printing and Distribution of data formats	1	20.000	20.000		
	Maintenance of Equipments	1	20.000	20.000		
	Computer Consumables	1	25.000	25.000		
	Sub Total (C4-1)	**5**	**533**	**361**		
C4-2						
	G.K. Competition	3	10.000	30.000		
	Prize Money in Distt Game	7	10.000	70.000		
	Developments of Games	16	20.000	320.000		
	Art and Cultural Exhibition at BRC level	3	20.000	60.000		
	Sub Total (C4-2)	**29**	**60**	**480.000**		
	Total (C)	**9340**	**4168.27**	**17304.000**		
	Grand Total (A+R+Q+C)	**124833**	**7159.94**	**105325.848**		

A - 15152.400

R - 57362.208

Q - 15507.24

C - 17304.000

Total :- 105325.848

TABLE - D

According to Main Activities Expenses Distt. Rudraprayag

SL. NO.	Activities/ Particular	AWP & B Last Year	Re-Appropriated Amount	Revised Sanctioned Amount	Ex- pressed of the Last Year till 31st March	Approximate balance Amount	Approximate Saving Amount	Spill over for Next Year	Fresh Plan for 2002-03	Total H+I	Remarks
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1											
	Furniture/ Fixture and equipment PS								7500.000	7500.000	
	Furniture/ fixture and equipment UPS	1000.000				1000.000		1000.000	2750.000	3750.000	
	Sub Total (A1)	**1000.000**	**0.000**			**1000.000**		**1000.000**	**10250.000**	**11250.000**	
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS										
	Alternative School (EGS + AIE) grants								1750.000	1750.000	
	TLE for Student- EGS								400.000	400.000	
	Equipment for EGS & AIE								192.500	192.500	
	Contengency - EGS & AIE								81.900	81.900	
	Insentive AIE								72.000	72.000	
	EGS Insentive								1956.000	1956.000	
	Sub Total (A2)	**0.000**	**0.000**			**0.000**		**0.000**	**4452.400**	**4452.400**	
A3	Back to school campaign								450.000	450.000	
	Sub Total (A3)	0.000	0.000			**0.000**		0.000	**450.000**	**450.000**	
	TOTAL (A)	1000.000	0.000			**1000.000**		**1000.000**	**15152.400**	**16152.400**	
(R)	**RETENTION**										
R1	Additional Class Rooms	490.000				490.000		490.000	3920.000	4410.000	
	Toilets (PS)								2475.000	2475.000	
	Toilets (UPS)								450.000	450.000	
	Ree. of Old PS	1375.000				1375.000		1375.000	7425.000	8800.000	
	Ree. of Old UPS	1200.000				1200.000		1200.000	5200.000	6400.000	
	Drinking Water (PS, UPS)	360.000				360.000		360.000	3300.000	3660.000	
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	2735.000				2735.000		2575.000	100.000	2675.000	
	Repairs (PS+ UPS)									0.000	

	Boundary walls (PS)								3200.000	3200.000	
	Boundry walls (UPS)								550.000	550.000	
	Sub Total Contraction	**6160.000**	0.000			**6160.000**		**6000.000**	**26620.000**	**32620.000**	
	Additional teacher Primary (Para Teacher)	715.500				715.500			3294.000	3294.000	
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	1294.000				1294.000		1294.000	1598.000	2892.000	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	124.000				124.000			1312.000	1312.000	
	Technical visits								60.000	60.000	
	Summer camps								270.000	270.000	
	MCDA (Training 2 days)	280.000				280.000			140.000	140.000	
	SUPW for Girls (UPS)	250.000				250.000			250.000	250.000	
	Salary									0.000	
	Additional Teacher in PS HT								2160.000	2160.000	
	Additional Teacher in PS AT	324.000				324.000				0.000	
	Additional Teacher in UPS HT								144.000	144.000	
	Add. Teacher in UPS AT								12600.000	12600.000	
	Opening of ECCE centre								3060.000	3060.000	
	Development & Distribution of ECCE materials	100.000				100.000			100.000	100.000	
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)	102.000				102.000			360.000	360.000	
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)								240.000	240.000	
	TLM (I.C.D.S)	34.000				34.000			40.000	40.000	
	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)	25.500				25.500			30.000	30.000	
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)	34.000				34.000			120.000	120.000	
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)								56.000	56.000	
	Induction 20 days	95.200				95.200				0.000	
	Recurring 10 days									0.000	
	Community mobilization									0.000	
	MTA Training 2 days	56.000				56.000			85.008	85.008	
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)	192.000				192.000			384.000	384.000	
	Community Trg. VEC 8 Member	48.000				48.000				0.000	
	Development of awareness material								15.000	15.000	

	Bal mela at CRC								240.000	240.000	
	Production of Audio tapes								10.000	10.000	
	Production of Video Tapes								10.000	10.000	
	Assistance to NGOs for Community mobilization								50.000	50.000	
	Award of Best VEC								25.000	25.000	
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.								15.000	15.000	
	Shiksha Mitra								5.000	5.000	
	EGS								5.000	5.000	
	ECCE								5.000	5.000	
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.	215.200				215.200			439.200	439.200	
	Provision for Disabled Children	48.000				48.000			258.000	258.000	
	Computer Edu. for UPS Composite School								1800.000	1800.000	
	Computer Edu. for UPS Composite School								180.000	180.000	
	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)								382.000	382.000	
	Book Bank and School Library PS								1000.000	1000.000	
	Book Maintenance									0.000	
	Sub Total	**3937.4**	**0**			**3937.4**		**1294.000**	**30742.208**	**32036.208**	
	Total (R)	**10097.4**	**0**			**10097.4**		**7294.000**	**57362.208**	**64656.208**	
Q	**(Q) Quality Improvement**										
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days								350.000	350.000	
	Induction Training for EGGS Acharya								262.500	262.500	
	Induction Training for Shikshc Mitra/AIE								256.200	256.200	
	Training for Gram Pradhan 2 day								46.200	46.200	
	Action Research								100.000	100.000	
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days	1066.100				1066.100			1015.000	1015.000	
	Identify Card for all student								826.770	826.770	
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days									0.000	
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)									0.000	
	Training for BRC Coordinator	6.300				6.300		6.300	3.150	9.450	

	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	33.600				33.600		33.600	16.800	50.400	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)								1.890	1.890	
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days								10.080	10 080	
	Training of resources person at (DIET) 20 days	16.800				16.800		16.800	8.400	25 200	
	Staff development training for DIETs 7 days	54.600				54.600		54.600	54.600	109 200	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)								85.500	85.500	
	ABSA/SDI training 5 days	2.100				2.100			2.100	2.100	
	Training for AE and JE 5 days	1.400				1.400			1.400	1 400	
	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days								4200.000	4200.000	
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days								158.400	158 400	
	Food and Fruit conservation training 3 days								105.000	105 000	
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	15.000				15.000		15 000	15.000	30 000	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days								12 500	12 500	
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days	15.750				15.750			15 750	15 750	
	Sub Total (Q1)	**1211.65**	**0**			**1211.65**		**126.300**	**7547.24**	**7673.54**	
Q2	Teacher learning Material										
	Teacher Grant (PS+UPS)	761.500				761.500		761 500	1074 500	1836 000	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)	3450.000				3450.000		1303 050	5275.500	6578 550	
	Supplementary Reading Material (PS)								250.000	250.000	
	Supplementary reading Material (UPS)								105.000	105.000	
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)								80.000	80 000	
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)								160 000	160 000	
	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)								160 000	160 000	
	Development printing and distribution of AS training modules								10.000	10.000	
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)								400.000	400.000	
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)								400.000	400.000	
	School awards								45.000	45.000	
	Sub Total (Q2)	**4211.5**	**0**			**4211.5**		**2064.550**	**7960**	**10024.55**	

	Total (Q)	5423.15	0			5423.15		2190.850	15507.24	17698.09	
C	**Capacity Building**									0.000	
C1	DIET									0.000	
	Civil work									0.000	
	Furniture								100.000	100.000	
	Equipments (including audio visual)								200.000	200.000	
	Computer Work Station								400.000	400.000	
	Hiring								120.000	120.000	
	POL								30.000	30.000	
	Research/Action research								50.000	50.000	
	Faculty development								30.000	30.000	
	Exposure visit								50.000	50.000	
	Library								100.000	100.000	
	Salary of Computer operator								96.000	96.000	
	Photo state machine/Cyclo style machine								100.000	100.000	
	Maintenance of Equipments								15.000	15.000	
	Consumable/Computer stationery								10.000	10.000	
	Sub Total (C1)	0	0			0		0.000	1301.000	1301.000	
C2	**Block Resource Centre**										
	Civil Construction	600.000				600.000		600.000	1200.000	1800.000	
	Salary Coordinator	1282.500				1282.500			432.000	432.000	
	Asst. Coordinator								612.000	612.000	
	Chowkidar								180.000	180.000	
	Equipment/Furniture	300.000				300.000		300.000		300.000	
	Traveling Allowance								15.000	15.000	
	Computer								300.000	300.000	
	Maintenance of Equipments								3.000	3.000	
	Maintenance of building									0.000	
	Books								30.000	30.000	
	Consumable								15.000	15.000	

	Photo state machine and equipments								300.000	300.000	
	Contingency	12.500				12.500			37.500	37.500	
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.								10.800	10.800	
	Monitoring & Supervision	36.000				36.000			60.000	60.000	
	Sub Total (C2)	**2231**	**0**			**2231**		**900.000**	**3195.3**	**4095.3**	
C3	**Cluster Resource centre**										
C3	School Complex (CRC)									0.000	
	Construction								4000.000	4000.000	
	Salary Coordinator								4896.000	4896.000	
	Equipments/Furniture	480.000				480.000		330.000	150.000	480.000	
	Maintenance of Equipments								96.000	96.000	
	Book for Library/Book bank									0.000	
	Contingency	40.000				40.000			120.000	120.000	
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC								115.200	115.200	
	Traveling Allowance								96.000	96.000	
	Monitoring & Supervision	116.000				116.000			124.000	124.000	
	Sub Total (C3)	**636**	0			**636**		**330.000**	**9597.2**	**9927.2**	
C4	**Distt Project office**										
	Staffing Coordinators-4	120.000				120.000			576.000	576.000	
	Consultants-2	60.000				60.000			240.000	240.000	
	Accountant								96.000	96.000	
	Assistant Account Officer	30.000				30.000			144.000	144.000	
	Computer Operator-1								96.000	96.000	
	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver								16.800	16.800	
	Peon-2	24.000				24.000			120.000	120.000	
	Furniture	100.000				100.000		100.000		100.000	
	Publication of yearly magazine								20.000	20.000	
	Equip.	100.000				100.000		100.000		100.000	
	Chowkidar	12.000				12.000			60.000	60.000	
	Books								100.000	100.000	

	Salary of Librarian-1	21.000				21.000				0.000	
	Clerk-1	13.500				13.500			84.000	84.000	
	SSA Conference								100.000	100.000	
	Traveling Allowance	17.000				17.000			50.000	50.000	
	Consumable	8.000				8.000			25.000	25.000	
	Photo state machine and equipments	100.000				100.000			100.000	100.000	
	Telephone/Fax	10.000				10.000		10.000	30.000	40.000	
	POL	17.000				17.000			50.000	50.000	
	Honorarium to JE/AE	18.000				18.000			18.000	18.000	
	Maintenance of Equipments								10.000	10.000	
	Hiring of vehicle	17.000				17.000			144.000	144.000	
	Supervision and Monitoring	40.000				40.000			40.000	40.000	
	Contingency	10.000				10.000			10.000	10.000	
	Research and Evolution								239.700	239.700	
	Sub Total (C4)	**717.5**	**0**			**717.5**		**210.000**	**2369.5**	**2579.5**	
C4-1	MIS										
	MIS Call Furnisining	75.000				75.000		75.000		75.000	
	Salary for Computer Operator	21.000				21.000			96.000	96.000	
	MIS Equip.	460.000				460.000		204.150	200.000	404.150	
	Printing and Distribution of data formats	20.000				20.000			20.000	20.000	
	Maintenance of Equipments	6.660				6.660			20.000	20.000	
	Computer Consumables	8.000				8.000			25.000	25.000	
	Sub Total (C4-1)	**590.66**	**0**			**590.66**		**279.150**	**361**	**640.15**	
C4-2											
	G.K. Competition								30.000	30.000	
	Prize Money in Distt Game								70.000	70.000	
	Developments of Games								320.000	320.000	
	Art and Cultural Exhibition at BRC level								60.000	60.000	
	Sub Total (C4-2)	**0**	**0**			**0**		**0.000**	**480.000**	**480.000**	
	Total (C)	**4175.16**	**0**			**4175.16**		**1719.150**	**17304.000**	**19023.150**	

	Grand Total (A+R+Q+C)	20695.71	0			20695.71		12204.000	105325.848	117529.848	

वर्ष २००१–०२ की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण जनपद – रूद्रप्रयाग

(Rs. in Thousands)

SL. NO.	क्रिया का विवरण	गत वर्ष की कुल स्वीकृत कार्य योजना	कुल स्वीकृती के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी	आवंटन के सापेक्ष बचत
	A	B	C	D	E
A1					
	Furniture/ Fixture and equipment PS				
	Furniture/ fixture and equipment UPS	1000.000	1000.000	1000.000	
	Sub Total (A1)	**1000.000**	**1000.000**	**1000.000**	**0.000**
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS				
	Alternative School (EGS + AIE) grants				
	TLE for Student- EGS				
	Equipment for EGS & AIE				
	Contengency - EGS & AIE				
	Insentive AIE				
	EGS Insentive				
	Sub Total (A2)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
A3	Back to school campaign				
	Sub Total (A3)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	TOTAL (A)	**1000.000**	**1000.000**	**1000.000**	**0.000**
(R)	**RETENTION**				
R1	Additional Class Rooms	490.000	490.000	490.000	
	Toilets (PS)				
	Toilets (UPS)				

	Ree. of Old PS	1375.000	1375.000	1375.000	
	Ree. of Old UPS	1200.000	1200.000	1200.000	
	Drinking Water (PS, UPS)	360.000	360.000	360.000	
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	2575.000	2575.000	2575.000	
	Repairs (PS+ UPS)				
	Boundary walls (PS)				
	Boundry walls (UPS)				
	Sub Total Contraction	**6000.000**	**6000.000**	**6000.000**	**0.000**
	Additional teacher Primary (Para Teacher)				
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	1294.000	1294.000	1294.000	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs				
	Technical visits				
	Summer camps				
	MCDA (Training 2 days)				
	SUPW for Girls (UPS)				
	Salary				
	Additional Teacher in PS HT				
	Additional Teacher in PS AT				
	Additional Teacher in UPS HT				
	Add. Teacher in UPS AT				
	Opening of ECCE centre				
	Development & Distribution of ECCE materials				
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)				
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)				
	TLM (I.C.D.S)				

	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)				
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)				
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)				
	Induction 20 days				
	Recurring 10 days				
	Community mobilization				
	MTA Training 2 days				
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)				
	Community Trg. VEC 8 Member				
	Development of awareness material				
	Bal mela at CRC				
	Production of Audio tapes				
	Production of Video Tapes				
	Assistance to NGOs for Community mobilization				
	Award of Best VEC				
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.				
	Shiksha Mitra				
	EGS				
	ECCE				
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.				
	Provision for Disabled Children				
	Computer Edu. for UPS Composite School				
	Computer Edu. for UPS Composite School				
	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)				

	Book Bank and School Library PS				
	Book Maintenance				
	Sub Total	**1294.000**	**1294.000**	**1294.000**	**0.000**
	Total (R)	**7294.000**	**7294.000**	**7294.000**	**0.000**
Q	**(Q) Quality Improvement**				
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days				
	Induction Training for EGGS Acharya				
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE				
	Training for Gram Pradhan 2 day				
	Action Research				
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days				
	Identify Card for all student				
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days				
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)				
	Training for BRC Coordinator	6.300	6.300	6.300	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	33.600	33.600	33.600	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)				
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days				
	Training of resources person at (DIET) 20 days	16.800	16.800	16.800	
	Staff development training for DIETs 7 days	54.600	54.600	54.600	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)				
	ABSA/SDI training 5 days				
	Training for AE and JE 5 days				

	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days				
	Orientation of VECs/Ward comm. 3 days				
	Food and Fruit conservation training 3 days				
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	15.000	15.000	15.000	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days				
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days				
	Sub Total (Q1)	**126.300**	**126.300**	**126.300**	**0.000**
Q2	Teacher learning Material				
	Teacher Grant (PS+UPS)	761.500	761.500	761.500	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)	1303.050	1303.050	1303.050	
	Supplementary Reading Material (PS)				
	Supplementary reading Material (UPS)				
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)				
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)				
	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)				
	Development printing and distribution of AS training modules				
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)				
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)				
	School awards				
	Sub Total (Q2)	**2064.550**	**2064.550**	**2064.550**	**0.000**
	Total (Q)	**2190.850**	**2190.850**	**2190.850**	**0.000**
C	**Capacity Building**				
C1	DIET				

	Civil work				
	Furniture				
	Equipments (including audio visual)				
	Computer Work Station				
	Hiring				
	POL				
	Research/Action research				
	Faculty development				
	Exposure visit				
	Library				
	Salary of Computer operator				
	Photo state machine/Cyclo style machine				
	Maintenance of Equipments				
	Consumable/Computer stationery				
	Sub Total (C1)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
C2	**Block Resource Centre**				
	Civil Construction	600.000	600.000	600.000	
	Salary Coordinator				
	Asst. Coordinator				
	Chowkidar				
	Equipment/Furniture	300.000	300.000	300.000	
	Traveling Allowance				
	Computer				
	Maintenance of Equipments				
	Maintenance of building				

	Books				
	Consumable				
	Photo state machine and equipments				
	Contingency				
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.				
	Monitoring & Supervision	36.000	36.000		36.000
	Sub Total (C2)	**936.000**	**936.000**	**900.000**	**36.000**
C3	**Cluster Resource centre**				
C3	School Complex (CRC)				
	Construction				
	Salary Coordinator				
	Equipments/Furniture	330.000	330.000	330.000	
	Maintenance of Equipments				
	Book for Library/Book bank				
	Contingency				
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC				
	Traveling Allowance				
	Monitoring & Supervision	116.000	116.000		116.000
	Sub Total (C3)	**446.000**	**446.000**	**330.000**	**116.000**
C4	**Distt Project office**				
	Staffing Coordinators-4				
	Consultants-2				
	Accountant				
	Assistant Account Officer				
	Computer Operator-1				

	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver				
	Peon-2				
	Furniture	100.000	100.000	100.000	
	Publication of yearly magazine				
	Equip.	100.000	100.000	100.000	
	Chowkidar				
	Books				
	Salary of Librarian-1				
	Clerk-1				
	SSA Conference				
	Traveling Allowance				
	Consumable				
	Photo state machine and equipments				
	Telephone/Fax	10.000	10.000	10.000	
	POL				
	Honorarium to JE/AE				
	Maintenance of Equipments				
	Hiring of vehicle				
	Supervision and Monitoring	40.000	40.000		40.000
	Contingency				
	Research and Evolution				
	Sub Total (C4)	**250.000**	**250.000**	**210.000**	**40.000**
C4-1	MIS				
	MIS Call Furnisining	75.000	75.000	75.000	
	Salary for Computer Operator				

	MIS Equip.	204.15	204.15	204.15	
	Printing and Distribution of data formats				
	Maintenance of Equipments				
	Computer Consumables				
	Sub Total (C4-1)	**279.150**	**279.150**	**279.150**	**0.000**
C4-2					
	G.K. Competition				
	Prize Money in Distt Game				
	Developments of Games				
	Art and Cultural Exhibition at BRC level				
	Sub Total (C4-2)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	Total (C)	**1911.150**	**1911.150**	**1719.150**	**192.000**
	Grand Total (A+R+Q+C)	**12396.000**	**12396.000**	**12204.000**	**192.000**

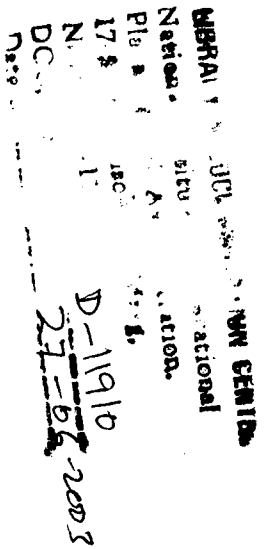

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घकालीन योजना

(S. S. A.)

कार्ययोजना व बजट

वर्ष 2002-03

जनपद – रुद्रप्रयाग

उत्तरांचल

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11910
Date 27-06-2003

अध्याय — 1

जनपद - एक सामान्य परिचय

ऐतिहासिक परिदृश्य :-

पर्वतराज हिमालय की तलहटी में दो पवित्र नदियों अलकनन्दा एवं मदाकिनी के संगम पर अवस्थित रूद्र प्रयाग शहर का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक लम्बे समय तक ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा रहा। रूद्रप्रयाग पूर्व में जनपद चमोली का एक अंग था। जिले के रूप में यह 16 सितम्बर 1997 को अस्तित्व में आया जिसमें टिहरी जनपद एवं पौड़ी जनपद के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है।

प्राचीन काल में यह क्षेत्र केदारखण्ड के नाम से जाना जाता था। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि में इस क्षेत्र की महत्ता वर्णित है। भगवान शिव शंकर का पवित्र धाम केदारनाथ तथा प्रसिद्ध चौखम्बा पर्वत इसी जनपद में अवस्थित हैं अलकनन्दा एंव मंदाकिनी के संगम (प्रयाग) पर अवस्थित भगवान रूद्रनाथ का पवित्र मंदिर पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान् रूदनाथ के नाम पर ही इस स्थान को रूद्रप्रयाग के नाम से जाना गया।

भौगोलिक परिदृश्य :-

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित रूद्र प्रयाग जनपद का विस्तार 29° 55' 37' से 31° 27' 01' उत्तरी अक्षांश एंव 78° 54' 04' से 79° 2' 00' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। यह जनपद पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल, उत्तर में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में जनपद पौड़ी से घिरा है। घाटी एवं पर्वतों से निर्मित यह जनपद अपने प्राकृतिक सुन्दरता के लिये विख्यात है। हरी गद्दीनुमा घासों (चूना बुग्गी घास) से आच्छादित क्षेत्र जो स्थानीय भाषा में 'बुग्याल' के नाम से जाने जाते हैं, अपनी प्राकृतिक छटा के लिये पूरे देश में विख्यात हैं। यहां की सुरम्य घाटियाँ यथा–त्रियुगी नारायण घाटी, केदारनाथ घाटी, मदमहेश्वर घाटी, तुंगेश्वर घाटी, राकेश्वरी घाटी आदि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुन्दरता की तरफ आकर्षित करती हैं।

जलवायु :-

(2)

जनपद रूद्रप्रयाग ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं एंव ढलवा पहाड़ियों से निर्मित है जिसकी सबसे ऊंची चोटियाँ केदारनाथ एंव चौखम्बा सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। जपनद के विभिन्न क्षेत्रों की समुद्र तल से ऊंचाई भिन्न–भिन्न (यथा 600 मीटर से 7800 मीटर तक) होने के कारण यहा की जलवायु में विभिन्नता पायी जाती है। जलवायु की दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत है :–

क्र0स0	जलवायु क्षेत्र	ऊचांई (मीटर में)
1.	गर्म घाटी क्षेत्र	600 से 1000
2.	शीतोष्ण क्षेत्र	1000 से 1500
3.	शीत क्षेत्र	1500 से 1800
4.	अति शीत क्षेत्र	1800 से 2400
5.	हिमाच्छादित क्षेत्र	2400 से ऊपर

मौसम/ऋतु :-

यहां की ऋतुओं का विवरण निम्नवत् है –

क्र0स0	ऋतु	माह से–तक
1.	शीत	दिसम्बर से फरवरी
2.	बसन्त	मार्च से अप्रैल
3.	ग्रीष्म	मई से जून
4.	वर्षा	जुलाई से सितम्बर
5.	शिशिर	अक्टूबर से नवम्बर

जमीन एंव मिट्टी :-

पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते जनपद रूद्रप्रयाग की मृदा की कोई एकरूपता नही है। कहीं कंकरीली जमीन तो कहीं निरीह नग्न चट्टानें हैं। कंही पहाड़ों पर

सघन वन एव दुग्दाल तो कहीं आबादी वाले क्षेत्रों में पर्वत मालाओं के बीच ऊखड़ जमीन पायी जाती है। घाटी क्षेत्रों में सुन्दर समतल मैदान एवं तलाऊ जमीन भी पायी जाती है जो ऊपज की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। स्थानीय कृषकों के अनुसार यहां तीन प्रकार की जमीन पायी जोमीं है :–

1 ककरीली   2. उखड (असिंचित)   3. तलाऊ (सिंचित)

वनस्पति :-

जलवायु एंव ऊचाई के अनुसार जनपद में भिन्न–भिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं जिनका उपयोग स्थानीय उद्योग, इमारत निर्माण एंव मवेशियों के चारे आदि के लिये किया जाता है। यहां निम्नलिखित वनस्पतियॉ पायी जाती हैं।

1. 1200 मीटर से नीचे – चीड़, तुन, अखरोट आदि जिनका उपयोग स्थानीय कृषकों द्वारा कृषि यंत्र एंव ईमारत निर्माण तथा पशुओं के चारे के लिये करते हैं।

2. 1200 से 1800 मीटर तक – बांज, मोरू, खैर, देवदार, केमू, अखरोट खर्सू आदि जिनका उपयोग ईमारती लकड़ी तथा फर्नीचर उधोग आदि में किया जाता है।

3. 1800 से 3000 मीटर तक – कैल, सुराई, रिंगाल, बांस आदि जिनका उपयोग झोपड़ी, टोकरी, कंडिया, चटाई आदि बनाने में किया जाता है।

4. 3000 से 4000 मीटर तक – इसमें गद्दीनुमा बारीक घास उगती है। इस क्षेत्र को बुग्याल कहा जाता है जो अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित रहता है। केवल ग्रीष्म ऋतु में मात्र तीन चार माह के लिये बर्फ पिघलने पर यहां भेड़ बकरियां चुगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वन औषधियों का अपूर्व भण्डार है। यहां नाना प्रकार के पुष्प तथा भोज पत्र आदि भी पाये जाते हैं।

कृषि :-

कृषि यहॉ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है।यह के कुल क्षेत्रफल का केवल 19 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य हैं। इसलिए यह लोगों की आवश्कताओं के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाता। आलू, सोयाबीन, राम दाना एंव जड़ी बूटीयॉ आदि यहॉ की मुख्य व्यापारिक फसलें हैं।

माल्टा, सन्तरा, सेव, नारंगी, अखरोट आदि फल भी यहां प्रचुर मात्रा में उत्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं, धान, तिलहन आदि की खेती भी यहॉ की जाती है।

पशुपालन :-

जनपद की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि के साथ पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। गाय एंव भैंसों से केवल दुग्ध का उत्पादन नही होता बल्कि इनके गोबर का प्रयोग भी खेतों में खाद के रूप किया जाता है। भेड़ बकरी का उपयोग सामान ढुलान एंव भेड़ के ऊन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। जनपद का कुल पशुधन निम्नवत् है।

जनपद का पशुधन

क्र0स0	पशु का नाम	नर	मादा	बछड़े	कुल
1.	स्थानीय गाय	37967	29697	19405	87069
2.	वर्ण शंकर गाय	1038	505	791	2334
3.	भैंस	326	22263	5250	27839

अन्य पशु

क्र0स0	पशु का नाम	संख्या
1.	देशी भेड़	13101
2..	वर्ण शंकर भेड़	614
3.	बकरा एंव बकरी	31908
4.	घोड़ा एवं टट्टू	491

खनिज :

भूगर्भ वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में तॉबा, सीसा, सोना, जस्ता गन्धक, हीरा आदि वहुमूल्य खनिज सम्पदा विद्यमान हैं किन्तु अभी तक इनका खनन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जल सम्पदा :-

जल संसाधन की दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग काफी समृद्व है। मंदाकिनी यहॉ की प्रमुख नदी है जो केदारनाथ के नजदीक चौराबरी ग्लेसियर से निकलती है। इसके अतिरिक्त तुंगेश्वरी राकेश्वरी, मैदानी नदी, काली नदी आदि नदियां जनपद में प्रवाहित होकर पेयजल की समस्या को दूर करती हैं तथा सिंचाई के काम आती हैं। इनके अतिरिक्त ताल एवं झीलें भी जनपद के प्रमुख जल संसाधन हैं। देवारिया ताल, वासुकी ताल एवं काना ताल पर्यटक आकर्षण के केन्द्र हैं। जनपद में गर्म जल के श्रोत भी पाये जाते हैं।

सिंचाई :-

जनपद में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। किसान अधिकांशतया सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते है। तलहटी वाले क्षेत्रों मे गूल एवं छोटी नहरों से सिंचाई की जाती हैं।

आधार भूत ढांचा :-

(क) सड़क, परिवहन एवं जनसंचार –

सड़क, परिवहन एवं जनसंचार के क्षेत्र में यह जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। यद्यपि ब्लाक मुख्यालय सड़क से जुडे हुए है। किन्तु अभी भी जनपद में ऐसे दूर–दराज के क्षेत्र हैं जो मोटर हेड से लगभग 40 किमी दूर हैं।

जनपद में परिवहन के साधनों मे मुख्य रूप से राज्य परिवहन निगम की बसें तथा प्राइवेट मालिकों द्वारा चलाई जाने वाली बसें एवं टैक्सियां हैं। दूर–दराज के क्षेत्रों मे घोड़े, खच्चर एवं गधो द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है।

जनपद में 106 डाकघर,03 तारघर, 104 पी0सी0ओ0 एवं लगभग 2000 टेलीफोन कनेक्शन हैं। आज भी रेड़ियों यहाँ जनसंचार का मुख्य साधन है।

(ख) विद्युत व्यवस्था :–

जनपद के लगभग 70 प्रतिशत गाँवो का विद्युतीकरण हो चुका है। किन्तु विद्युत आपूर्ति प्रायः अनियमित रहती हैं। यहाँ विद्युत उपभोग मुख्यतया

घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ग) <u>जलापूर्ति :-</u>

जल निगम एवं जल संस्थान के द्वारा जिले के कस्बाई क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है किन्तु जनपद के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो के लोग पेयजल के लिए प्राकृतिक श्रोतों पर ही निर्भर हैं।

(घ) बैकिंग व्यवस्था :-

जनपद में कुल 22 बैंक कार्यरत है जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र0स0	बैक का नाम	संख्या
1	पंजाब नैशनल बैंक	02
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	12
3	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	03
4	को–आपरेटिव बैंक	05

(ड़) आर्थिक – सामाजिक दशा :-

गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण जनपद की आर्थिक–सामाजिक दशा संतोषजनक नहीं है। कृषि ऊपज जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नही कर पाता है। साक्षरता दर में कमी भी जनपद की आर्थिक सामाजिक दशा को प्रभावित करती है। बालिकाओं एवं महिलाओं के पिछड़ेन को दूर करने तथा कमजोर तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सुनियोजित योजना बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है ।

(च) प्रशासनिक ढांचा :-

नवसृजित जनपद रूद्रप्रयाग अभी अपनी शैशवास्था में है। जिलाधिकारी जनपदीय प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया हैं। प्रशासनिक एवं विकास कार्यो में उनकी सहायता के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी, 3 उपजिलाधिकारी और 3 खण्ड विकास अधिकारी हैं।

जनपद की प्रशासनिक संरचना

	बस्तियां	ग्राम पंचायत	न्यायपंचायत	नगर पंचायत क्षेत्र	विकासखण्ड	तहसील
योग	700	330	27	02	03	03
ऊखीमठ	145	57	5			
अगस्त्यमुनि	387	177	13			
जखोली	168	96	9			

क्षेत्रफल :–

जनपद का कुल क्षेत्रफल 3245 वर्ग किलोमीटर है। जनपद में 48 सी.आर.सी. केन्द्र है।

जनसंख्या :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 227461 है। जिसमें 107425 पुरूष तथा 120036 महिलाएं है। 1000 पुरूषों के सापेक्ष 1117 महिलाएं है।

जनगणना 1991 एंव 2001 का तुलनात्मक अध्ययन

क्र0म0	विषय	1991	2001
1	कुल जनसंख्या	200515	227461
2	राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	2.82	2.68
3	जनसंख्या धनत्व	106 प्रति वर्ग कि0मी0	120 प्रति वर्ग कि0मी0
4	लिंग अनुपात	1094 / 1000	1117 / 1000
5	दशक मे जनसंख्या वृद्वि दर	17.51 प्रतिशत	13.44 प्रतिशत

सारणी

विकास खण्ड / जातिवार जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार

क्र0 सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति			अनु0 जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
					पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	ऊखीमठ	22100	22814	43914	2930	2869	5799	34	42	76	127	113	240	20	14	34
2	अगस्त्यमुनि	54146	55899	110046	9044	9090	18134	91	100	191	189	385	574	272	260	532
3	जखोली	31179	42323	73502	5357	5583	10946	31	33	64	181	170	351	36	30	66
	योग	107425	120036	227461	17331	17542	34873	156	175	331	497	668	1165	328	304	632

ऊपरोक्त तालिका की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद मे सबसे अधिक जनसंख्या विकास खण्ड अगस्त्यमुनि की है जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला विकास खण्ड ऊखीमठ है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या विकास खण्ड अगस्त्यमुनि तथा सबसे कम जनसंख्या विकास खण्ड ऊखीमठ मे ही है।

1991 की जनगणना के अनुसार

क्र0 सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति			अनु0 जन जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक		
					पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	ऊखीमठ	19409	19237	38646	2584	2530	5114	30	37	67	–	–	–	–	–	–
2.	अगस्त्यमुनि	47748	49204	97042	7976	8016	15992	80	89	169			–		–	–
3.	जखोली	27736	32158	59894	4724	4924	9648	14	16	30					–	–
	योग			195582			30754			266						

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

विकास सीधा शिक्षा से जुडा मुद्दा हैं। किसी भी क्षेत्र, प्रदेश अथवा देश का विकास वहां के शैक्षिक विकास पर निर्भर करता है तथा उस क्षेत्र का शैक्षिक रिदृश्य वहॉ क विकास का दर्पण होता है आजादी के पूर्व इस क्षेत्र मे विद्यालयों की कमी के कारण यह की साक्षरता काफी न्यून थी किन्तु आजादी के बाद केन्द्र/राज्य सरकार के प्रयासों से साल दर साल यहाँ बहुत से विद्यालय खोले गये तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की साक्षरता में आश्चर्यजंनक वृद्धि हुई। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में एवं कमजोर आर्थिक/ सामाजिक दशा के क़ारण सर्व शिक्षा अभियान के अनुरूप जनपद में शत्–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गो को प्रयास करने होगें ।

साक्षरता दर :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग की साक्षरता दर 74.23 प्रतिशत है जो राज्य की कुल साक्षरता दर यथा 72.28 प्रतिशत से कुछ अधिक है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में साक्षरता दर घाटी क्षेत्रों की साक्षरता दर की अपेक्षा काफी न्यून है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में जहाँ पुरूष साक्षरता दर 90.73 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर केवल 59.98 प्रतिशत है। इस तरह पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की साक्षरता काफी कम है। इसका मूल कारण आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन एवं हमारे समाज की प्रचीन मान्यताऐं हैं। समाज की यह धारणा है कि महिलाओ का कार्य मात्र गृहस्थी देखना है। यद्यापि वर्तमान में इस धारण मे काफी बदलाव आया है।

सारणी –2/1

राज्य तथा जनपद की साक्षरता– एक तुलानात्मक अध्ययन

क्रस0	साक्षरता का प्रकार	राज्य	जनपद
1	कुल साक्षरता	72.28	74.23
2	कुल पुरूष साक्षरता	84.01	90.73
3	कुल महिला साक्षरता	60.26	59.98

स्त्रोत-जनगणना 2001

शैक्षिक संस्थाएं :-

जनपद में प्राथमिक स्तर पर कुल 482 परिषदीय विद्यालय, 07 प्राथमिक मॉडल स्कूल एव 65 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 298 परिषदीय विद्यालय तथा 23 मान्यता प्राप्त विद्यालय है। इसके अतिरिक्त 19 हाईस्कूल, 41 इण्टरमीडिएट [illegible] है। [illegible] सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय भी जनपद में अवस्थित है।

सारणी--2 / 2

विकासखण्ड वार शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

क्र०स०	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		हाईस्कूल	इण्टर कालेज	डिग्री कालेज	नवोदय विद्यालय
		परिषदीय	मॉडल	मान्यता प्राप्त	परिषदीय	मान्यता प्राप्त				
1	ऊखीमठ	101	02	15	15	04	–	–	[illegible]	[illegible]
2	अगस्त्यमुनि	240	01	43	48	16	–	–	[illegible]	
3	जखोली	141	04	25	35	17	–	–	[illegible]	
	योग	482	07	83	98	37	37	49	03	[illegible]

स्रोत :– [illegible] रुद्रप्रयाग

सारणी 2 / 3

छात्रसंख्या वार विद्यालयों का विवरण

क्र०स०	छात्र संख्या	प्राथमिक विद्यालयो की संख्या	कुल प्राथमिक विद्यालय का प्रतिशत
1	20 तक	44	[illegible]
2	20 से 40 तक	185	[illegible]
3	40 से 60 तक	84	17
4	60 से 80 तक	75	[illegible]

Cont

5	80 से 100 तक	33	07
6	100 से 120 तक	23	05
7	120 से 140 तक	19	04
8	140 से 160 तक	15	03
9	160 से ऊपर	04	01
	योग	482	100

नोट :– उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा कमजोर आर्थिक सामाजिक दशा के कारण जनपद के एक तिहाई विद्यालयों में छात्र संख्या 40 से कम है।

स्रोत – बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/4

विकास खण्ड वार 1 किमी परिधि तथा इससे अधिक दूरी वाले परिषदीय प्रा0वि0 तथा 3 किमी परिधि वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	1 किमी की परिधि वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1 किमी से अधिक परिधि वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	3 किमी की परिधि में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1	ऊखीमठ	57	44	08
2	अगस्त्यमुनि	94	146	17
3	जखोली	105	36	15
	योग	256	226	40

स्रोत – बी0एस0ए0, रूद्रप्रयाग

सारणी-2/5

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें – प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम0स0	विवरण / विषय	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	टिप्पणी
1	कुल विद्यालय	482	98	2 बार भूकंप एवं अनेकबार भूस्खलन के कारण जनपद के अधिकांश विद्यालय जर्जर एवं ध्वस्त हो चुके है।
2	भवन विहीन विद्यालय	02	14	
3	भवन युक्त विद्यालय	480	84	
4	एक कक्षीय विद्यालय	18	06	
5	दो कक्षीय विद्यालय	301	24	
6	तीन कक्षीय विद्यालय	141	48	
7	चार कक्षीय विद्यालय	021	06	
8	पांच या अधिक कक्षीय विद्यालय	0	0	
9	शौचालय युक्त विद्यालय	0	0	
10	शौचालय विहीन विद्यालय	482	98	
11	पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	0	0	
12	पेयजल व्यवस्था जहां नही है	482	98	
13	चारदीवारी युक्त विद्यालय	0	0	
14	चारदीवारी विहीन विद्यालय	482	98	
15	मरम्मत योग्य विद्यालय	250	15	
16	पुर्ननिर्माण योग्य विद्यालय	193	35	

स्रोत : डी0एस0ए. रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/6

क्र०स०	विकास खण्ड का नाम	6–11 वय वर्ग के कुल बच्चे			6–11 वय वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे			6–11 वय वर्ग के न पढ़ने वाले बच्चे			जी०ई०आर०
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	ऊखीमठ	5358	6177	11535	5173	5942	11115	155	235	420	96.36
2	अगस्त्यमुनी	5815	6585	12400	5623	6341	11964	192	244	436	96.48
3	जखोली	5505	6066	11571	5250	5776	11026	255	290	545	95.29
	योग	16678	18828	35506	16046	18059	34105	632	769	1401	96.05

स्रोत – [illegible]

सारणी – 2/7

विकास खण्ड वार 11 – 14 वय वर्ग की बालगणना

क्र०स०	विकास खण्ड का नाम	11–14 वर्ग के कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे			11–14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले बच्चे			जी०ई०आर०
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	ऊखीमठ	1769	1668	3437	1739	1600	3339	30	68	98	97.15
2	अगस्त्यमुनी	3643	3352	6995	3586	3282	6868	57	70	127	98.18
3	जखोली	2877	2607	5484	2529	2520	5349	45	57	135	97.54
	योग	8289	7627	15916	5154	7402	15556	135	225	360	97.74

स्रोत – [illegible]

सारणी – 2/9

जनपद रूदप्रयाग

प्राथमिक विद्यालयों में विकास खण्ड/जातिवार विद्यार्थियों की संख्या

क्र0	विकास क्षेत्र	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति छात्र संख्या			अनुसूचित जनजाति छात्र सं0			पिछड़ी जाति		
स0	का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अगस्त्यमुनि	4655	5315	9970	1657	1816	3473	0	1	1	77	100	177
2	ऊखीमठ	4602	1278	9880	530	582	1112	6	12	18	18	19	37
3	जखोली	4549	5107	9656	1190	1055	2245	0	0	0	126	106	232
	योग	13806	15700	29506	3377	3453	6830	6	13	19	221	225	446

स्त्रोत बी0एस0ए0 रूदप्रयाग

(सारणी –2/10)

जनपद रूदप्रयाग

उच्च प्रा0विद्यालयों में विकास खण्ड/जातिवार विद्यार्थियों की संख्या

क्र0	विकास क्षेत्र	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति छात्र संख्या			अनुसूचित जनजाति छात्र सं0			पिछड़ी जाति		
स0	का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अगस्त्यमुनि	1232	1368	2600	251	313	564	0	2	2	50	55	105
2	ऊखीमठ	684	759	1443	14	174	188	3	2	5	28	29	57
3	जखोली	821	912	1733	173	209	382	0	0	0	33	38	71
	योग	2737	3039	5776	438	696	1134	3	4	7	111	122	233

स्त्रोत बी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/14

जनपद रूद्रप्रयाग में प्राथमिक विद्यालयों में आंवटित एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क्र0स0	पैत्रिक जनपदों का नाम जहा से पद ट्रान्फर हुए	आवंटित पद		योग	कार्यरत पद		योग	रिक्त पद		योग	विद्यालयों की संख्या
		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		
1	चमोली	209	427	636	207	415	622	2	12	14	301
2	पौडी	40	66	106	42	37	79	2 अधिक	29	27	40
3	टिहरी	73	224	297	73	177	250	0	47	47	141
	योग	322	717	1039	322	629	951	0	88	88	482

स्त्रोत– बी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/15

जनपद रूद्रप्रयाग में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आंवटित एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण

क्र0स0	पैत्रिक जनपदों का नाम जहा से पद ट्रान्फर हुए	आवंटित पद		योग	कार्यरत पद		योग	रिक्त पद		योग	विद्यालयों की संख्या
		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		प्र0अ0	स0अ0		
1	चमोली	53	211	264	52	208	260	1	3	4	54
2	पौडी	9	34	43	5	27	32	4	7	11	9
3	टिहरी	30	89	119	27	73	100	3	16	19	35
	योग	92	334	426	84	308	392	8	26	34	98

स्त्रोत– बी0एस0ए0 रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/16

विकास खण्ड/जातिवार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापको की संख्या

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनु0 जाति			अनु0जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	अगस्त्यमुनि	198	300	498	26	5	31	0	2	2	8	18	26	6	5	11
2	उखीमठ	98	104	202	6	4	10	0	0	0	9	14	23	1	1	2
3	जखोली	160	91	251	31	14	45	0	1	1	14	16	30	0		0
	योग	456	495	951	63	23	86	0	3	3	31	48	79	7	6	13

स्रोत – बी0एस0ए0,रूद्रप्रयाग

सारणी – 2/17

विकास खण्ड /जातिवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापको की संख्या

क्र0स0	विकास क्षेत्र का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनु0 जाति			अनु0जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	अगस्त्यमुनि	200	25	225	17	7	24	0	0	0	4	1	5	3	0	3
2	उखीमठ	52	15	67	7	2	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	जखोली	73	27	100	13	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	325	67	392	37	13	50	0	0	0	5	1	6	3	0	3

स्रोत – बी0एस0ए0,रूद्रप्रयाग

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य एवं ई0 जी0 एस0 केन्द्रो की संख्या माह दिसम्बर से मार्च तक 4 माह 2001–2002

क्रम सं0	क्षेत्र	पुनर्निमाण		अतिरिक्त कक्ष		शौचालय		पेयजल		फर्नीचर		लघुमरम्मत		EGS	N.P.R.C
		प्रा0	उ0प्र0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्र0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0		
1	ऊखीमठ	02	01	03	–	2	02	03	02	–	15	03	01	30	5
2	अगस्त्यमुनि	02	01	02	02	6	03	06	03	–	20	05	03	48	10
3	जखोली	01	01	02	01	2	05	03	01	–	15	02	02	20	5
	योग	05	03	07	03	10	10	12	06	–	50	10	06	98	20

विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वालों की संख्या एवं प्रतिशत निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	कार्य के प्रकार	कुल संख्या	कुल कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
1.	कृषक	136477	60
2.	कृषि कार्य करने वाले मजदूर	9099	4
3.	अन्य मजदूर	6824	3
4.	औद्योगिक मजदूर	4549	2
5.	व्यापार कार्य करने वाले	6824	3
6.	सेना में कार्य करने वाले	2274	1
7.	शिक्षा जगत से जुड़े हुए	2274	1
8.	अन्य बेरोजगार	59160	26
	योग	227481	100

अध्याय – 3

सर्व शिक्षा अभियान – लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यक्त भावना को फलीभूत करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागेदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रराम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलाषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है, का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :-

1. सभी बच्चों के लिये वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
2. सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें।
4. संतोषजनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्ताव दिया गया हो, पर बल देना।
5. बालक–बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना।

जनपद रूद्रप्रयाग के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एंव उद्देश्य :-

क) शत प्रतिशत नामाकंन का लक्ष्य :-

सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनपद रूद्र प्रयाग में भी वर्ष 2002–03 के अंत तक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत छात्रों का नामाकंन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद का वर्तमान शुद्ध नामाकंन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सकल नामाकंन दर को 2002–03

में इतना बढ़ाना होगा कि दोनों का अन्तर शून्य हो जाय। इस सन्दर्भ में 2002–03 तक सकल नामांकन दर 105 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।(21)

ख) पुरूष–महिला साक्षरता के अन्तर को कम करने का प्रयास–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूष एवं महिला साक्षरता में काफी अन्तर है। पुरूष साक्षरता की दर जहां 90.73 प्रतिशत है वही महिलाओं की साक्षरता की दर मात्र 59.98 प्रतिशत ही है। पुरूष महिला साक्षारता के अन्तर को समाप्त कर इसे शत् प्रतिशत करने का प्रयास किया जायेगा।

ग) ड्राप आउट कम करने का लक्ष्य–

जनपद में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठशाला त्याग दर (ड्राप–आउट रेशियों) क्रमशः 1.2 प्रतिशत एंव 1.4 प्रतिशत है जिसे शून्य प्रतिशत तक ले जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्यो की पूर्ति हेतु औपचारिक विद्यालय, ई0जी0 एस0 तथा ए0आइ0 ई0 केन्द्रो की स्थापना की जायेगी साथ ही अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था तथा जनसहभागिता बढाई जायेगी। योजनाओं के ठीक क्रियान्वयन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रबन्धन एवं अनुश्रवण को चुस्त बनाया जायेगा।

घ) आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके बाह्य एंव आन्तरिक स्वरूप को आकर्षक बनाना है।

(1) निर्माण –

1. भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण कराना।
2. जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत कराना।
3. अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराना।
4. शौचालय एवं चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों में इनका निर्माण कराना।
5. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0) एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (एन0 पी0 आर0 सी0) का निर्माण कराना।

(ड) विद्यालयी व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण –

(1) विधार्थी विषयक क्रियाकलाप –

1. विद्यालयों में बैठने हेतु टाट–पट्टी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2. प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क/मुफ्त पाठ्य पुस्तकें एंव गणवेश (स्कूल यूनिफार्म) उपलब्ध कराना तथा बच्चों के लिये उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।
3. यदि संसाधन अनुमति दें तो अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा गणवेश उपलब्ध कराकर उनको अध्ययन के प्रति आकर्षित करना।
4. विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कर बच्चों पर बस्ते के बोझ को कम करना तथा पुस्तक अध्ययन के लिये प्रेरित करना।
5. विद्यालयों में खेल सामग्री की व्यवस्था कर बच्चा को विद्यालयों में ठहराव को प्रोत्साहित करना।
6. यदि संसाधन अनुमति दें तो सभी बच्चों को परिचय पत्र उपलब्ध कराना जिससे उनके अन्दर विशिष्टता का बोध हो तथा अन्य प्राइवेट विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह ही वे गर्व से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

(2) अध्यापक विषयक क्रियाकलाप –

1. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
2. 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में जहाँ कम से कम 20 विद्यार्थी हों, दो कक्षीय विद्यालय तथा एक अध्यापक की व्यवस्था करना जिससे कक्षा एक एवं दो की पढ़ाई हो सके।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात (1:40) के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों को आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे अध्यापक अपने विद्यालयों को पूरा समय दे सकें तथा स्थानीय नागरिकों को शिक्षा के प्रति आकर्षित कर सकें।
5. अध्यापकों को वेतन एंव अन्य भत्तों का समय से भुगतान सुनिश्चित करना जिससे वे निश्चिन्त होकर लगन से शिक्षण कार्य कर सके। इसके निर्मित बी0 आर0 सी0 एंव एन0 पी0 आर0 सी0 में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराया जा सकता है।
6. अध्यापकों के लिये एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति तैयार कर दूर–दराज के क्षेत्रों में भी एक निश्चित समयाविधि के ठहराव को सुनिश्चित करना तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापको को एक निश्चित ठहराव के बाद उन्हें इच्छित विद्यालय में स्थानांतरित करना।
7. दूरस्थ एंव दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में अनिच्छुक नियमित शिक्षकों को न भेजकर स्थानीय योग्य व्यक्तियों को ही प्रशिखण दिलाकर शिक्षक

क रूप म नियुक्त करना जिससे व मनोयोग से जनहित एव बालहित म काय करग।

8. अध्यापकों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के अलावा यथासम्भव अन्य कार्यों से विरत किया जाना जिससे कि वे पूर्ण मनोयोग से अपना दायित्व पूरा करें।

9. अध्यापकों को समय–समय पर नवीन साहित्य एंव शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें सतत् जागरूक बनाना तथा उनके अन्दर के निराशा जनक मनोवृति को समाप्त करना।

10. अध्यापकों के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिससे वे शिक्षण के आधुनिक पद्धतियों एवं नवाचार विधाओं से परिचित होकर उनका उपयोग विद्यार्थी हित में कर सकें।

11. अध्यापकों के लिये अवकाश की व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित करना जिससे कि हर दशा में कम से कम एक अध्यापक विद्यालय में रहे तथा विद्यालय, अध्यापकों के अभाव में बंद न हो।

(3) <u>पाठ्यक्रम विषयक क्रियाकलाप :–</u>

1. प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम रूचिपूर्ण बनाना जो आसानी से बच्चों के समझ में आ सके।

2. पाठ्यक्रम में स्थानीय विशेषताओं का समावेश करना जिससे बच्चे अधिक उत्साहित होकर अध्ययन कर सकें।

3. पूरक पुस्तकों का स्थानीय भाषा में अनुवाद जिससे बच्चें पढ़ाई में रूचि ले सकें।

4. दृश्य–श्रव्य शिक्षण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था जिससे शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाया जा सके।

5. बच्चों के मासिक, अर्द्धवार्षिक एंव वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र/प्रगति कार्ड दो प्रतियों में तैयार करना जिसकी एक प्रति विद्यालय एंव दूसरी प्रति अभिभावक के पास रहे। इससे छात्र एंव छात्र का अभिभावक समय–समय पर अपनी प्रगति के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यक सुधार कर सकता है।

(च) स्वास्थय सम्बन्धी कार्य –

1. विद्यार्थियों को स्वच्छता, सफाई आदि का महत्व बताकर उन्हें सदैव इसके प्रति जागरूक बनाना तथा स्वस्थ रहने के प्रति सचेत करना।

2. बच्चों का मासिक स्वास्थय परीक्षण कराना जिससे बच्चें स्वस्थ रहें तथा नियमित रूप से विद्यालय आकर अध्धयन कर सकें।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान : -

जनपद में शिक्षा के प्रचार–प्रसार, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, सामुदायिक सहभागिता के विचार को लोकप्रिय बनाने एंव प्रभावी शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने हेतु जनपद में जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की महती आवश्यकता है।

●●●

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद के सभी बच्चों का वर्ष 2003 तक विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना तत्पश्चात् विद्यालयों में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कर ड्राप आउट दर को शून्य करना है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान ही ऐसी योजना है जो बस्ती ग्राम, न्याय पंचायत, विकासखण्ड स्तर से समेकित होकर जिला स्तरीय योजना बनकर प्रस्तुत हुई है।

माइक्रो प्लानिंग :-

जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 2000–2001 में परिवार तथा ग्राम को इकाई मानकर माइक्रो प्लानिंग की गयी। आकड़ो का संकलन न्याय पंचायत/संकुल स्तर पर करके विकास खण्ड के अनुसार रणनीति तय की गयी है। अन्त में सभी विकास खण्डों के आकड़ों, समस्याओं विशषताओं तथा विभिन्नताओं को समेकित करके वृहद प्लान तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा परियोजना में जो कमियां रह गई थी, उनकी पूर्ति हेतु इस योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं। योजना का निर्माण इस तरह किया गया है कि स्कूल तक न पहुँच पा रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ कर उनका विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा सके तथा प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किया जा सके।

स्कूल चलो अभियान :-

जनपद में 01 जुलाई 2001 से 15 जुलाई 2001 तक गतवर्ष की भाँति स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसमें यह प्रयास किया गया कि 6–14 वर्ग के सभी बच्चे विद्यालयों में प्रवेश ले सके। प्रत्येक विद्यालय की बालगणना पत्रिका में नये बच्चों का नामाकंन करवाया गया तथा ग्राम स्तर पर उस क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं ने रैलियों व गोष्ठियों का आयोजन किया। प्रत्येक विकास खण्ड एंव तहसील दिवसों पर होने वाली बैठको में स्कूल चलो अभियान का प्रचार प्रसार जन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। फलतः जनता में शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हुई।

स्कूल चलो अभियान से शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु वातावरण तैयार हुआ तथा उन कारणों में मदद मिली जो बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदाई है। 15 जून से पूर्व जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय कोर टीमों का गठन कर दिया [redacted] जायेगा।

जिला स्तर पर गठित कोर टीम :-

- अध्यक्ष – जिलाधिकारी।
- उपाध्यक्ष – मुख्य विकास अधिकारी।
- सचिव – बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य –
  1. प्राचार्य डायट।
  2. जिला कार्यक्रम अधिकारी।
  3. जिला पंचायत राज अधिकारी ।
  4. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला सदस्य।
  5. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति का सदस्य।
  6. किसी एक स्वैच्छिक संगठन का अध्यक्ष।
  7. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालायों के एक –एक अध्यापक

विकास खण्ड स्तर पर गठित कोर टीम:-

- अध्यक्ष – विकास खण्ड अधिकारी।
- सदस्य सचिव – सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य –
  1. ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित एक महिला सदस्य ।
  2. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति का प्रधान।
  3. स्वैच्छिक संगठनों का एक सदस्य जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखता हो।
  4. प्राथमिक विद्यालयों के एक प्रधानाध्यापक।
  5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक प्रधानाध्यापक।

ग्राम शिक्षा

- अध्यक्ष – ग्राम प्रधान।
- सदस्य सचिव – कम से कम दो महिला सदस्य जिसमें एक अनुसूचित जाति एंव एक अनु0जनजाति की होगी। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो।
- सदस्य – दो अभिभावक जिसमें एक के पाल्य के सर्वोच्च अंक होगें तथा दूसरे के पाल्य के सबसे कम अंक होगे।

इस अभियान की सफलता हेतु अन्य विभागों के कर्मियों का भी सहयोग लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी ,जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास),जिला सूचना अधिकारी, ज़िला क्रार्यकम अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी तथा निर्माण एवं तकनीकी विशेषज्ञ प्रमुख हैं।

जिला व विकासखण्ड स्तरीय बैठको में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों /कमियों पर विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा हुई तथा निम्न आवश्यकतायें चिन्हित की गयी ।

(क) असेवित क्षेत्र।

(ख) ड्रापआउट के कारण।

(ग) विद्यालय भवनों एंव संसाधनों की स्थिति।

(घ) अन्य भौतिक संसाधनो की आवश्यकता।

(ड) जन सहभागिता की स्थिति।

(च) अपवंचित वर्ग के बच्चों एंव बालिका शिक्षा सम्बन्धी बाधायें।

(छ) विकलांग बच्चो हेतु शिक्षा व्यवस्था।

सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कोर टीम द्वारा विभिन्न विकासखण्डों में संगोष्ठियॉ आयोजित करवायी गई। जिसमे जिला स्तर के सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में दो–दो व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम विवरण निम्नवत है।

दिनांक : 5–7–2001 से 7–7–2001 रूलेक, देहरादून में सर्व शिक्षा अभिमुखीकरण कार्यशाला का संचालन किया गया।

दिनांक : 25–8–2001 जनपद रूद्रप्रयाग एंव चमोली की संगोष्ठी गोपेश्वर में की गयी ।

दिनांक : 4–9–2001 से 8–9–2001 एन0एस0 डार्ट, मसूरी में परियोजना निर्माण कार्य शाला का आयोजन हुआ।

दिनांक : 12–9–2001 राज्य परियोजना कार्यालय देहरादून में प्राचार्य डायट एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक/संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

दिनांक : 14–9–2001 जनपद रूद्रप्रयाग मे जनपदीप बैठक एंव सर्वशिक्षा प्रकोष्ठ की पहचान की गयी।

विकास खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए निम्न कार्यशालाऐं आयोजित की गयी।

दिनांक	विकास खण्ड का नाम	स्थान	सन्दर्भ व्यक्ति	प्रतिभागी
19–9–2001	अगस्त्यमुनि –1	रूद्रप्रयाग	1. श्रीमती ऊषा वर्त्वाल 2. श्री एस0एस0 नेगी	ब्लाक प्रमुख, समस्त ग्राम प्रधान एवं ब्लाक कोर टीम के सदस्य
20–9–2001	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1. श्री डी0एस0घरिया 2. कु0 दीना राणा	..
20–9–2001	अगस्त्यमुनि – 2	अगस्त्यमुनि	1. श्रीमती ऊषा वर्त्वाल 2. श्री एस0एस0नेगी	..
21–9–2001	जखोली	जखोली	1. श्री रमेश प्रसाद सेमवाल 2. श्रीमती ऊषा विष्ट 3. श्री एस0एस0 नेगी 4. कु0 दीना राणा	

दिनांकः– 24–9–2001 को जनपद स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एन0 एस0 डार्ट मसूरी से विशेषज्ञ के रूप में श्री अतिन्द्र सेन, आई0ए0एस0 व डा0 एच0 सी0 पोखरियाल तथा राज्य स्तरीय प्रतिभागी के रूप में श्री शीशराम आर्य एवं श्री दिवाकर देवरानी ने प्रतिभाग किया। इस गोष्ठी में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों क्षेत्र पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्षों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनो के प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया।

अभियान की सफलता का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग के आलाव अध्यापक, अभिभावक एवं समाज के जागरूक लोगों के ऊपर है। जनपद स्तर पर अभियान का नेतृत्व ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे।

●●●

जनपद – रूद्रप्रयाग
सर्व शिक्षा अभियान (२००२–२०१०)
नियोजन आरेख

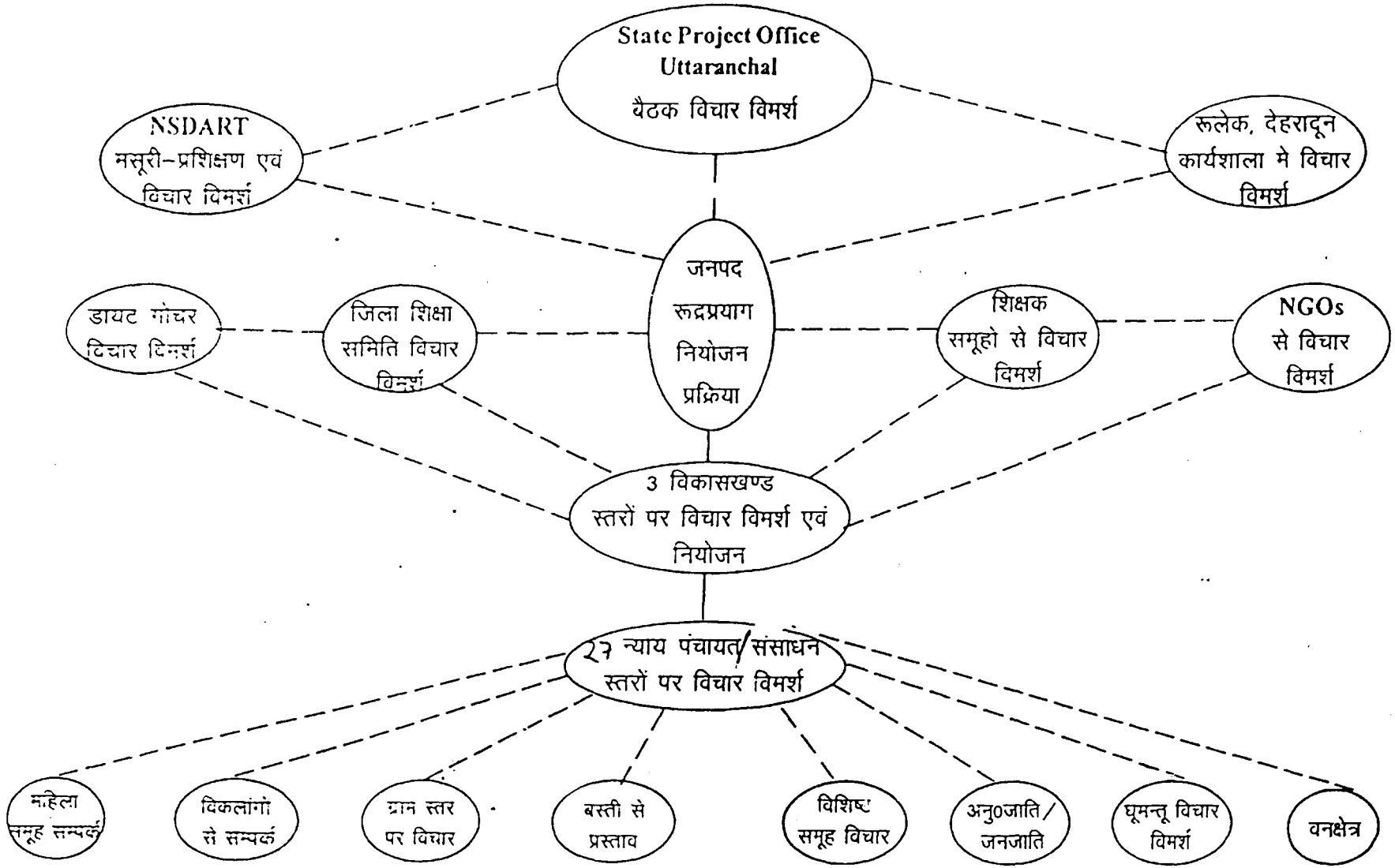

अध्याय – 5

समस्याऐं एवं रणनीतियॉ

आवश्यकता :-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गए फोकस ग्रुप डिसकसन से प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरांत उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गई है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती, नये भवनों का निर्माण, जीर्ण भवनों की मरम्मत, शौचालयों का निर्माण साज सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया।

समस्या	रणनीति
पहुँच :-	
◆ शिक्षा का व्यवहारिक न होना।	◆ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा। जिससे विद्यार्थियों में स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके एवं आर्थिक पिछड़ापन दूर हो। विशेषकर ग्रामीण अंचल के बालक/बालिकाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कताई, फल संरक्षण, स्थानीय क्राफ्ट, पर्यावरणीय शिक्षा एवं रीगंल, भीमल, रातदास, च्यौलू (गेहू का डण्टल) आदि से विभिन्न प्रकार की वस्तुओ का निर्माण कराना सीखाया जायेगा।
◆ अलंवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	◆ 1 किमी तथा 200 की आवादी वाले ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय से दूरी के मानक अनुसार E.G.S. केन्द्र खोले जायेगें तथा 6–14 वय वर्ग तक के बच्चो के लिए A.I.E केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या तथा उनके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय /वर्ग की सीमा निर्धारित की गई है।
◆ प्रकृतिक अवरोध -- भौगोलिक कठिनाइयों जैसे नदी , नाले	◆ भौगोलिक कठनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारण्टी योजना एवम् वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेगें और कालान्तर में उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ लिया

जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध।

जायेगा।

◆ विद्यालयों में भौतिक संसाधनों जैसे टाट पट्टी, फर्नीचर कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, एवं चार दीवारी आदि की कमी।

◆ छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, चाहरदीवारी आदि की व्यवस्था नहीं है, वहाॅ पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के बच्चों के बैठने के लिए काष्टोपकरण की व्यवस्था की जायेगी।

ठहराव :-

◆ शिक्षा के प्रति अभिभवाक, बच्चों में जागरूता का अभाव। अभिभावक की सोच की बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुडें।

◆ शिक्षा का मुल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना। अभिभावक वर्ग की अवधारणा है कि उसका बच्चा कृषि कार्य के स्थान पर पढ़–लिख कर नौकरी करें। वह कृषि कार्य को निम्नस्तर पर रखता है तथा रोजगार को विशेष महत्व देता है इस सोच में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है।

◆ विद्यालयी कार्यकलापों के प्रति बच्चो में अरूचि होना।

◆ बच्चों को विद्यालय बोझिल न लगे, इस हेतु रूचिपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य किया जायेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

◆ शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में हास।

◆ शिक्षक का छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार हो। मानवीय मूल्यो एवं संवेदनाओं में समन्वय हो। शिक्षक की छवि छात्रों के मस्तिष्क में सकारात्मक एवं गुणवत्ता परक रूप में प्रतिबिम्बित हो।

अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यो के निष्पादन में लिगं भेदी व्यवहार किया जाता है। लिंग भेद न करने हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रेरित किया जायेगा।

◆ शिक्षक/शिक्षिकाओं का समुदाय से समन्वय न होना।

◆ अधिकांशतः समुदाय का विद्यालयी कार्यो में सहयोग नहीं लिया जाता है तथा वह विद्यालय क्रिया कलापों से अनिभज्ञ रहता है। इस हेतू M.T.A जैसे समितियों का गठन कर उसे मजवूत बनाया जायेगा।

◆ विद्यालय में छात्र संख्या के

◆ ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग प्राप्त कर मानक के अनुसार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

	... अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। जहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित होगें, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही दोनों विद्यालयों का पूर्ण संचालन करेगा जिसके सभी अध्यापक कक्षा 1 से 8 के तक पाठ्यकम से परिचित होगें तथा अध्यापकों की कमी भी दूर होगी।
◆ अध्यापकों से अपने विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों के कार्यो को निष्पादित कराया जाना।	◆ अपरिहार्य परिस्थिति में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से करवाये जायें जिससे अध्यापकों को शिक्षण कार्य हेतु पूरा समय मिल सकें। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा।
◆ पाठ्य सहायक सामग्री/पुस्तकों का अभाव।	◆ जनपद का अधिकांश क्षेत्र ऊसर होने के कारण यहाँ अन्न का उत्पादन नाममात्र का होता हैं तथा इस क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की सुविधा भी अधिक न होने के कारण अधिकांश लोग गरीब है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को भी निःशुल्क पुस्तके उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
◆ विद्यालय का वातावरण छात्रों के मनोकूल न होना।	◆ विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। T.L.M और T.L.E के द्वारा कक्षा शिक्षण के क्रियालापों को रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा तथा नवाचार विधियों के द्वारा विद्यालय वावावरण को रूचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा।
◆ निदानात्मक शिक्षण का अभाव	◆ जनपद की दुर्गम भौगोलिक एवं समाजिक परिस्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्र पठन–पाठन के क्रिया कलापों से दूर हो जाते हैं और शिक्षा के प्रति उनमें आर्कषण कम हो जाता है। अतः ग्रीष्मकाल में शिक्षण हेतु समर कैम्प की व्यवस्था का प्रावधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें निदानात्मक शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

क्षमता संवर्द्धन :-

◆ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	◆ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, संकुल संसधान केन्द्र एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की

/संकुल संसाधन केन्द्र/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसथान का न होना।	जायेगी।
◆ प्राथमिक / उच्च प्राथिमक विद्यालयों में छात्र अनुपात में कक्षा – कक्षों की कमी।	◆ जनपद की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा, एवं भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जायेगा (V.E.C. के माध्यम से)
◆ सामुदायिक नेताओं का विद्यालय के प्रति जागरूक न होना।	◆ जनपद में V.E.C, M.T.A, P.T.A आदि का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे सामुदायिक नेताओं में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत होगी।
◆ जड़ी–बूटियों आदि के क्षेत्र में पारम्परिक ज्ञान का हास।	◆ जड़ी बूटी के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके लिए शोध की व्यवस्था करना। तथा उनके द्वारा किये गये शोध कार्यो का लाभ जन जन तक पहुँचाना। इस प्रकार पारम्परिक ज्ञान के संवर्धन का प्रयास किया जायेगा।
<u>गुणवत्ता :-</u>	
◆ शिक्षक की कमी।	◆ जनपद की भौगोलिक स्थिति,शिक्षको का असमान वितरण, प्रति विद्यालय दो अध्यापक, छात्र शिक्षक अनुपात पर आधारित मानक पर शिक्षकों की कमी है। इस कमी को दूर करने का पूरा प्रावधान किया जायेगा। ◆ कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक के रूप में गृह विज्ञान शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी।
◆ शिक्षक अनुदान न मिलना।	◆ शिक्षा में गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए प्रत्येक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करेगा। इस कार्य के लिए शिक्षक अनुदान की व्यवस्था की जायेगी।
◆ स्कूल अनुदान की अनुपलब्धता।	◆ प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में T.L.E की व्यस्था का प्रावधान किया जायेगा।

◆ शिक्षकों में सकारात्मक सोच की कमी।	◆ इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे– विषय सम्बन्धी अभिमुखीकरण, एवं नवाचार, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
◆ प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का न होना।	◆ अनुश्रवण एंव मूल्यांकन का कार्य विभागीय व्यवस्था के अन्तगंत किया जाता है। इस कार्य में V.E.C., C.R.C, B.R.C आदि का भी विभिन्न स्तरों पर सहयोग लिया जायेगा।
◆ सतत मूल्यांकन का अभाव	◆ विद्यालय स्तर पर सतत मूल्याकंन की व्यवस्था हेतु अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
◆ विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में कमी।	◆ विकलांग बच्चों का जनपद में सर्वेक्षण करवाकर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0 आई0 को बच्चो के लिए उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
◆ विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन का अभाव।	◆ विशेंष कार्य करने वाले V.E.C., C.R.C, B.R.C अध्यापक एंव छात्रों को के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।
बालिका शिक्षा की समस्याः-	
◆ शिक्षा के प्रति रूचि होंने के बावजूद घरेलू कार्यो एवं सामाजिक मान्यताओं के कारण वालिकाए शिक्षा से दूर हो जाती है जिससें उनका व्यक्तित्व निर्माण अवरूद हो जाता है।	◆ शैक्षिक अभियान चलाकर पुरातन सामाजिक मान्यताओं पर कड़ा प्रहार किया जायेगा तथा लिंग समानता का विचार जन–जन तक पहुँचाया जायेगा। ◆ विकास खण्ड स्तर पर बालिका छात्रावासों की व्यवस्था कर 50 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग यथा अनु0जाति एवं अनु0जन जाति के छात्राओं के लिए आरक्षित किया जायेग तथा छात्रा संवासनियों का चयन ब्लाक स्तरीय चयन समिति के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। छात्रावास का प्रबन्ध महिलाओं द्वारा ही किये जाने की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जायेगी।(संलग्नक देखे) ◆ कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिए विद्यालय समय के पश्चात् विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी तथा इस कोचिंग हेतु नियोजित वस्ती को शिक्षित महिला को प्रशिक्षक बनाया जायेगा। यदि उस बस्ती में शिक्षित महिला न हो तो निकटवर्ती गाँव की महिला की प्रशिक्षक बनाया जायेगा जो कोचिग के समय छात्राओं के गृहकार्य को भी पूर्ण करने में सहायता करेगी।

- लिंग भेद के कारण महिलाओं/ छात्राओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- लिंग भेद की समस्या को समाप्त करने हेतु पुरूष महिला समानता के विचार को जन-जन तक पहुचाने का अभियान चलाया जायेगा।
- महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु महिला मंगल दल, महिला समाख्या, मैती सदस्यों बाल विकास परियोजना में कार्यरत कार्यकर्ता, ए0 एन0 एम0,कला तथा जनसम्पर्क समूह, ग्रामशिक्षा समितियों तथा जागरूक नागारिकों का सहयोग लिया जायेगा।
- इसके निमित्त जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान में महिला शिक्षा एंव विकास विभाग का गठन किया जायेगा ओर इसके संचालन हेतु चार सदस्यी समिति का निर्माण होगा। इसका एक सदस्य सरकारी क्षेत्र से तथा 3 सदस्य गैर-सरकारी क्षेत्र से होगी। सभी सदस्य महिलाऐं होगी।
- प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक आठ सदस्यीय महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिसका मुख्य कार्य महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की पहचान कर उनका निदान करना तथा तत्सम्बन्धी सूचना से डायट स्थित महिला शिक्षा एवं विकास विभाग को अवगत करना होगा।
- महिला पुरूष भेदभाव को कम करने हेतु जेण्डर सोसाइटीजेशन एंव सामुदायिक सहयोंग से गोष्ठियो, सेमीनाऐं आदि का आयोजन करना ।
- डायट स्तर पर महिला शिक्षा एंव विकास विभाग द्वारा माताओं के संगठन को प्रशिक्षित किया जायेगा।

● ● ●

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

नवीन विद्यालय :-

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत्– प्रतिशत् नामाकंन कराने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तियां जहाँ के बच्चे अन्य निकटस्थ विद्यालयों में पहुँचने में कठिनाई महसूस करते है और अपनी शारीरिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जातें हैं, उन वस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करके नामाकंन को बढाया जायेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए सर्व प्रथम सम्पूर्ण जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए असेवित एवं अपहुँच वाली बस्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान की मंशा 2003 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शत् प्रतिशत् नामांकन की है अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य इस अवधि के पूर्व ही करा लिए जायेगे। ताकि 2003 तक शत् प्रतिशत नामाकंन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। असेवित बस्तियों मे नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारणी में दशायें गयें है।

निर्माण कार्य की प्रक्रिया :-

निर्माण की प्रकिया निम्नवत होगी।

1 माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असंवित बस्तियों में आवश्यकता के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रस्तानित किया जायेगा।

2 स्थल चिन्हांकन तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जायेगी।

3 स्थल चयन के पश्चात् ग्राम शिक्षा निधि में प्रथम किश्त की धनराशि, अवमुक्त कर दी जायेगी।

4 विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एंव प्रधानाध्यपक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। धन का हिसाब किताब प्रधान अध्यापक के पास रहेगा।

5 धनराशि ग्राम शिक्षा निधि में पहुँच जाने पर निर्माण कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रत्यक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी।

2 <u>फर्नीचर :-</u>

परिषदीय प्रा0 विद्यालयों में कम से कम 4 कुर्सी, 2 मेज एवं एक अलमारी, टाट पट्टी, बाल्टी, लोटा एवं घन्टी की व्यवस्था की जायेगी।

3 <u>साज- सज्जा :-</u>

साज सज्जा हेतु प्रत्यक प्रा0 विद्यालयों में रू0 2000/- प्रतिवर्ष तक प्रत्येक उच्च प्रा0 वि0 हेतु रूपया 2000/- प्रति वर्ष की दर से दिया जायेगा।

~~46~~

जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि वर्ष के आधे भाग में बालिकाओं का ग्राम से बाहर जाना संम्भव नहीं हो पाता है। इससे यहाँ की बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत न्यून है। उसमें भी अनुसूचित जाति एवं अनु0जाति की बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। बालिकाओं में शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक गॉव में विद्यालय शिशु शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साक्षरता दर कम होने का प्रमुख कारण उनके आर्थिक स्थिति का भी कमजोर होना है। परिवार के अधिकतर सदस्यों को रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर जाना पड़ता है। तथा 6–14 वय वर्ग की बालिकाओ को गृहकार्य, छोटे भाई–बहनों की देख–रेख तथा भोजन पकाना आदि कार्य करना पड़ता है।

ऐसी बालिकाओं हेतु जिन्हें अभिभावक के मजदूरी पर जाने के कारण परिवार के छोटे बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है। उन्हें विद्यालय में लाने के हेतु शिशु केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी।

बालिका शिक्षा हेतु ऐसे पाठ्यक्रम को लागू किया जायेगा जिसके द्वारा उन्हें साक्षर बनाने के साथ– साथ गृह कार्य कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई एंव आर्थिक प्रगति मे सहयोगी अन्य गृहपयोगी कार्य जैसे – आचार निर्माण, मुरब्बा निर्माण आदि विधाओं का समावेश किया जायेगा। अभिभावक के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि बालिकाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिन्टमीडिया, बैनर, पोस्टर एव जनजागरण अभियान चलाकर ये समझाया जाना आवश्यक है कि यदि बालिका अशिक्षित रह गयी तो समाज का किसी भी प्रकार से विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। क्योकि ये समस्त बालिकाएं ही आगे चलकर एक–एक परिवार का भार अपने कन्धों पर लेगीं। और यदि वे स्वय शिक्षित नहीं हैं तो समाज की अगली पीढ़ी को शिक्षित कर पाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएगी। साथ ही गृहस्थी सम्बन्धी कार्यो को भी सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित नहीं कर सकेगीं। इसके लिए ऐसी बालिकाएं जो ग्रमीण क्षेत्रों में काफी उम्र की वजह से कक्षा 1 या 2 में प्रवेश लेने में झेंप महसूस करती हैं, उनके लिए बालिका शिक्षा शिविर लगा कर उन्हे योग्यता के अनुसार सीधे अगली कक्षाओं मे प्रवेश दिलाया जायेगा।

ऐसे स्थान जहां की भौगेलिक एंव आर्थिक स्थिति इन बालकाओ के शिक्षित होने में बाधक है, जहॉ पर दूर दूर तक विद्यालय नहीं है, जहॉ की लड़कियॉ अन्य कार्यो में संलग्न है, वहॉ पर ब्रिजकोर्स पूर्ण रूप से आवासीय होगें। और उनके शिक्षण के साथ साथ कपड़ो की सफाई एंव स्वच्छता आदि का भी ध्यान

रखा जायेगा। इससे पूर्व इन बालिकाओं के अभिभावकों को ये समझाया जाना चाहिए कि उनकी बालिकाओं को ऐसे शिविर में कोई परेशानी नहीं होगी। और उनके शिक्षक के रूप में महिला अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि अभिभावक बीच में अपनी बालिकाओं से मिल सके और ये जान सकें कि उनकी बच्चियाँ शिविर में रह कर कुछ सीख रही हैं। (40)

जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ के अनेक ग्राम/बस्ती मानक के अनुसार असेवित हैं इसलिए विभिन्न वय वर्ग की बहुत सी बालिकाओं का विद्यालय तक पहुचना सम्भव नहीं हो पाता। अतः उनको शिक्षा की मुख्य धारा में पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना/ शिक्षा गारण्टी योजना प्रारम्भ की जायेगी। इन केन्द्रो को आकर्षक एंव रोचक बनाने हेतु बच्चों के पठन पाठन सामाग्री के साथ–साथ उनके शारीरिक ,मानसिक एंव बौद्विक विकास में सहयोगी सामग्रियों की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उनके ड्राप आउट को समाप्त करने हेतु इन केन्द्रो पर महिला अभिभावको से सम्पर्क के समय को पाठ्यकम में सम्मिलित किया जायेगा। बच्चियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके लिए परिसर में ही ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पूर्व से संचालित आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, आदि केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत उन्हे अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर एवं उनकी कक्षाएं निकट के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित करवा कर उन्हें गतिशील बनाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सुदूर स्थिति गांवो एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों को प्राथमिकता के आधार पर सेवित किया जायेगा।

समस्त जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर किसी विशेषता (अपहुँच वाला गांव, अनु0जाति बाहुल्य गाँव इत्यादि) के आधार पर एक माडल ग्राम का चुनाव किया जायेगा एवं इस गाँव में बालिकाओं का शत प्रतिशत नामाकंन कराकर उन्हें सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार से उपयोगी शिक्षण सामाग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षित किया जायेगा। एंव यहां के नामाकंन प्रतिशत एंव उपलब्धियों को सम्पूर्ण न्याय पंचायत मे प्रचारित करने हेतु माडल क्लस्टर विलेज द्वारा साक्षर की गयी बालिकाओं के माध्यम से गाव गांव में गोष्ठी, नाटक एवं नुक्कड़ सभाओंके आयोजन द्वारा जन जागरण अभियान चलाकर पूरी न्याय पंचायत का शत् प्रतिशत बालिका नामाकंन लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। तथा सभी बालिकाओं को कक्षा –2 तक की शिक्षा देने के उपरान्त् उन्हें विद्यालयोंमे प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

आर्थिक रूप से परिवार के मददगार न होने पर विद्यालय को सत्र के बीच में छोड़ने वाली बालिकाएं, शिक्षण सत्र के मध्य में गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण शिक्षा छोड़ने वाली बालिकाओं, बाल विवाह के कारण सत्र के मध्य विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएँ एवं अन्य कारणों से शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सर्वप्रथम पैरा टीचर्स की नियुक्ति कर गाँव–गाँव में ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया

जायेगा। इसमें सर्व प्रथम मुख्य कार्य गाँव की माइक्रोप्लानिंग कराकर ड्राप आउट हुई बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा। उनके ड्राप आउट होने के कारणों की खोज एंव विश्लेषण किया जायेगा। अभिभावकों को पुनः बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उस गाँव में संचालित ग्रीष्म कालीन शिविरों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा तथा शिविर के पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि निर्धारित समय के अन्तर्गत ही उसे समाप्त कर नए सत्र में आरम्भ होने वाली कक्षाओं में उनका प्रवेश कराया जा सके।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव योजना का संचालन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत विभागीय पाठ्यक्रम के साथ-साथ भावी जीवन के लिए उपयोगी कार्य कलापों का समावेश किया जायेगा। इसमें घर की स्वच्छता, साज सज्जा, बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ तथा उनके उपचार आदि को सम्मिलित किया जायेगा। नारी जीवन में गृहणी के कार्यों से सम्बन्धित क्रिया-कलाप जैसे अचार, मुरब्बा आदि का निर्माण तथा उनको सुरक्षित रखने की विधि आदि का भी समावेश किया जायेगा। जिससे बालिकाएं अपने शिक्षण काल में ही स्वंय उनके निर्माण एंव प्रयोग में दक्ष होकर अपने भावी जीवन में स्वावलम्बी बन सकें एंव परिवार की आर्थिक दशा को सुदृढ करन में सहभागिता निभा सकें।

उपरोक्त सभी योजनाओं की सफलता तथा बालिकाओं के शत् प्रतिशत् नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल प्रदेश में पुरूषों एंव महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 84.01 एंव 60.26 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग में पुरूषों की कुल साक्षरता 90.73 प्रतिशत एंव महिलाओं की कुल साक्षरता 59.98 प्रतिशत दर्शायी गयी है।

महिला साक्षरता :-

किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि महिला के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत् प्रतिशत् करने के साथ ही सभी वर्गों की बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

बालिका शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। 3-6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में वृद्वि हुयी है। बालिकायें अक्सर इस वय वर्ग में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं हेतु कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

परिणामस्वरूप विद्यालय की उपस्थिति में वृद्वि हुयी एंव ड्राप आउट की संख्या में कमी आयी ।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ :-

बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न योजनाएं प्रस्तावित है :-

1 बालिकाओं के माता पिता अपनी लड़कियो को दूरस्थ स्थापित विद्यालयों में भेजना उचित नही समझते अतः विद्यालय विहीन 1.5 कि0 मी0 की परिधि एंव कम से कम 200 की आबादी पर नवीन विद्यालयों की स्थापना की जायेगी एवं 300 की आबादी से अधिक तथा 3 कि0 मी0 की परिधि पर प्रत्येक बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगें।

2 प्रत्येक विद्यालय मे बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एंव पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

3 प्रत्येक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षिकायें हो ऐसा प्रयोग किया जायेगा।

4 माता शिक्षक संघ एंव महिला प्रेरक समूहो का गठन कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को कम किया जायेगा।

5 बालिकाओं के नामांकन एंव ठहराव में वृद्वि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।

6 जनपद में बालिका शिक्षा के समन्वय एवं देखरेख एक पूर्ण कालिक जिला समन्विका की व्यवस्था नियमानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

7 समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं एवं विद्यालय वातावरण आदि पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं।

8 ऐसी बालिकायें जो औपचारिक विद्यालय में नहीं जा सकती, उनका ई0जी0एस0 में प्रवेश कराया जायेगा।

9 11-14 वय वर्ग की बालिकाओं जो गॉव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालकों के साथ विद्यालय में नहीं पढ़ने जाती, उनके लिए अलग नवाचार ए0आई0ई0 खोले जायेगें।

10 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जायेगें।

जनजागरण अभियान :-

जनपद – रूद्रप्रयाग में 2542 बालिकायें है जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामाकंन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जायेगें। विशेषकर विकासखण्ड ऊखीमठ एवं जखोली में बालिकायें घरों में काम करती है। या अल्पसंख्यक जातियॉ अपेक्षाकृत अधिक पिछडी हुयी है। इनके लिए माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रभात फेरियॉ जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठको का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन संख्या :-

1 समस्त ग्राम समितियो को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगे।

2 महिला प्रेरक समूहो एवं एम0 टी0 ए0 का गठन एंव प्रशिक्षण।

3 जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच :-

जनपद के अत्यन्त पिछडे एंव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल क्लस्टर ग्राम सभा का विकास किया जायेगा।

न्याय पंचायत को माडल बनाकर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा । इन क्लस्टरों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगे ताकि इन न्याय पंचायतो की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वय वर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय म बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वाभाविक लगाव भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतो में बालिकाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है जैसे ग्रीष्मकालीन शिविर किशोरी संघो का गठन, लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि का आयोजना।

विशेष नामाकंन अभियान :-

चयनित क्लस्टर में पार्टीसिपेन्ट्री रूरल एप्रोच विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आंकड़ो के आधार पर उपरोक्त विकास खण्डो में नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इस सम्बन्ध में समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूहों का सहयोग लिया जायेगा एंव निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

1 इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठियो का आयोजन, फिल्म प्रदर्शन, बैनर चार्ट पोस्टर एवं कला जत्था के माध्यम से माता पिता एंव अभिभावकों

को प्रेरित किया जायेगा।

2 माँ – बेटी मेला आयोजन : ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा उसके माध्यम से माताओं को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

3 ग्राम सभा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला : इस कार्यक्रम के तहत एम0 टी0 ए0, पी0 टी0 ए0, वी0 ई0 सी0 महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन0 पी0 आर0 सी0 केन्द्रों के समन्वयकों आदि के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

4 ग्राम शिक्षा समितियो, महिला प्रेरक समूहो का गठन एंव प्रशिक्षण : बालिकाओ की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, नामांकन विद्यालय में ठहराव में वृद्वि हेतु वी0ई0 सी0 एवं एम0 टी0 ए0 आदि की संवेदनशील बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यस्था की जायेगी । इसके लिए जि0 प्रा0 शि0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूशा प्रयोग की जायेगी।

5 बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने वाली कक्षा द्वारा कक्ष प्रकियाओं तथा गतिविधियों से अवगत कराने हेतु विकासखण्ड संसाधन तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों तथा सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा शिविर :-

शालात्यागी बालिकाओ को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु : ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु 30 दिन का ग्रीष्मकालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको कक्षा विशेष में पुनः नामाकित कराया जायेगा यह शिविर प्रा0 एंव उ0प्रा0 विद्यालयों में चलाये जायेगें। क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्राप आउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

विकास खण्ड के नाडल क्लस्टर/अन्य क्षेत्रो की चयनित ग्राम सभाओं में दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं के अभिभावकों , स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रधानों एवं अन्य समूहो को बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आयोजित किये जायेगें ऐसे शिविर नगर क्षेत्र रूद्रप्रयाग तथा ऊपर उल्लिखित दो विकास खण्डों में प्रस्तावित किये जावेगे। इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम :-

जनपद के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को खिलौना बनाना, कला, चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढाई, बुनाई आदि की शिक्षा के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियॉ, मिट्टी के खिलौने कागज के खिलौने, एवं कागज के समान बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत कृषि पशुपालन, पुस्तककला, धातु कला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान देकर छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति आर्कषण पैदा किया जायेगा।

विशेष वर्ग की शिक्षा - समेकित शिक्षा :-

भारत की लगभग 5–10प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजानिकीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रासित बच्चो को विद्यालय नहीं लाया जाता। इसके पश्चात् एक मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हे विभिन्न प्रकार की विकलांगता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा और इन बच्चों के लिए समेकित अथवा व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :-

मुख्य रूप से विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1 दृष्टि विकलांगता।

2 श्रवण एंव वाणी विकलांगता।

3 अस्थि विकार विकलागता।

4 मानसिक मन्दता।

5 अधिगम मन्दता।

विकलांगता / अक्षमता के कारण :-

बच्चो में कुछ विकलांगतायें / अक्षमता जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। बच्चो की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं।

1 दौदिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर।

2. देखने में कठिनाई सुनने एवं बोलने में कठिनाई।

3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों में तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।

4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें आदि।

5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चे के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है।

- माता पिता के स्नेह में कमी।
- सीखने के समान अवसर का न मिलना।
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम :-

1. बच्चों में :-
   - आत्मनिर्भरता में कमी।
   - चलने में परेशानी।
   - समाज में उपेक्षित।
2. परिवार में :-
   - अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।
   - आर्थिक बोझ अधिक आदि।

3. अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तिराँ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीकि की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का

ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य [illegible]
चुका है।

4. **संवेदीकरण :–**

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित का संवेदीकरण आवश्यक है–

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एव भाई–बहनों का संवेदीकरण मार्गदर्शन ।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं, किन्तु इन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवयकता हैं। उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उनके लिए उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिये बच्चों को डाक्टरों की एक टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक्स, एक इ.एन.टी. डाक्टर एवं एक आई स्पेस्लिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेन्ट कराया जाता है। फिर आवश्यकतानुसार उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है। इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।–

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बान्द्रा, मुम्बई।
3. एलिम्को, जी.टी. रोड, कानपुर–208016।
4. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करडूमा, विकास मार्ग, दिल्ली।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेन्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद।
7. नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, काटेन ग्रीन, एल.पी. कॉम्प्लेक्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

8. मंगलम.ए–445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

9. यू.पी.विकलांग केन्द्र 13 लूकरगंज, इलाहाबाद।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 का दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवान्स स्टडीज स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र, रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :–

शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया है जो पाँच विकलांगताओं यथा–दृष्टि,श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोकस किये गए है।जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये "आप क्या कर सकते है।" फोल्डर विकास किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा–3 पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में विकलांगता के विषय मे शामिल किया गया है।

8. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम का समावेश होता है।

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझाना।
- इन बच्चों के सभी समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा–कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

9. स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी :-

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्न पात्रताएँ रखती हों।

- संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
- विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

सामुदायिक गतिशीलता :-

6–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक होती है।

गॉव एवं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चत करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरों में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अनेक अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

कार्य ग्रुप डिस्कर्सन :-

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर विभिन्न समस्याओं पर फोकस ग्रुप डिस्कसन कराये गये। इन ग्रुप डिस्कसन में ग्राम प्रधान गणमान्य व्यक्ति अध्यापक, अभिभावक अधिकारियों, अल्प संख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा प्रभिभाग किया गया।

फोकस ग्रुप डिस्कसन में नामांकन, भवन, विज्ञान, शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, मकतब को सुदृढ़ करना, गणवेश, बालिका शिक्षा आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National ... Educational
Planning ... Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11916
DOC, No
Date 27-06-2002

ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता :-

ग्राम में ग्राम शिक्षा पर चर्चा की गई। सामुदायिक गतिशीलता को बनाये रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है। समुदाय को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है।

विगत वर्षों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ है। पंचायत राज व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ग्राम पंचायतो को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अत्यन्त आवश्यक हैं। जनपद में वर्ष 2002 में 100 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संसाधन के निर्देशन मे न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि दो दिन की होगी तथा प्रशिक्षण स्थल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र होगें।

विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने में सामुदायिक भूमिका :-

सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएं है उनका निराकरण करने मे समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नही सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :-

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण एवं पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी तथा उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय मे उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज-सज्जा में सहयोग :-

विद्यालय में फर्नीचर टाट पट्टी, श्याम पट्ट चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कॉपी आदि की सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत उन्हें करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियता :-

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चाहरदीवारी निर्माण, मिट्टी भराव एवं विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय गणवेश निर्माण मे सहयोग :-

वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु बच्चों के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगो की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे बच्चें अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चो से उनकी पृथक विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चें अपने को अपराध भावना से देखें और स्वंय भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सके।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृति :-

राष्ट्रीय पर्वो मे प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोडा जायगा।प्रतियोगिताएं आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग :-

समुदाय के शिक्षित लोगो को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालयो में शिक्षण कार्य के लिए समय दे तथा अध्यापक के कार्य मे सहयोग करें।

विद्यालय पर्यविक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग :-

ग्राम के शिक्षित एवं सम्मानित व्यक्तियों शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जाये कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे। और मासिक रूप से उसका अनुश्रवण भी करे तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करे।

* * *

अध्याय – 7

परियोजना का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की योजना वर्तमान व्यवस्था की समपूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 – 2010 तक होगी। इस अवधि में 6 – 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवम् प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है। प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा। इसमे व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबन्धन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय समय पर समीक्षा और रणनितियों के परिर्वतन के लिये इसे तत्पर रहना होगा। इसमे सबसे निचले स्तर पर जवाब देही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा । अध्यापको एवम् छात्रों की उपस्थित सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रबन्ध तंत्र –

प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील एवम् लचीला प्रणाली के अर्न्तगत सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित किया जाना है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में लचीलापन लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित किया गया है तथा वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबन्धक तन्त्र तैयार किया गया है जो निम्नवत है।

निर्णय कर्त्ता	प्रबन्धक तन्त्र	अकादमिक संस्थाएं
साधारण सभा और कार्य कारणी	राज्य परियोजन कार्यालय	एन.सी.ई.आर.टी.एवम् सीमेट
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट एन.जी.ओ.
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापिका	सी.आर.सी.
संगठनात्मक ढॉचा – नीति निर्धारण		

ग्राम शिक्षा :

ग्राम्य स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष होगा ।
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापको मे से ज्येष्ठतम् सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।
3. बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन अभिभावक (जिसमें एक अभिभावक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दष्ट किये जायेगे।

अधिकार एवम् दायित्व : –

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

1. पंचायत क्षेत्र के स्कूलों का प्रशासन नियन्त्रण एवम् प्रबन्धन करना ।
2. बेसिक स्कूलो के प्रचार, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
3. बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
4. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिऐ आवश्यक समझे जायें।
5. पंचायत के सीमाओं के अंदर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों पर ऐसी रीति से जैसे नीहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
6. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हे सौंपा जायें ।

कार्यक्रमों में सक्रिय सानुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी.टी.ए. महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जाऐगें इन कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की मांग तथा शिक्षा के लिऐ परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण

(Convergence) इसी समिति का कार्य एंवम दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के प्रवेषण में किया गया हैं। 59

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति :-

प्रत्येक विकास खण्ड स्तार पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी ।

क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैः–

1.	ब्लाक प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम अध्यापक	–	सदस्य

अधिकार एवम् दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वय एवम् क्रियावन्य में आ रही कठिनाईयाँ को दूर करना तथा ग्राम पंचायत समिति एवम् जिला पंचायत समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करना है।

ब्लाक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की एक कोर टीम का गठन किया गया है। इस कोर टीम के निम्नलिखित सदस्य है –

1.	खण्ड विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	क्षेत्र पंचायत समिति की भी सदस्यता हो 01 वर्ष के लिये नामित	–	सदस्य
4.	क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित अनु0जाति/अनु0जनजाति/ पिछड़े वर्ग एक का ग्राम प्रधान 01 वर्ष के लिये नामित	–	सदस्य
5.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उ0प्रा0वि0 (1)	–	सदस्य

6 प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 (1) – सदस्य

7. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य /सचिव

अधिकार एवम् दायित्व :-

इस कोर टीम का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकास खण्ड होगा । विकास खण्ड स्तर पर जिला परियोजना या जिला कोर टीम द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण करना विद्यालयों शिक्षकों, बच्चों एवम् ग्राम शिक्षा समितियो के बारें में सूचनाओं / आँकडों का संकलन करना तथा प्रत्येक माह ब्लाक पर संकलन समन्वयों के साथ बैठक का आयोजन करना इस टीम के प्रमुख दायित्व के रूप में संदर्भित है।

संकुलन संसाधन केन्द्र (सी.आर.सी.) :-

जनपद के भौगोलिक स्थितियो को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवम् अनुश्रवण हेतु संकुल संसाधन केन्द्रों का चयन कर लिया गया है। एक संकुल केन्द्र से अधिकतम 12 विद्यालय सम्बद्ध होगें। प्रत्येक संकुल संसाधन केन्द्र पर संकुल समन्वयक की नियुक्ति की जाऐगी तथा इन्हें सुसज्जित किया जाऐगा । संकुल संसाधन केन्द्रों पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

कार्य एवम् दायित्व :-

1. संकुल केन्द्र से सम्बद्ध विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना ।
2. अध्यापको की सप्ताहिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्गित कठिनाईयों पर विचार विर्मश करना ।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से संकुल केन्द्रों से सम्बद्ध विद्यालयों के गुणवत्ता में सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना बनाना ।
5. संकुल स्तरीय सूचनाओं/ ऑकडों का संकलन करना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) N.P.R.C.

इस जनपद में सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवम् नगर क्षेत्रों में नगर संसाधन केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा तथा इन संसाधन केन्द्रों को उपकरणों, विद्युतकरण,कम्प्यूटर एवम् अन्य मूल भूत सुविधों से सुसज्जित किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्र पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जायेगी। विकास खण्डों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों एवम् कार्यक्रम की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सह समन्वयक

की नियुक्ति की जायेगी । समन्वयकों एवम् सहसमन्वयकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

कार्य एवम् दायित्व :-

1. अध्यापकों के लिए अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूक्ष्म नियोजन करना।
3. विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना नवीन विधियों एवम् सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग की स्थिति सुनिश्चित करना ।
4. ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
5. संकुल केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर पर अधिकारियों एवम् अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
7. विकास खण्ड में स्कूल से बाहर विभिन्न वय वर्ग के बच्चों का बस्तीवार कम्प्यूटराइज आँकडें तैयार करना ।
8. विद्यालय से सम्बन्धित आँकडों का संकलन जाँच एवम् विश्लेषण करना ।
9. प्रत्येक माह में शैक्षिक प्रगति हेतु संकुल समन्वयकों के साथ बैठक करना।
10. विकास खण्ड में संकुल एवम् विद्यालय स्तरीय शैक्षिक कठिनाईयों तथा प्रगति से जिला परियोजना कार्यालय एवम् डायट को अवगत करना है।

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है –:

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
प्राचार्य/डायट	सदस्य
वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवम् लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर.ई.एस)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (पी.डब्लू.डी)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षाविद् (अवकाश प्राप्त अधिकारी)	सदस्य
विश्व विद्यालय एवम् महाविद्यालयों से	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्ण माला. क्रम से)	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार प्राप्त)	सदस्य
स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना के अधिकारी एवम् दायित्व :-

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति होगी । जिले स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुऐ इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवम् जनसहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवम् शैक्षिक अंगों को माननीय होगें। प्रवेश, धारण, गणवत्ता, संबधन, निर्माण की तकनीकी आदि के लिये सभी कार्य सभी समिति द्वारा निर्धारित किये जाएगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान की संरचना, संचालन एवम् निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई.जी.एस./ए.आई.ई. से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रमों के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति में होगा ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :-

बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद् अधिनियम 1972 के अर्न्तगत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसका स्वरूप निम्नवत है –

जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/ सचिव
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
जिला हरिजन कल्याण एवम् समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से हों	सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट	
विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
जो समिति का सहायक उप सचिव होगा	

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद के नियमों और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी ।

1. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
2. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
3. ऐसे बेसिक स्कूल के विकास प्रचार प्रसार एवम् सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।

प्रशासनिक तन्त्र :-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवम् कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा ।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, करेगें। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये जिला परियोना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमे स्टाफ़ के पद सृजित कर तैनाती सुनिश्चित की जायेगी ।

जिला परियोजना कार्यालय की संरचना:-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी

2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई.जी.एस./ए.आई.ई)	01
3.	समन्वयक	04 (राजपत्रित प्रतिनियुक्ति पर)
4.	सलाहकार	02 (रू 10000/– नियत वेतन प्रति पद)
5.	सलाहकार	01 (रू 7000/– नियत वेतन प्रति पद)
6.	सहायक लेखाधिकारी	01
7.	लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर	01
8.	परिचारक	02

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें । जनपद में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने –अपने विकास क्षेत्र के प्रभारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।

शैक्षिक प्रबन्धन एवम् सूचना प्रणाली

(ई.एम.आई.एस.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जिला परियोजना कार्यालय में एम.आई.एस. स्थापित किया जायेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गति विधियों का अनुश्रवण तथा आकड़ों का संकलन एवम् विश्लेषण किया जायेगा।

विद्यालय सांख्यिकी कार्य के लिये कम्प्यूटर आपरेटर ,प्रधानाध्यापक,संकुल समन्वयक बी.आर.सी. समन्वयक एवम् सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और ई.एम.आई.एस. सम्बन्धी प्रपत्र भरने सूचना संकलन एवं विश्लेषण आदि की जानकारी दी जाएगी।

आँकड़ें का उपयोग :-

ई.एम.आई.एस. आँकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण सूचक जैसे जी.ई.आर.ड्राप आउट दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय

विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन सूचको का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के संकलन मे समय के बचत हो सके और कार्ययोजना की संरचना में समयनुसार समावेश/संशोधन किया जा सके ।

आँकड़ों का उपयोग नवीन विद्यालय हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में शिक्षा गारंटी केन्द्र/ नवाचार वे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान करने में एकल अध्यापकीय विद्यालयों के चिन्ह करण में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में बालिकाओं के कम नामकन वाले विद्यालयों के चिन्हीकरण में पाठ्यपुस्तको के वितरण हेतु लाभार्थियों की संख्या के आकलन में, शिक्षकों के विवरण में विकलांग बच्चों के चिन्ही करण तथा उन्हे उपलब्ध करायी गई सुविधा के बारे में अत्यधिक प्रभावी होगी ।

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान :-

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान की महती आवश्यकता है [illegible] नहीं है। अतः जनपद चमोली के गोचर स्थित डायट से ही अभी सहयोग लिया जा रहा है। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान व्यापक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखतें हुये जनपद रूद्रप्रयाग में डायट की स्थापना तथा उसका सुदृढ़ीकरण अति आवश्यक है।

इस योजना के अन्तर्गत इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्तियों को चयनित करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।
2. राज्य एवम् राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों के सम्पर्क मे रहना तथा शिक्षा में नवाचार, अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों, क्रियात्मक शोधों तथा शोध अध्ययनों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना, ताकि जिला विकास खण्ड एवम् ग्राम स्तर किया जा सके ।
3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियो को प्रशिक्षत करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।
4. जिला स्तर पर शिक्षा की समस्याओं के निदान एवम् उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।
5. जिले के समस्त विद्यालयों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण एवम् अनुश्रवण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्कतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का [illegible] करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारीयों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे करना।

9 जिले स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

10 शिक्षा के गुणवत्ता विकास के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11 शिक्षकों, समन्वयकों, ई.सी.सी.ई. तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं निरीक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

12 एम.आई.एस. के माध्यम से शैक्षिक ऑकडों का विश्लेषण करना तथा संकलित की विश्लेषण कराना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

13 जिले में एक वर्षीय कार्य योजना के अनुसार क्रियान्विय कार्यक्रमों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु स्मारिका, फोल्डर एवम् सांख्यिकी की का प्रकाशन ।

परियोजना प्रबन्धन एवम् योजना प्रणाली :-

एम.आई.एस के द्वारा जनपद के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जावेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी और जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

निधि का प्रवाह :-

जिले की वार्षिक योजना एवम् बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपयुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण, अकादमिक,पर्यवेक्षक /अनुश्रवण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी

इस संस्थान द्वारा गुणवत्ता के लिये बी.आर.सी. एवम् सी.आर.सी. को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यादायी संस्थाओं जैसे – ग्राम शिक्षा समिति स्वंय सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते में हस्तान्तारित की जायेगी । जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त एवम् व्यय – धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह राज्य परियोजना कायोलय को उपलब्ध कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान

(राष्ट्रीय प्रकोष्ठ)

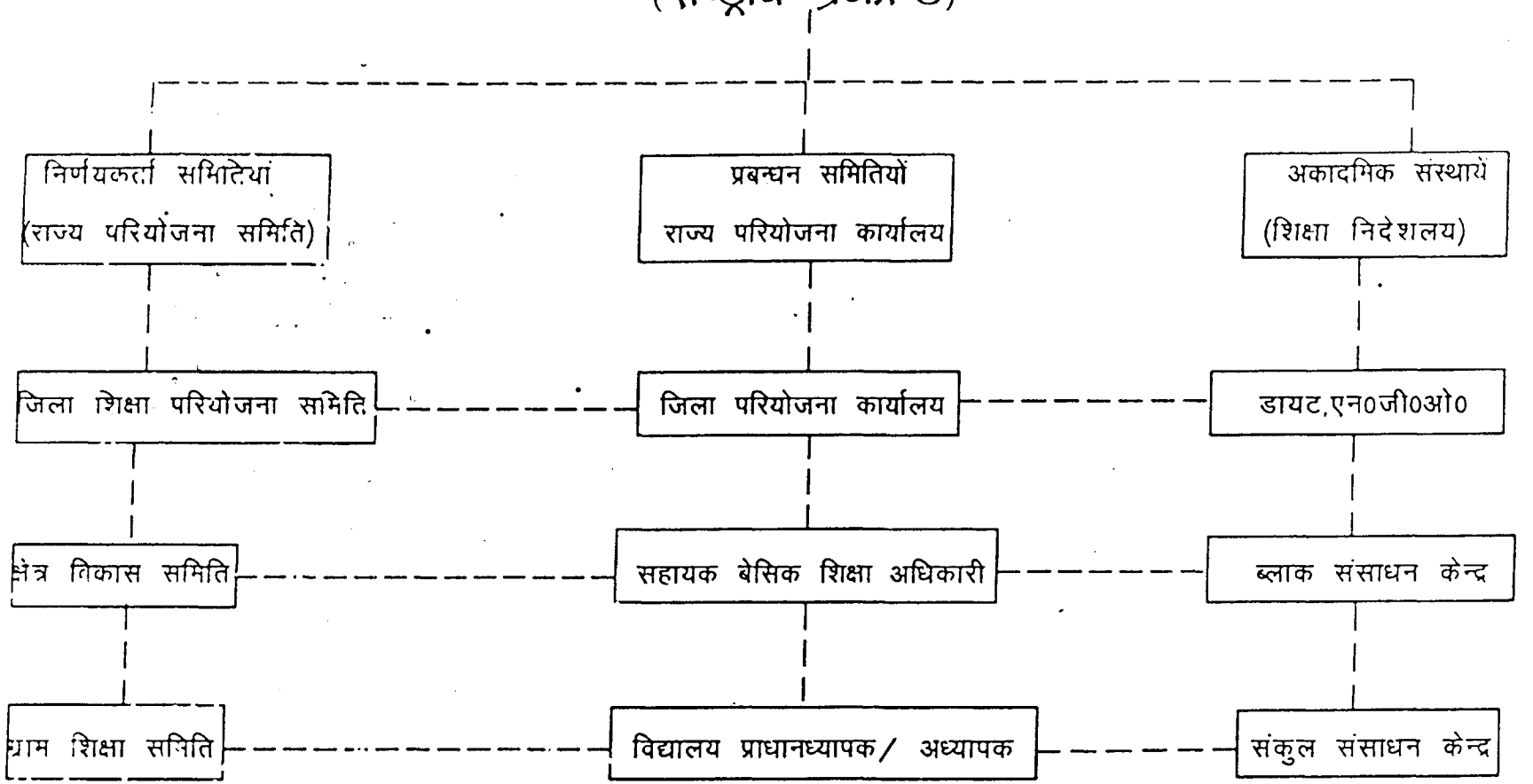

●●●

वर्ष 2002–03 हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्य विवरण

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	पुर्ननिर्माण		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		शौचालय		पेयजल		चाहरदीवारी		CRC/ NCRC	BRC
		प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0		
1	उखीमठ	6	3	9	3	35	8	45	5	20	3	5	
2	अगस्तमुनि	12	5	23	7	80	14	70	10	40	5	10	1
3	जखोली	4	5	10	3	50	8	30	5	20	3	5	1
योग		21	13	43	13	165	30	145	20	80	11	20	02

वर्ष 2002–03 हेतु प्रस्तावित **E G S** व **E C C E** केन्द्रों का विवरण क्षेत्रवार

क्र0स0	क्षेत्र का नाम	E G S	E C CE	E C C E (I C D S)
1	उखीमट	30	50	0
2	अगस्तमुनि	30	120	10
3	जखोली	5	0	0
योग		65	170	10

कार्यक्रम प्रगति आख्या

सर्व शिक्षा अभियान

सारिणी ए पिछले वर्षों के कार्यक्रमों की प्रगति बर्ष २००१–२००२ जनपद – रूद्र प्रयाग

भारत सरकार के मानवसंसाधन मन्त्रालय द्वारा जनपद रूद्रपयाग के सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष २००१– २००२ के लिए निम्न कार्यो हेतु निम्न धनराशि प्रदान की गयी है, जिसका विवरण अग्रलिखित है।

१. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए साजसज्जा/ एवं (बैठक व्यवस्था हेतु कास्टोपकरण) हेतु २० विद्यालयों को पचास हजार की दर से १० हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसका व्यय वर्ष २००१ में नहीं हो सका। यह धनराशि पूर्ण रूप से जनपद के पास शेष है। इसलिए वर्ष २००२–०३ में किया जाना प्रस्तावित है।

२. शिक्षा गारण्टी स्कीम के अर्न्तगत जनपद की मांग के अनुरूप चालीस शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के लिए ४८ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

३. जनपद रूद्रप्रयाग में अतिरिक्त कक्षाकक्षों निर्माण हेतु सात विद्यालयों को ७० हजार की दर से चार सौ हजार नब्बे हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

४. पुराने पडे प्राथनिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए पाँच विद्यालयों को चयनित किया गया। उनको १३७५ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। जिनका निर्माण वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

५. पुराने पडे एवं क्षतिग्रस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु १२ लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। इनका विद्यालयों का पुनर्निर्माण भी वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

६. जनपद में पीने के पानी के लिये १८ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ३६० हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है। इसका व्यय २००२–०३ में होना है।

७. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल ५४७ विद्यालयों को २७३५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग विद्यालय साज-सज्जा पर २००२-०३ में कर दिया जायेगा।

८. जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए १०६ पैराटीचर की व्यवस्था हेतु मानदेय के लिए ७१५.५ हजार रूपयों की स्वीकृति दी गई है। इसका व्यय भी २००२-०३ में किया जाना है।

९. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हाई स्कूल इण्टर कालेजों में कक्षा ८ तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक संगठन की बैठक कराने हेतु ६४७ विद्यालयों को १२९४ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उपयोग भी वर्ष २००२-०३ में किया जायेगा।

१०. इनोगेटिंग कार्यक्रमों हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में १२४ हजार रूपयों की माँग की गई थी। यह धनराशि वर्ष २००१-०२ में अवमुक्त नहीं हो सकी। अतः इसका उपयोग वर्ष २००२-०३ में किया जायेगा।

११. तकनीकी शिक्षा की जानकारी हेतु ग्रीष्म अवकाश के समय विद्यालयों से बाहर तीन दिवसीय कैम्पों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा; जिसके लिए २८० हजार रूपयों की माँग की गई थी।

१२. बालिका शिक्षा की दर में वृद्धि करने हेतु प्राथमिक स्तर पर गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं को मानदेय के रूप में दिये जाने हेतु शासन द्वारा १० दिवसीय प्रशिक्षण के लिए २५० हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की है

१३. प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए १८ अध्यापकों का वेतन २२४ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है।

१४. आँगनवाडी केन्द्रो के विकास के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक केन्द्र को सामग्री वितरण हेतु एक लाख रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

१५. जनपद की ६८ केन्द्रों पर कार्यरत आँगनवाडी सेविकाओं के मानदेय हेतु शासन ने ३४ हजार रूपयों की स्वीकृति दी है।

१६. आँगनवाडी में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के मानदेय के लिए २५.५ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

१७. आँगनवाडी कार्यक्रमों के तहत व्यय होने वाली सामग्री के लिए ३४ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है।

१८. आँगनवाडो में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के लिए २० दिवसीय पुर्नबोध प्रशिक्षण के लिए ६५.२ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गई है।

१९. ग्रामीण क्षत्रों में जनजागृति करने की इच्छा से एम.टी.ए. को संगठित किया गया है। उनको दो दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु शासन द्वारा ५६ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२०. शिक्षा के प्रति जनजागृति करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कला जत्था बाल मेला आदि द्वारा प्रचार प्रसार करने हेतु शासन से १०२ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२१. ग्रामीण क्षेत्रों के १०० गाँवों में ८ सदस्य प्रति गाँव के हिसाब से ८०० सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए शासन द्वारा ४८ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२२. जनपद के एस.सी./ एस.टी. बच्चों को विशिष्ट शिक्षा देने के लिए शासन ने २१५.२ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की है। जो बच्चों की उचित शिक्षा देने में व्यस की जायेगी।

२३. बी.आर.सी. सेन्टर में नियुक्त नौ समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु ६.३ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२४. सी.आर.सी सेन्टरों के समन्वयकों को १० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ३३.६ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

२५. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डायट के रिसोर्स पर्सन को २० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १६.८ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

२६. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षको के पुर्नबोध प्रशिक्षण के लिए ५४.६ हजार रूपयों की स्वीकृति की गई है।

२७. जनपद रूद्रप्रयाग में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु २.१ हजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

२८. प्राथमिक एवं उच्च प्राधमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की देखरेख करने वाले इन्जीनियर तथा जूनियर इन्जीनियर के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १.४ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

२९. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापकों को सर्वशिक्षा की जानकारी दिये जाने के लिए १५२३ अध्यापकों के लिए १०६६.१ हजार रूपयों की व्यवस्था सुनिश्चित है।

३०. ए.डब्ल्यू.पी.वी. के कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं पत्राचार के लिए १५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३१. लिंगभेदीय जानकारी हेतु अध्यापकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए १५.७५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३२. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक सामग्री निर्माण हेतु ७६१.५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३३. परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस.सी./एस.टी. जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था है। जिसके लिए ३४५० हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है।

३४. जनपद में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा एक रिसोर्स सेन्टर हेतु ६ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत की है। जिसका व्यय वर्ष २००२–०३ में होना है।

३५. जनपद में कार्यरत समन्वयकों एवं सहायक समन्वयकों के वेतन के मद में १२८२.५ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

३६. विकास खण्ड संसाधन केन्द्र तथा जिला संसाधन केन्द्र की साजसज्जा तथा फर्नीचर की व्यवस्था हेतु ३०० हजार रूपयों की व्यवस्था सुनिश्चित है।

३७. विकास खण्ड रिसोर्स सेन्टरों के लिए स्टेशनरी व्यवस्था हेतु १२.५ हजार रूपयों की स्वीकृति दी गई है।

३८. मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु विकास खण्ड रिसोर्स सेन्टर के लिए ३६ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

३९. जनपद में बने ४८ सी.आर.सी. केन्द्रों के लिए स्टेशनरी तथा फर्नीचर के लिए ४८० हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

४०. न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर के लिए स्टेशनरी हेतु ४० हजार की व्यवस्था है।

४१. न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों के लिए ११६ हजार रूपयों की स्वीकृति की गई है।

४२. जिला संसाधन केन्द्रों के चार समन्वयकों के लिए वेतन के रूप में १२० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४३. जिला संसाधन केन्द्र में दो सलाकार की मानदेय के रूप में ६० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४४. सहायक लेखाकार के मासिक वेतन हेतु तीस हजार रूपयों की स्वीकृति है।

४५. दो परिचारकों के वेतन हेतु २४ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

४६. फर्नीचर हेतु जिला संराधन केन्द्र के लिए १०० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४७. जिला संसाधन केन्द्र मे लेखन सामग्री कम्प्यूटर, टाइपराटर हेतु १०० हजार रूपयों की व्यवस्था मान ली गई है।

४८. जिला संसाधन में एक चौकीदार के वेतन हेतु १२ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

४६. पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन हेतु २१ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

५०. जिला संसाधन इकाई में एक लिपिक के वेतन के लिए १३.५ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५१. यात्रा भत्ता जनपद में १७ इजार रूपयों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

५२. खारिज होने वाली सामग्री स्याही, पेन, कागज आदि के लिए ८ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५३. फोटो स्टेट मशीन एवं अन्य सामग्री के लिए १०० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५४. जिला संसाधन केन्द्र में टेलीफोन एवं फैक्स हेतु १० हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५५. जिला संसाधन केन्द्र में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के तेल तथा जेनरेटर के लिए तेल पर होने वाले व्यय हेतु १७ हजार रूपये स्वीकृत हैं।

५६. जूनियर इंजीनियर एवं इंजीनियर के लिए मानदेय के रूप में १८ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५७. जिला संसाधन केन्द में मशीनरो आदि की मरम्मत हेतु १७ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

५८. जिला संसाधन द्वारा निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए ४० हजार रूपये की व्यवस्था स्वीकृत की गई है।

५६. रिसर्च एवं मूल्यांकन हेतु दस हजार रूपयों की स्वीकृति दी गई है।

६०. जिला संसाधन के अधिकारियों एवं सहायक अधिकारियों की बैठकों हेतु ७५ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

६१. कम्प्यूटर आपरेटर के वेतन की मद में २१ हजार रूपयों की व्यवस्था है।

६२. एम.आई.एस. सामग्री हेतु ४६० हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

६३. डाटा युक्त फार्मेटों की छपाई एवं वितरण हेतु बीस हजार रूपयों की व्यवस्था है।

६४. जिला संसाधन केन्द्र में होने वाली सामग्री के लिए ६.६६ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

६५. कम्प्यूटर में खारिज होने वाली सामग्री के व्यय हेतु ८ हजार रूपयों की व्यवस्था की गई है।

स्पिल ओवर वर्क

सर्व शिक्षा अभियान

सारिणी बी गत वर्ष छूटा हुआ कार्य जोकि आने वाले वर्ष २००२–२००३ में व्यय किया जाना है। जनपद – रूद्र प्रयाग

जनपद रूद्रप्रयाग ने सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए वर्ष २००१–२००२ में वित्त वर्ष २००१–२००२ में वित्त वर्ष के अन्तिम माह दिसम्बर से मार्च तक के लिए उक्त परियोजना के तहत तालिका ए के अनुसार धनराशि माँगी गयी थी। लेकिन नवगठित उत्तरांचल राज्य में प्रथम विधान सभा चुनाव तथा वित्तीय आवन्टर में विलम्ब होने के कारण यह कार्य समय से पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए यह धनराशि स्वीकृति का ५० प्रतिशत ही वर्ष २००२–२००३ में व्यय करने योग्य शेष रह गया जिसका स्पिल ओवर विवरण निम्न प्रकार है।

१. उचच प्राथमिक के २० विद्यालयों हेतु ककाष्टोपकरण साजसज्जा हेतु १० हजार रूपयों की व्यवस्था वित्तवर्ष के अन्तिम माह में दी गयी है जिसको कि समय से व्यय नहीं किया जा सका, यह धनराशि वित्त वर्ष २००२–२००३ के लिए शेष है, प्राथमिकता के आधार पर इसका व्यय इसी वित्त वर्ष के प्रारम्भ में किया जाना सुनिश्चित है।

२. अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण के लिए शासन द्वारा ७० हजार प्रतिकक्ष के हिसाब से ७ विद्यालयों हेतु ४६० हजार रूपयों की व्यवस्था की गयी है, जो धन राशि शेष है, इसका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

३. पुराने क्षतिग्रस्त प्राथमिकम विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु पाँच प्राथमिक विद्यलायों को वरीयता के आधार पर २७५ हजार के हिसाब से १३७५ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह धनराशि शेष है। इसका उपयोग वित्त वर्ष २००२–०३ के प्रारम्भ में किया जायेगा।

४. जनपद के ३ उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु १२०० हजार रूपयों की स्वीकृति मिली थी जो अवशेष है। इसका व्यय शीघ्र ही वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

५. जनपद रूद्रप्रयाग के सम्पूर्ण प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल विहीन थे सर्वशिक्षा परियोजना के तहत १८ प्राथमिक एवं उच्च

प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर २० हजार रूपये प्रति विद्यालय के हिसाब से ३६० हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जो शेष है, वित्त वर्ष २००२–०३ के प्रारम्भ में यह धनराशि व्यय की जानी है।

६. जनपद रूद्रप्रयाग के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख–रखाव हेतु ५१५ विद्यालयों के लिए शासन द्वारा २५७५ हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं, जो कि अवशेष है। इस धनराशि का व्यय वर्ष २००२–०३ में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

७. जनपद रूद्रप्रयाग के प्राथमिक उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कालेजों के जूनियर स्तर तक के अध्यापकों को विद्यालय साजसज्जा व्यवस्था के लिए ६४७ अध्यापकों को २ हजार प्रति की दर से १२६४ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है। यह धनराशि शेष है, इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जाना है।

८. उत्तरांचल राज्य की राज्य स्तरीय संस्था द्वारा ए०डब्ल्यू०पी०वी० के सदस्यों को सर्वशिक्षा अभियान सम्बन्धी ७ दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है। जोकि अवशेष है का व्यय वित्तवर्ष २००२–०३ में किया जाना है। व्यय किया जा रहा है।

९. बी०आर०सी० सामन्यवर्कों का नौ दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित या यह प्रशिक्षण २००२–०३ में दिया जायेगा इसकी कुल धनराशि ६.३ हजार रूपये है।

१०. न्याय पंचायत रिसोर्स सेन्टर एवं सी०आर०सी० के समन्वयकों के लिए १० दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित या जिसका व्यय २००२–०३ में किया जायेगा।

११. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रिसोर्स पर्सन का २० दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित या जिसके लिए १६.८ हजार रूपये स्वीकृत हो इसका व्यय वर्ष २००२–०३ में किया जायेगा। इसमें शेष शून्य होगा।

१२. डायट के स्टाफ को ७ दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित था जिसमें २६ व्यक्तियों के लिए ५४.६ हजार रूपये स्वीकृत है। इस धनराशि को वर्ष २००२–०३ में व्यय किया जायेगा। इसके बाद शेष शून्य हो जायेगा।

१३. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत १५२३ अध्यापकों को पाठ्यक्रम सहायक सामग्री निर्माण हेतु ५०० रूपये प्रति

Table-C

जनपद रूद्रप्रयाग (उत्तरांचल)

वर्ष 2002–03 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण

1. 10 प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण जू.हा.स्कूल में किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में 3 सहा. अध्यापको की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में ~~कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति से~~ की जाएगी। कुल 30 अध्यापकों का वेतन SSA के अन्तर्गत दिया जाएगा।

2. जनपद के ऐसे विद्यालयों का चयन किया जायेगा जिनमें फर्नीचर, उपकरण साज–सज्जा की नितान्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे 200 प्रा.वि. को प्रति विद्यालय 10 हजार रू. तथा ऐसे ही 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस हेतु 50 हजार रूपया दिया जायेगा।

3. जनपद में 20 ऐसे विद्यालयों में जहाँ CRC गठित होती है 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, ऐसे उच्चीकृत होने वाले प्रा. वि. के 10 विद्यालयों में 10 कक्षा कक्ष एवं 10 ऐसे विद्यालयों का अति. कक्षा कक्ष दिये जायेंगे जहाँ आवश्यकता है। इस प्रकार इस वर्ष कुल 40 कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाएगा।

4. जनपद के प्रा. एवं उच्च प्रा. विद्यालयों में शौचालयों का अत्यन्त अभाव महसूस किया जा रहा है इस हेतु 20 प्रा. एवं 5 उ.प्रा. वि. में शौचालय निर्माण किया जाएगा।

5. जनपद में विगत वर्षो से आए भूकम्प से अनेक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनका पुर्ननिर्माण किया जाना आवश्यक हैं, इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालय भवनहीन हैं। अतः इस वर्ष 16 प्रा.वि. का 7 उ.प्रा.वि. का पुर्ननिर्माण कार्य किया जायेगा।

6. जनपद के कतिपय विद्यालय पेयल जल से अभावग्रस्त स्थानों पर बने हैं। छात्रों को पेयजल हेतु कई दूरी तय करनी होती है या घरों सेपानी लाना होता है इस कमी को पूरा करने हेतु इस वर्ष 15 प्रा. एवं 6 उ. प्रा. वि. में पेयजल की सुविधा इस वर्ष की जानी है।

7. कतिपय वि. ऐसे स्थानों पर हैं जिससे विद्यालय परिसर में असुरक्षा बनी रहती है। इन कारणों से शैक्षिक वातावरण बनना मुश्किल होता है इसलिए इस वर्ष एक उ.प्रा. वि. में चाहरदीवारी का निर्माण किया जाएगा।

8. जिले के 400 प्रा. एवं 60 उ.प्रा. वि. में लघु मरम्मत एवम् रखरखाव हेतु प्रति विद्यालय 5 हजार रू. की राशि रखी गई है क्योंकि विद्यालयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है।

9. जनपद में 18 पद विहीन प्रा. वि. में अध्यापकों की नियुक्ति होने पर 18 प्रा. वि. के अध्यापकों का वेतन सर्व शि. अ. के अन्तर्गत आहरित किया जाएगा व 3 ~~उ.प्रा.वि. के~~ अध्यापकों का वेतन (दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय) आहरित किया जायेगा।

10. 18 Para Teacher की नियुक्ति पद विहीन 18 विद्यालयों में की जायेगी। Para teacher के वेतन का

प्रावधान किया गया है।

11 विद्यालय के विकास हेतु 500 परिषदीय विद्यालयों 99 स. प्रा. वि. 74 रा.ह.स्कू. व इन्टर कालेजों एवम् 9 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों व Model वि. कुल 688 वि. को Rs. 2000/– प्रति वि. को विद्यालय विकास अनुदान दिया जाएगा।

12. जनपद के 215 बच्चों (शारीरिक मानसिक आदि) कमजोर बच्चों को चिन्हित कर उनमे कमजोरी के कारणों का पता लगाकर उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रति 1200/ की दर से व्यय किए जाएंगे।

13. अनुश्रवण रिसर्च, मूल्यांकन हेतु प्रति विद्यालय 1400 की दर से कुल 688 विद्यालयों में 9 लाख 63 हजार 200 रू. में व्यय का प्रावधान है इसके अन्तर्गत एक्शन रिसर्च, BRC व CRC के समन्वयकों का प्रशिक्षण सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण EMIS का प्रशिक्षण CRC द्वारा नियन्त्रण व निर्देशन एवम् DIET राज्य प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ BRC तथा अन्य द्वारा रिसर्च, इवोलेशन व मानीटरिंग की जाएगी।

14 इनोवरिंग प्रोग्राम :– ICDS से संचालित कुल 80 आंगनवाडी केन्द्रों को विकास हेतु, उपकरणों, सामग्री वितरण, प्रति अनुदेशक 250/– रू माह की दर से मानदेय सेविकाओं को 125 रू. की दर से मानदेय प्रति केन्द्र 1000 रू. आकस्मिक व्यय तथा अनुदेशकों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 1200 रू. प्रति अनुदेशक की दर से व्यय किया जायेगा।

15. कम्प्यूटर शिक्षा के विकास हेतु जनपद में 4 ह. प्रा. वि. मे कम्प्यूटर उपलब्ध किये जाएंगे। प्रति विद्यालय कम्प्यूटर क्रय के लिए 100000 रू. एव कम्प्यूटर विकास हेतु 10 हजार/वि. व इन विद्यालयों में कम्प्यूटर कार्य करने वाले अध्यापकों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण पर 1500 रू. व्यय रखा गया है।

16. जिले के कुल 18 पैरा टीचर का 30 दिवसीय प्रशिक्षण किया जाएगा।

17. जनपद के समस्त 1680 अध्यापकों का (समस्त) दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

18. जिले के कुल 688 SMC तथा 330 VEC का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा कुल सदस्यों की संख्या 8144 होगी (प्रति कमेटी 8 सदस्य)।

19. जनपद के 1680 अध्यापकों को प्रति अध्यापक 500 रू. की दर से अध्यापन अनुदान दिया जाएगा।

20. जनपद में गत वर्ष SSA के अन्तर्गत SC, ST तथा General की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई इसी के आधार पर राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए गत वर्ष सामान्य वर्ग के बालकों को भी वर्ष 2001–2002 में निःशुल्क पुस्तकें देने का निर्णय लिया।

अतः इस वर्ष समस्त छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना है इस हेतु धन की मांग कक्षावार वितरण मे मूल्य के आधार पर गई है। जनपद में कक्षा 1 से 8 तक पढने वाले कुल 44600 छात्र/छात्राओं को औसत अनुमानित दर प्रति छात्र 81 रू. आगणित की गयी हैं।

21. DIET हेतु 5000 रू. प्रति माह की दर से वाहन किराया, 15000 रू. POL मद में एवम् 10 हजार आकस्मिक व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

22. इस वर्ष 2 BRS भवनों का निर्माण, 3 समन्वयकों का वेतन 6 सहायकों का वेतन, 500 रू. प्रति माह की दर से यात्रा भत्ता तथा 12500 रू. प्रति BRC के लिए आकस्मिक व्यय की मांग प्रस्तावित है।

23. जनपद के 4CRC का निर्माण किया जाना है इस कार्य हेतु ऐसे CRC का चयन किया जाएगा कि वे अन्य CRC जिसमे भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता के लिए सहयोग प्रदान कर सके। 51 CRC समन्वयकों का वेतन, 15 CRC को इस वर्ष 10 हजार रू. प्रति CRC तथा 2,500 रू. प्रति CRC आकस्मिक व्यय, 200 रू. प्रति माह यात्रा भत्ता एवं 1000 रू. प्रति CRC TRM हेतु प्रस्तावित किया गया है।

24. डी.पी.ओ.:– ए.वी.एस.ए., एस.डी.आई. एवं ए.ई., जे.ई. का प्रशिक्षण किया जाएगा।

25. डी पी ओ हेतु 50 हजार रू. यात्रा भत्ता, 25 हजार रू. कन्ज्यूमेवल, 30000 हजार टेलीफोन/फैक्स POL मद में 50 हजार रू. तथा 6 हजार रू. की दर से 3 ब्लाकों हेतु JE/AE का मानदेय, वाहन किराया हेतु 12 हजार रू. प्रति माह की दर से तथा 50 हजार रू. आकस्मिक व्यय हेतु प्रस्तावित है।

एम.आई. एस.:– कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन, 20 हजार रू. प्रिन्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रपत्रों के मुद्रण व वितरण हेतु 20 हजार रू. आपरेटरों को तैयार करने हेतु 25 हजार कम्प्यूटर कन्ज्यूमेबल हेतु प्रस्तावित किए गए हैं।

सारिणी (डी)

वर्ष २००२–०३ की वार्षिक कार्ययोजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण

जनपद रूद्रप्रयाग को वर्ष २००१–०२ में वार्षिक कार्ययोजना के तहत वित्त वर्ष के अन्तिम चार माह में कार्ययोजना को संचालित करने हेतु निम्न धनराशि शासन द्वारा प्रदान की गई थी, परन्तु नवगठित उत्तरांचल राज्य के प्रथम विधान सभा निर्वाचन होने के कारण उक्त समयाविधि में कार्ययोजना को मूर्तरूप प्रदान नहीं किया जा सका इसलिए वह धनराशि रिलप ओवर धनराशि के साथ ही साथ वर्ष २००२–०३ के कार्यक्रम भी संचालित होते रहेंगे इस प्रकार किसी भी प्रकार इस धनराशि को व्यय करने पर जनपद में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना।

१. जनपद रूद्रप्रयाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज–सज्जा एवं काष्टोपकरण की व्यवस्था हेतु १००० हजार रूपये आबन्टित थे जो वर्ष २००२–०३ में रिपलओवर है शेष शून्य है।

२. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए ४६० हजार रूपये शासन द्वारा दिये गये हैं जो वर्ष २००२–०३ में किया जाना है। इसके बाद शेष शून्य है।

३. पुराने प्राथमिक विद्यालयों के पुनरनिर्माण हेतु १३७५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है। इसके सापेक्ष १३७५ हजार रूपये रिपलओवर है इसका प्रयोग वर्ष २००२–०३ में किया जाना है। इसके बाद शेष शून्य है।

४. जनपद में पुराने क्षतिग्रस्त तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्मण हेतु १२०० हजार रूपये स्वीकृत है। इसके सापेक्ष १२०० हजार रूपये वर्ष २००२–०३ के लिए रिपल ओवर है। शेष शून्य है।

५. जनपद में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु ३६० हजार रूपये स्वीकृत है। इसके सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में ३६० हजार रूपये रिपल ओवर है, शेष शून्य है।

६. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों में रख–रखाव एवं साज–सज्जा हेतु जनपद के ५१५ भवनों के रख–रखाव के लिए २५७५ हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत है इसके सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में २५७५ हजार रूपये की धनराशि स्पिल ओनर है, शेष शून्य है।

७. जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल इण्टर कॉलेजों के जूनियर स्तर तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों को अध्यापक अभिभावक संगठन की बैठकों एवं विद्यालय लैब सज्जा हेतु प्रति विद्यालय २ हजार रूपयों की व्यवस्था की गयी थी जो वर्ष २००२–०३ के लिए स्पिल ओबर है, शेष शून्य है।

८. वी०आर०सी० समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु ६.३ हजार रूपयों की स्वीकृति है जो स्पिल ओवर है, शेश शून्य है।

९. न्याय पंचायत एवं कलस्टर रिसोर्स सेन्टर के समन्वयकों के १० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ३३.६ हजार रूपये प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, यह प्रशिक्षण वर्ष २००२–०३ में करने के बाद शेष शून्य हो जायेगा।

१०. रिसोर्स पर्सन डायट के २० दिवसीय प्रशिक्षण हेतु १६.८ हजार रूपये स्वीकृत है वर्ष २००२–०३ में इस धनराशि के सापेक्ष व्यय होने पर बचत शून्य हो जायेगी।

११. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को सर्वशिक्षा के सन्दर्भ में प्रशिक्षण देने के लिए ५४.६ हजार रूपये प्रस्तावित एवं स्वीकृत है के सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में प्रशिक्षणपरान्त धनराशि व्यय होने के बाद शून्य हो जायेगी।

१२. जनपद में वार्षिक बजट प्लान निमाण के लिए तथा बजट सम्बन्धी निर्देश के लिए १५ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है, जिसका व्यय वर्ष २००२–०३ में होने के बाद सापेक्ष धनराशि शून्य हो जायेगी।

१३. जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को सहायक सामग्री निर्माण हेतु ७६१.५६ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत हो। इसके सापेक्ष धनराशि वितरण के बाद शून्य हो जायेगी, इसका व्यय भी वर्ष २००२–०३ में किया जायेगा।

१४. प्राथमिक विद्यालयो उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल इण्टर कॉलेज में अध्ययनरत एस०सी०, एस०टी० एवं बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तक

वितरण हेतु १३०३.०५ हजार रूपयों की व्यवस्था स्वीकृत है, इस धनराशि के सापेक्ष व्यय करने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१५. जनपद में विकासखण्ड रिसोर्स सेन्टर के निर्माण के लिए शासन द्वारा ६०० हजार रूपयों की स्वीकृति दे दी गयी है इसके सापेक्ष व्यय २००२–०३ में किये जाने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१६. विकासखण्ड रिसोर्स सेन्टर में संसाधन एवं सामग्री काष्टोपकरण की व्यवसी हेतु ३०० हजार रूपयों की स्वीकृति है। के सापेक्ष व्यय करने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१७. न्यायपंचायत एवं कलस्टर रिसोर्स सेन्टर के कोर्डिनेटरों को प्रशिक्षण देने हेतु ३६ हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में यह धनराशि व्यय नहीं हो सकेगी, यही शेष रह जायेगी।

१८. न्यायपंचायत/कलस्टर रिसोर्स सेन्टरों में लेखन सामग्री एवं साज–सज्जा काष्टोपकरण के लिए ३३० हजार रूपये स्वीकृत है, इस धनराशि के सापेक्ष व्यय करने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

१९. जनपद के न्याय पंचायत/कलस्टर केन्द्रों के अनुश्रवण निरीक्षण हेतु ११६ हजार रूपयों की व्यवस्था की गयी हो, जिसके सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में व्यय न होने पर यह धनराशि शेष रह जायेगी।

२०. न्याय पंचायत/कलस्टर केन्द्रों में काष्टोपकरण खरीदने हेतु १०० हजार रूपये की व्यवस्थाहो इस धनराशि के सापेक्ष व्यय होने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

२१. न्याय पंचायत/कलस्टर केन्द्रों में लेखन छपाई के सामग्री हेतु १०० हजार रूपये की व्यवसी हो , सापेक्ष वर्ष २००२–०३ में व्यय होने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

२२. जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवागमन/यात्रा भत्ता हेतु १० हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष व्यय होने पर धनराशि शून्य हो जायेगी।

२३. जनपद के डी०पी०ओ० कार्यालय में टेलीफोन/फैक्स मशीन की व्यवस्था हेतु १० हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष २००२–०३ में व्यय करने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

२४. जिला प्रोजक्ट कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु ४० हजार रूपयों की धनराशि स्वीकृत हो सकेगा अतः यह धनराशि शेष बचत रह जायेगी।

२५. जनपद में एम०आई०एस० को व्यवस्थित करने हेतु ७५ हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष व्यय होने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

२६. जनपद में एम०आई०एस० कार्यालय के लिए सामग्री काष्टोपकरण हेतु १६० हजार रूपये स्वीकृत है के सापेक्ष व्यय होने पर शेष धनराशि शून्य हो जायेगी।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No.....
Date.....

Annual Budget 2002-03

Access	Retential	Quality	Capacity	Total
5400.000	18884.200	6806.560	7911.500	39002.260
13.85	48.42	17.45	20.28	

Management	Construction	Project	Total
1192.900	12845	24964.360	39002.26
3.06	32.93	64.01	

TABLE - A

Last Year Activities Progress of District Rudraprayag (UA)

Progress Year 2001-2002

SL. NO.	Activities/Particulars Main/Suohead	Phy. Target	Last Year sanctioned Amount with spill over	Re-appropriated Amount	Revised sanctioned Amount	Physical Achievement		Expenditure		Approx. Saving and Balancing Amount	Remarks
						Till 31st Dec.	Till 31st March App.	Till 31st Dec.	Till 31st March App.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A1											
	Furniture/ Fixture and equipment PS										
	Furniture/ fixture and equipment UPS	20	1000.000							1000.000	
	Sub Total (A1)	**20**	**1000.000**							**1000.000**	
A2	Upgradation of EGS (TLE) to FS										
	Alternative School (EGS + AIE) grants										
	TLE for Student- EGS										
	Equipment for EGS & AIE										
	Contengency - EGS & AIE										
	Insentive AIE										
	EGS Insentive										
	Sub Total (A2)	**0**	**0.000**							**0.000**	
A3	Back to school campaign										
	Sub Total (A3)	**0**	**0.000**							**0.000**	
	TOTAL (A)	**20**	**1000.000**							**1000.000**	
(R)	**RETENTION**										
R1	Additional Class Rooms	7	490.000							490.000	

	Toilets (PS)										
	Toilets (UPS)										
	Ree. of Old PS	5	1375.000							1375.000	
	Ree. of Old UPS	3	1200.000							1200.000	
	Drinking Water (PS, UPS)	18	360.000							360.000	
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	547	2735.000							2735.000	
	Repairs (PS+ UPS)										
	Boundary walls (PS)										
	Boundry walls (UPS)										
	Sub Total Contraction	**580**	**6160.000**							**6160.000**	
	Additional teacher Primary (Para Teacher)	106	715.500							715.500	
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	647	1294.000							1294.000	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	1	124.000							124.000	
	Technical visits										
	Summer camps										
	MCDA (Training 2 days)	2000	280.000							280.000	
	SUPW for Girls (UPS)	10	250.000							250.000	
	Salary										
	Additional Teacher in PS HT										
	Additional Teacher in PS AT	18	324.000							324.000	
	Additional Teacher in UPS HT										
	Add. Teacher in UPS AT										
	Opening of ECCE centre										
	Development & Distribution of ECCE materials	1	100.000	✓						100.000	
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)	68	102.000	✓						102.000	

	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)										
	TLM (I.C.D.S)	58	34.000	✓						34.000	
	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)	68	25.500	✓						25.500	
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)	68	34.000	✓						34.000	
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)										
	Induction 20 days	68	95.200	✓						95.200	
	Recurring 10 days										
	Community mobilization										
	MTA Training 2 days	4000	56.000	✓						56.000	
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)	24	192.000	✓						192.000	
	Community Trg. VEC 8 Member	800	48.000	✓						48.000	
	Development of awareness material										
	Bal mela at CRC.										
	Production of Audio tapes										
	Production of Video Tapes										
	Assistance to NGOs for Community mobilization										
	Award of Best VEC										
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.										
	Shiksha Mitra										
	EGS										
	ECCE										
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.	269	215.200	✓						215.200	
	Provision for Disabled Children	40	48.000	✓						48.000	
	Computer Edu. for UPS Composite School										
	Computer Edu. for UPS Composite School										

	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)										
	Book Bank and School Library PS										
	Book Maintenance										
	Sub Total	**8246**	**3937.4**							**3937.4**	
	Tctal (R)	**8826**	**10097.4**							**10097.4**	
Q	**(Q) Quality improvement**										
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days										
	Induction Training for EGGS Acharya										
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE										
	Training for Gram Pradhan 2 day										
	Action Research										
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days	1523	1066.100							1066.100	
	Identify Card for all student										
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days										
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)										
	Training for BRC Coordinator	9	6.300							6.300	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	48	33.600							33.600	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)										
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days										
	Training of resources person at (DIET) 20 days	12	16.800							16.800	
	Staff development training for DIETs 7 days	26	54.600							54.600	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)										
	ABSA/SDI training 5 days	6	2.100							2.100	
	Training for AE and JE 5 days	4	1.400							1.400	

	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days										
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days										
	Food and Fruit conservation training 3 days										
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	1	15.000							15.000	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days										
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days	75	15.750							15.750	
	Sub Total (Q1)	**1704**	**1211.65**							**1211.65**	
Q2	Teacher learning Material										
	Teacher Grant (PS+UPS)	1523	761.500							761.500	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)	23000	3450.000							3450.000	
	Supplementary Reading Material (PS)										
	Supplementary reading Material (UPS)										
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)										
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)										
	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)										
	Development printing and distribution of AS training modules										
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)										
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)										
	School awards										
	Sub Total (Q2)	**24523**	**4211.5**							**4211.5**	
	Total (Q)	**26227**	**5423.15**							**5423.15**	
C	**Capacity Building**										
C1	DIET										

	Civil work										
	Furniture										
	Equipments (including audio visual)										
	Computer Work Station										
	Hiring										
	POL										
	Research/Action research										
	Faculty development										
	Exposure visit										
	Library										
	Salary of Computer operator										
	Photo state machine/Cyclo style machine										
	Maintenance of Equipments										
	Consumable/Computer stationery										
	Sub Total (C1)	**0**	**0**							**0**	
C2	**Block Resource Centre**										
	Civil Construction	1	600.000							600.000	
	Salary Coordinator	57	1282.500							1282.500	
	Asst. Coordinator										
	Chowkidar										
	Equipment/Furniture	3	300.000							300.000	
	Traveling Allowance										
	Computer										
	Maintenance of Equipments										
	Maintenance of building										
	Books										

	Consumable										
	Photo state machine and equipments										
	Contingency	3	12.500							12.500	
	Monthly Review meeting of CRC/NFRC Coordinators.										
	Monitoring & Supervision	120	36.000							36.000	
	Sub Total (C2)	**184**	**2231**							**2231**	
C3	**Cluster Resource centre**										
C3	School Complex (CRC)										
	Construction										
	Salary Coordinator										
	Equipments/Furniture	48	480.000							480.000	
	Maintenance of Equipments										
	Book for Library/Bock bank										
	Contingency	48	40.000							40.000	
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC										
	Traveling Allowance										
	Monitoring & Supervision	580	116.000							116.000	
	Sub Total (C3)	**676**	**336**							**636**	
C4	**Distt Project office**										
	Staffing Coordinators-4	4	120.000							120.000	
	Consultants-2	2	60.000							60.000	
	Accountant										
	Assistant Account Office.	1	30.000							30.000	
	Computer Operator-1										
	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver										

	Peon-2	2	24.000							24.000	
	Furniture	1	100.000							100.000	
	Publication of yearly magazine										
	Equip.	1	100.000							100.000	
	Chowkidar	1	12.000							12.000	
	Books										
	Salary of Librarian-1	1	21.000							21.000	
	Clerk-1	1	13.500							13.500	
	SSA Conference										
	Traveling Allowance	1	17.000							17.000	
	Consumable	1	8.000							8.000	
	Photo state machine and equipments	1	100.000							100.000	
	Telephone/Fax	1	10.000							10.000	
	POL	1	17.000							17.000	
	Honorarium to JE/AE	3	18.000							18.000	
	Maintenance of Equipments										
	Hiring of vehicle	1	17.000							17.000	
	Supervision and Monitoring	100	40.000							40.000	
	Contingency	1	10.000							10.000	
	Research and Evolution										
	Sub Total (C4)	**124**	**717.5**							**717.5**	
C4-1	MIS										
	MIS Call Furnisining	1	75.000							75.000	
	Salary for Computer Operator	1	21.000							21.000	
	MIS Equip.	1	460.000							460.000	
	Printing and Distribution of data formats	1	20.000							20.000	

	Maintenance of Equipments	1	6.660							6.660	
	Computer Consumables	1	8.000							8.000	
	Sub Total (C4-1)	**6**	**590.66**							**590.66**	
C4-2											
	G.K. Competition										
	Prize Money in Distt Game										
	Developments of Games										
	Art and Cultural Exhibition at BRC level										
	Sub Total (C4-2)	**0**	**0**							**0**	
	Total (C)	**990**	**4175.16**							**4175.16**	
	Grand Total (A+R+Q+C)	**36063**	**20695.71**							**20695.71**	

TABLE - B

Spill Over Work Plan for Coming (Next) Year 2002-03 Distt. Rudraprayag (UA)

SL. NO.	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over Phy. Target)	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Impementation Agency & Time Period	Remarks
		Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
	A	B	C	D	E	F	G	H
A1								
	Furniture/ Fixture and equipment PS							
	Furniture/ fixture and equipment UPS	20	1000.000	20.000	50.000	1000.000	6 months	
	Sub Total (A1)	**20**	**1000.000**	**20.000**	**50.000**	**1000.000**		
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS							
	Alternative School (EGS + AIE) grants							
	TLE for Student- EGS							
	Equipment for EGS & AIE							
	Contengency - EGS & AIE							
	Insentive AIE							
	EGS Insentive							
	Sub Total (A2)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
A3	Back to school campaign							
	Sub Total (A3)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
	TOTAL (A)	**20**	**1000.000**	**20.000**	**50.000**	**1000.000**		
(R)	**RETENTION**							
R1	Additional Class Rooms	7	490.000	7.000	70.000	490.000	6 months	
	Toilets (PS)							
	Toilets (UPS)							
	Ree. of Old PS	5	1375.000	5.000	275.000	1375.000	8 months	
	Ree. of Old UPS	3	1200.000	3.000	400.000	1200.000	8 months	
	Drinking Water (PS, UPS)	18	360.000	18.000	20.000	360.000	6 months	

	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	515	2575.000	515.000	5.000	2575.000	4 months	
	Repairs (PS+ UPS)							
	Boundary walls (PS)							
	Boundry walls (UPS)							
	Sub Total Contraction	**548**	**6000.000**	**548.000**	**770.000**	**6000.000**		
	Additional teacher Primary (Para Teacher)							
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	647	1294.000	647.000	2.000	1294.000	4 months	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs							
	Technical visits							
	Summer camps							
	MCDA (Training 2 days)							
	SUPW for Girls (UPS)							
	Salary							
	Additional Teacher in PS HT							
	Additional Teacher in PS AT							
	Additional Teacher in UPS HT							
	Add. Teacher in UPS AT							
	Opening of ECCE centre							
	Development & Distribution of ECCE materials							
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)							
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)							
	TLM (I.C.D.S)							
	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)							
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)							
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)							
	Induction 20 days							
	Recurring 10 days							
	Community mobilization							
	MTA Training 2 days							

	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)							
	Community Trg. VEC 8 Member							
	Development of awareness material							
	Bal mela at CRC							
	Production of Audio tapes							
	Production of Video Tapes							
	Assistance to NGOs for Community mobilization							
	Award of Best VEC							
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.							
	Shiksha Mitra							
	EGS							
	ECCE							
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.							
	Provision for Disabled Children							
	Computer Edu. for UPS Composite School							
	Computer Edu. for UPS Composite School							
	School Heath check Up (PS + PS+ Hi+ IN+ Oth.)							
	Book Bank and School Library PS							
	Book Maintenance							
	Sub Total	**647**	**1294.000**	**647.000**	**2.000**	**1294.000**		
	Total (R)	**1195**	**7294.000**	**1195.000**	**772.000**	**7294.000**		
Q	**(Q) Quality improvement**							
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days							
	Induction Training for EGGS Acharya							
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE							
	Training for Gram Pradhan 2 day							
	Action Research							
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days							

	Identify Card for all student							
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days							
	Refresher Course of EGS/AIE worker (15 days)							
	Training for BRC Coordinator	9	6.300	9.000	0.07 x 10	6.300	4 months	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	48	33.600	48.000	0.07 x 10	33.600	4 months	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)							
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days							
	Training of resources person at (DIET) 20 days	12	16.800	12.000	0.07 x 20	16.800	6 months	
	Staff development training for DIETs 7 days	26	54.600	26.000	0.3	54.600	6 months	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)							
	ABSA/SDI training 5 days							
	Training for AE and JE 5 days							
	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days							
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days							
	Food and Fruit conservation training 3 days							
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	1	15.000	1.000	15.000	15.000	2 months	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days							
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days							
	Sub Total (Q1)	**96**	**126.300**	**96.000**		**126.300**		
Q2	Teacher learning Material							
	Teacher Grant (PS+UPS)	1523	761.500	1523.000	0.500	761.500	3 months	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)		1303.050		0.150	1303.050	6 months	
	Supplementary Reading Material (PS)							
	Supplementary reading Material (UPS)							
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)							
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)							

	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)							
	Development printing and distribution of AS training modules							
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)							
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)							
	School awards							
	Sub Total (Q2)	**1523**	**2064.550**	**1523.000**	**0.650**	**2064.550**		
	Total (Q)	**1619**	**2190.850**	**1619.000**	**0.650**	**2190.850**		
C	**Capacity Building**							
C1	DIET							
	Civil work							
	Furniture							
	Equipments (including audio visual)							
	Computer Work Station							
	Hiring							
	POL							
	Research/Action research							
	Faculty development							
	Exposure visit							
	Library							
	Salary of Computer operator							
	Photo state machine/Cyclo style machine							
	Maintenance of Equipments							
	Consumable/Computer stationery							
	Sub Total (C1)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
C2	**Block Resource Centre**							
	Civil Construction	1	600.000	1.000	600.000	600.000	9 months	
	Salary Coordinator							
	Asst. Coordinator							

	Chowkidar							
	Equipment/Furniture	3	300.000	3.000	100.000	300.000	3 months	
	Traveling Allowance							
	Computer							
	Maintenance of Equipments							
	Maintenance of building							
	Books							
	Consumable							
	Photo state machine and equipments							
	Contingency							
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.							
	Monitoring & Supervision	120	36.000		0.300			
	Sub Total (C2)	**124**	**936.000**	**4.000**	**700.300**	**900.000**	**0.000**	
C3	**Cluster Resource centre**							
C3	School Complex (CRC)							
	Construction							
	Salary Coordinator							
	Equipments/Furniture	33	330.000	33.000	10.000	330.000	6 months	
	Maintenance of Equipments							
	Book for Library/Book bank							
	Contingency							
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC							
	Traveling Allowance							
	Monitoring & Supervision	580	116.000		0.200			
	Sub Total (C3)	**613**	**446.000**	**33.000**	**10.200**	**330.000**		
C4	**Distt Project office**							
	Staffing Coordinators-4							
	Consultants-2							
	Accountant							

	Computer Operator-1							
	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver							
	Peon-2							
	Furniture	1	100.000	1.000	100.000	100.000	2 months	
	Publication of yearly magazine							
	Equip.	1	100.000	1.000	100.000	100.000	4 months	
	Chowkidar							
	Books							
	Salary of Librarian-1							
	Clerk-1							
	SSA Conference							
	Traveling Allowance							
	Consumable							
	Photo state machine and equipments							
	Telephone/Fax	1	10.000	1.000	10.000	10.000	2 months	
	POL							
	Horrorarium to JE/AE							
	Maintenance of Equipments							
	Hiring of vehicle							
	Supervision and Monitoring	100	40.000		0.400			
	Contingency							
	Research and Evolution							
	Sub Total (C4)	**103**	**250.000**	**3.000**	**210.400**	**210.000**		
C4-1	MIS							
	MIS Cell Furnisining	1	75.000	1.000	75.000	75.000	6 months	
	Salary for Computer Operator							
	MIS Equip.	1	204.15	1.000	460.000	204.150	6 months	
	Printing and Distribution of data formats							

	Maintenar.ce of Equipments							
	Computer Consumables							
	Sub Total (C4-1)	**2**	**279.150**	**2.000**	**535.000**	**279.150**		
C4-2								
	G.K. Competition							
	Prize Money in Distt Game							
	Developments of Games							
	Art and Cultural Exhibition at BRC level							
	Sub Total (C4-2)	**0**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
	Total (C)	**842**	**1911.150**	**42.000**	**1455.900**	**1719.150**		
	Grand Total (A+R+Q+C)	**3676**	**12396.000**	**2876.000**	**2278.550**	**12204.000**		

TABLE - C

Annual work Plan & Budget for the year 2002-03 Distt. Rudraprayag (UA)

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	Unit Cost	Physical Target	Period	Financial Outlay Proposed (Rs. In thousands)	Remarks
	A	B	C	D	D	F
A1	ACCESS					
	Salary of Teachers Upgradation of P.S. in UPS (10 Schools)	10.000	30	8 months	2400.000	Primary Schools Upgradation
	Furniture/ Fixture and equipment PS	10.000	200	6 months	2000.000	
	Furniture/ fixture and equipment UPS	50.000	20	6 months	1000.000	
	Total (A)	**70.000**			**5400.000**	
(R)	RETENTION					
R1	Additional Class Rooms	70.000	40	6 months	2800.000	
	Toilets (PS)	15.000	20	6 months	300.000	
	Toilets (UPS)	15.000	5	6 months	75.000	
	Ree. of Old PS	275.000	16	6 months	4400.000	
	Ree. of Old UPS	400.000	7	6 months	2800.000	
	Drinking Water (PS)	20.000	15	6 months	300.000	
	Drinking Water (UPS)	20.000	20	6 months	120.000	
	Boundary walls (PS)	40.000	-	-	0.000	
	Boundry walls (UPS)	50.000	1	6 months	50.000	
	Total R1	**905.000**	**124**		**10845.000**	
R2	Repair and Maintenance of School (PS)	5.000	400	6 months	2000.000	
	Repair and Maintenance of School (UPS)	5.000	60	6 months	300.000	
	Additional teacher Primary (Para Teacher)	2.750	18	8 months	396.000	

Sanctioned in 2001-02

	Additional teacher Primary (AT) Sanctioned in 2021-22	8.500	18	8 months	1224.000	
	Additional teacher (UPS AT)	10.000	3	8 months	240.000	8th finance comm.
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	2.000	688	8 months	1396.000	
	Provision for Disabled Children	1.200	215		258.000	
	Total (R2)	**34.450**			**5814.000**	
R3	**Research , Evaluation and Monitoring**					
	Action Research	100.000	1	8 months	100.000	
	Training for BRC Coordinator (5 Days)	0.070	9		3.150	
	Training for CRC Coordinator (10 Days)	0.070	51		35.700	
	Training for Resource Person (10 Days)	0.070	12		8.400	
	Training for EMIS (5 Days)	0.500	5		12.500	
	Monitoring & Supervision by CRC	0.200	688		137.600	
	REMS by SPO, DPO & BRC, Other	9.688	688		665.850	
	Total (R3)	**1.400**	**688**		**963.200**	
R4	**Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs**					
R4-1	Development & Distribution of ECCE materials	5.000	80		400.000	
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)	0.250	80	8 months	160.000	
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D S)	0.125	80	8 months	80.000	
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)	1.0 ~~414.500~~	80		80.000	
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)	1.200	80		96.000	
	Total (R4-1)	**118.075**			**816.000**	
R4-2	**Computer Education**					
	Computer & Equipments for UPS	100.000	4		400.000	
	Computer Education Development	10.000	4		40.000	
	Computer Training UPS Teacher	1.500	4		6.000	
	Total (R4-2)	**111.500**			**446.000**	

	Total (R4)	**229.575**			**1262.000**	
	Total (R)	**1170.425**			**18884.200**	
Q	**(Q) Quality improvement**					
Q1	Para Teachers Training (30 Days)	0.070	18	1 Month	37.800	
	In service Teacher Training (PS + UPS+HI+IN+Other) 10 days	0.070	1680		1176.000	
	Training for SMC & VEC Members (2 days)	0.070	8144		1140.160	8 Member each Commt.
	Total Q-1	**0.210**			**2353.960**	
Q2	Teachers Grant (PS + UPS+ HI+ IN+Other)	0.500	1680		840.000	Per Teacher 500/- Rs
	Free test books to All childrens Class 1 to 8	0.810	44600		3612.600	This cost is averages
	Total Q-2I	**1.310**			**4452.600**	
	Total Q	**1.520**			**6806.560**	
C	**Capacity Building**					
C1-1	AWPB Review & Preparation	15.000	1		15.000	
C1-2	DIET					
	Hiring	5.000	1	8 months	40.000	
	POL	15.000	1	8 months	15.000	
	Consumable/Contengency	10.000	1		10.000	
	Total (C1)	**45.000**			**80.000**	
C2	**Block Resource Centre**					
	Civil Construction	600.000	2		1200.000	
	Salary Coordinator	12.000	3	8 months	288.000	
	Asst. Coordinator	8.500	6	8 months	408.000	
	TLM	5.000	3	8 months	15.000	
	Equipment/Furniture					
	Traveling Allowance	0.500	3	8 months	12.000	

	Contengency	12.500	3	8 months	37.500	
	Total (C2)	**638.5**			**1960.5**	
C3	**Cluster Resource centre**					
C3	School Complex (CRC)					
	Construction	200.000	4		800.000	
	Salary Coordinator	8.5 ~~815.000~~	51	8 months	3468.000	
	Equipments/Furniture	10.000	15		150.000	
	Contingency	2.500	51	8 months	127.500	
	Traveling Allowance	0.200	51	8 months	81.600	
	PLM	1.000	51		51.000	
	Total (C3)	**1028.7**			**4678.1**	
C4	**Distt Project office**					
	ABSA/SDI Training 5 days	0.070	6	6 months	2.100	
	Training for AE & JE 10 days	0.070	4		2.800	
	Staffing Coordinators-4 (Salary)	12.000	4	8 months	384.000	
	Consultants-1	10.000	1	8 months	80.000	
	Accountant	8.000	1	8 months	64.000	
	Assistant Account Officer	12.000	1	8 months	96.000	
	Peon-2	5.000	2	8 months	80.000	
	Furniture					
	Equip.					
	Clerk-1	7.000	1	8 months	56.000	
	Traveling Allowance	50.000	1	8 months	50.000	
	Consumable	25.000	1	8 months	25.000	

	Telephone/Fax	30.000	1	8 months	30.000	
	POL	50.000	1	8 months	50.000	
	Honorarium to JE/AE	6.000	3	8 months	18.000	
	Hiring of vehicle	12.000	1	8 months	96.000	
	Contingency	50.000	1		50.000	
	MIS					
	MIS Call Furnishing					
	Salary for Computer Operator	8.000	1	8 months	64.000	
	MIS Equip.					
	Printing and Distribution of data formats	20.000	1		20.000	
	Maintenance of Equipments					
	Computer Consumables	25.000	1		25.000	
	Total (C4)	**330.140**			**1192.900**	
	Total C	**2042.340**			**7911.500**	
	Grand Total (A+R+Q+C)	**3284.285**			**39002.260**	

Rs. In Thousand

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	AWPB Last Year	Re-appropriated Amount	Received Sanctioned Amount	Ex. Pressed of the last year tllee 31st March	Approx. Balance Amount	Approx. Saving Amount	Spill over for next year	Fresh Plan for 2002-03	Total (H + I)	Remarks
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Computer & Equipments for UPS								400.000	400.000	
	Computer Education Development								40.000	40.000	
	Computer Training UPS Teacher								6.000	6.000	
	Total (R4-2)								**446.000**	446.000	
	Total (R4)	**1507.900**				**1507.900**		**0.000**	**1262.000**	**1708.000**	
	Total (R)	**10368.450**				**10368.450**		**7405.300**	**18884.200**	**25843.500**	
Q	**(Q) Quality improvement**									0.000	
Q1	Para Teachers Training (30 days)								37.800	37.800	
	In service Teacher Training (PS + UPS+HI+IN+Other) 10 days	1066.100				1066.100			1176.000	1176.000	
	Training for SMC & VEC Members (2 days)	48.000				48.000			1140.160	1140.160	
	Total Q-1	**1114.100**				**1114.100**		**0.000**	**2353.960**	2353.960	
Q2	Teachers Grant (PS + UPS+ HI+ IN+Other)	761.500				761.500		761.500	840.000	1601.500	
	Free test books to All childrens Class 1 to 8	3450.000				3450.000		1303.050	3612.600	4915.650	
	Total Q-2	**4211.500**				**4211.500**		**2064.550**	**4452.600**	6517.150	
	Total Q1+Q2	**5325.600**				**5325.600**		**2064.550**	**6806.560**	8871.110	
C	**Capacity Building**									0.000	
C1-1	AWPB Review & Preparation	15.000				15.000		15.000	15.000	30.000	
C1-2	DIET									0.000	
	Hiring								40.000	40.000	
	POL								15.000	15.000	
	Consumable/Contengency								10.000	10.000	
	Total (C1)	**15.000**				**15.000**		**15.000**	80.000	95.000	

Rs. In Thousand

SL. NO.	Head/ Sub heads/ Activity	AWPB Last Year	Re-appropriated Amount	Received Sanctioned Amount	Ex. Pressed of the last year tilee 31st March	Approx. Balance Amount	Approx. Saving Amount	Spill over for next year	Fresh Plan for 2002-03	Total (H + I)	Remarks
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Computer Consumables	8.000				8.000			25.000	25.000	
	Total (C4)	**1272.160**				**1272.160**		**489.150**	**1192.900**	1682.050	
	Total C	**4001.660**				**4001.660**		**1734.150**	**7911.500**	9645.650	
	Grand Total (A+R+Q+C)	**20695.710**				**20695.710**		**12204.000**	**39002.260**	51206.260	

वर्ष २००१–०२ की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण जनपद – रूद्रप्रयाग

(Rs. in Thousands)

SL. NO.	क्रिया का विवरण	गत वर्ष की कुल स्वीकृत कार्य योजना	कुल स्वीकृती के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी	आवंटन के सापेक्ष बचत
	A	B	C	D	E
A1					
	Furniture/ Fixture and equipment PS				
	Furniture/ fixture and equipment UPS	1000.000	1000.000	1000.000	
	Sub Total (A1)	**1000.000**	**1000.000**	**1000.000**	**0.000**
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS				
	Alternative School (EGS + AIE) grants				
	TLE for Student- EGS				
	Equipment for EGS & AIE				
	Contengency - EGS & AIE				
	Insentive AIE				
	EGS insentive				
	Sub Total (A2)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
A3	Back to school campaign				
	Sub Total (A3)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	TOTAL (A)	**1000.000**	**1000.000**	**1000.000**	**0.000**
(R)	**RETENTION**				
R1	Additional Class Rooms	490.000	490.000	490.000	
	Toilets (PS)				
	Toilets (UPS)				

	Ree. of Old PS	1375.000	1375.000	1375.000	
	Ree. of Old UPS	1200.000	1200.000	1200.000	
	Drinking Water (PS, UPS)	360.000	360.000	360.000	
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	2575.000	2575.000	2575.000	
	Repairs (PS+ UPS)				
	Boundary walls (PS)				
	Boundry walls (UPS)				
	Sub Total Contraction	**6000.000**	**6000.000**	**6000.000**	**0.000**
	Additional teacher Primary (Para Teacher)				
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	1294.000	1294.000	1294.000	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs				
	Technical visits				
	Summer camps				
	MCDA (Training 2 days)				
	SUPW for Girls (UPS)				
	Salary				
	Additional Teacher in PS HT				
	Additional Teacher in PS AT				
	Additional Teacher in UPS HT				
	Add. Teacher in UPS AT				
	Opening of ECCE centre				
	Development & Distribution of ECCE materials				
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)				
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)				
	TLM (I.C.D.S)				

	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)				
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)				
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)				
	Induction 20 days				
	Recurring 10 days				
	Community mobilization				
	MTA Training 2 days				
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)				
	Community Trg. VEC 8 Member				
	Development of awareness material				
	Bal mela at CRC				
	Production of Audio tapes				
	Production of Video Tapes				
	Assistance to NGOs for Community mobilization				
	Award of Best VEC				
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.				
	Shiksha Mitra				
	EGS				
	ECCE				
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.				
	Provision for Disabled Children				
	Computer Edu. for UPS Composite School				
	Computer Edu. for UPS Composite School				
	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)				

	Book Bank and School Library PS				
	Book Maintenance				
	Sub Total	**1294.000**	**1294.000**	**1294.000**	**0.000**
	Total (R)	**7294.000**	**7294.000**	**7294.000**	**0.000**
Q	**(Q) Quality Improvement**				
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days				
	Induction Training for EGGS Acharya				
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE				
	Training for Gram Pradhan 2 day				
	Action Research				
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days				
	Identify Card for all student				
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days				
	Refresher Course of ECS/AIE worker (15 days)				
	Training for BRC Coordinator	6.300	6.300	6.300	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	33.600	33.600	33.600	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)				
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days				
	Training of resources person at (DIET) 20 days	16.800	16.800	16.800	
	Staff development training for DIETs 7 days	54.600	54.600	54.600	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)				
	ABSA/SDI training 5 days				
	Training for AE and JE 5 days				

वर्ष २००१–०२ की वार्षिक कार्य योजना से शेष जारी एवं बचत का विवरण जनपद – रूद्रप्रयाग

(Rs. in Thousands)

SL. NO.	क्रिया का विवरण	गत वर्ष की कुल स्वीकृत कार्य योजना	कुल स्वीकृती के सापेक्ष आवंटन	आवंटन के सापेक्ष शेष जारी	आवंटन के सापेक्ष बचत
	A	B	C	D	E
A1					
	Furniture/ Fixture and equipment PS				
	Furniture/ fixture and equipment UPS	1000.000	1000.000	1000.000	
	Sub Total (A1)	**1000.000**	**1000.000**	**1000.000**	**0.000**
A2	Upgradation of EGS (TLE) to PS				
	Alternative School (EGS + AIE) grants				
	TLE for Student- EGS				
	Equipment for EGS & AIE				
	Contengency - EGS & AIE				
	Insentive AIE				
	EGS insentive				
	Sub Total (A2)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
A3	Back to school campaign				
	Sub Total (A3)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	TOTAL (A)	**1000.000**	**1000.000**	**1000.000**	**0.000**
(R)	**RETENTION**				
R1	Additional Class Rooms	490.000	490.000	490.000	
	Toilets (PS)				
	Toilets (UPS)				

	Ree. of Old PS	1375.000	1375.000	1375.000	
	Ree. of Old UPS	1200.000	1200.000	1200.000	
	Drinking Water (PS UPS)	360.000	360.000	360.000	
	Repair and Maintenance of School (PS+UPS)	2575.000	2575.000	2575.000	
	Repairs (PS+ UPS)				
	Boundary walls (PS)				
	Boundry walls (UPS)				
	Sub Total Contraction	**6000.000**	**6000.000**	**6000.000**	**0.000**
	Additional teacher Primary (Para Teacher)				
	School Improvement grant (PS+UPS+HI+IN+Oth.)	1294.000	1294.000	1294.000	
	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs				
	Technical visits				
	Summer camps				
	MCDA (Training 2 days)				
	SUPW for Girls (UPS)				
	Salary				
	Additional Teacher in PS HT				
	Additional Teacher in PS AT				
	Additional Teacher in UPS HT				
	Add. Teacher in UPS AT				
	Opening of ECCE centre				
	Development & Distribution of ECCE materials				
	Honorarium working ECCS Instructor (I.C.D.S.)				
	Honorarium working ECCS Sevika (I.C.D.S)				
	TLM (I.C.D.S)				

	Additional Honorarium (Instructor worker) (I.C.D.S.)				
	Contingency/Recurrent grant (I.C.D.S)				
	Training of ECCE instructor (at BRC) (I.C.D.S)				
	induction 20 days				
	Recurring 10 days				
	Community mobilization				
	MTA Training 2 days				
	Kala Jattha (VEC, Block level and Distt level)				
	Community Trg. VEC 8 Member				
	Development of awareness material				
	Bal mela at CRC				
	Production of Audio tapes				
	Production of Video Tapes				
	Assistance to NGOs for Community mobilization				
	Award of Best VEC				
	Award of Best Shiksha Mitra/EGS A./ECCE. Ins.				
	Shiksha Mitra				
	EGS				
	ECCE				
	Remedial Teaching of SC/ST Edu.				
	Provision for Disabled Children				
	Computer Edu. for UPS Composite School				
	Computer Edu. for UPS Composite School				
	School Heath check Up (PS + PS+ HI+ IN+ Oth.)				

	Book Bank and School Library PS				
	Book Maintenance				
	Sub Total	**1294.000**	**1294.000**	**1294.000**	**0.000**
	Total (R)	**7294.000**	**7294.000**	**7294.000**	**0.000**
Q	**(Q) Quality improvement**				
Q1	Specific Subjecting Training for S.C/ST Girls 10 Days				
	Induction Training for EGGS Acharya				
	Induction Training for Shiksha Mitra/AIE				
	Training for Gram Pradhan 2 day				
	Action Research				
	In service Teacher Training (PS + UPS) 10 days				
	Identify Card for all student				
	Refresher Course for Siksha Mitra 10 days				
	Refresher Course of ECS/AIE worker (15 days)				
	Training for BRC Coordinator	6.300	6.300	6.300	
	NPRC/CRC Coordinator training 10 days	33.600	33.600	33.600	
	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)				
	Refresher Training for CRC coordinator 5 days				
	Training of resources person at (DIET) 20 days	16.800	16.800	16.800	
	Staff development training for DIETs 7 days	54.600	54.600	54.600	
	BRC/CRC coordinator management training by SIEMAT (5 days)				
	ABSA/SDI training 5 days				
	Training for AE and JE 5 days				

	Teacher training Computer (UPS/DIET Faculty) 20 days				
	Orientation of VECs/ward comm. 3 days				
	Food and Fruit conservation training 3 days				
	AWPB review and training of core planning team by SIEMAT 7 days	15.000	15.000	15.000	
	Training on EMIF by SIEMAT 5 Days				
	Teachers ABSA/CRC staff training for Gender Sensitization 3 days				
	Sub Total (Q1)	**126.300**	**126.300**	**126.300**	**0.000**
Q2	Teacher learning Material				
	Teacher Grant (PS+UPS)	761.500	761.500	761.500	
	Free test book to SC/ST children & girls (PS)	1303.050	1303.050	1303.050	
	Supplementary Reading Material (PS)				
	Supplementary reading Material (UPS)				
	Printing & Distribution O syllabus (PS+UPS)				
	Printing & Distribution O' Training Modules (PS+UPS)				
	Printing &distribution of training Guides(PS+UPS)				
	Development printing and distribution of AS training modules				
	Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)				
	Children learning Evaluation (UPS) (3times in 10 year)				
	School awards				
	Sub Total (Q2)	**2064.550**	**2064.550**	**2064.550**	**0.000**
	Total (Q)	**2190.850**	**2190.850**	**2190.850**	**0.000**
C	**Capacity Building**				
C1	DIET				

	Civil work				
	Furniture				
	Equipments (including audio visual)				
	Computer Work Station				
	Hiring				
	POL				
	Research/Action research				
	Faculty development				
	Exposure visit				
	Library				
	Salary of Computer operator				
	Photo state machine/Cyclo style machine				
	Maintenance of Equipments				
	Consumable/Computer stationery				
	Sub Total (C1)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
C2	**Block Resource Centre**				
	Civil Construction	600.000	600.000	600.000	
	Salary Coordinator				
	Asst. Coordinator				
	Chowkidar				
	Equipment/Furniture	300.000	300.000	300.000	
	Traveling Allowance				
	Computer				
	Maintenance of Equipments				
	Maintenance of building				

	Books				
	Consumable				
	Photo state machine and equipments				
	Contingency				
	Monthly Review meeting of CRC/NPRC Coordinators.				
	Monitoring & Supervision	36.000	36.000		36.000
	Sub Total (C2)	**936.000**	**936.000**	**900.000**	**36.000**
C3	***Cluster Resource centre***				
C3	School Complex (CRC)				
	Construction				
	Salary Coordinator				
	Equipments/Furniture	330.000	330.000	330.000	
	Maintenance of Equipments				
	Book for Library/Book bank				
	Contingency				
	Monthly Review meeting at CRC/NPRC				
	Traveling Allowance				
	Monitoring & Supervision	116.000	116.000		116.000
	Sub Total (C3)	**446.000**	**446.000**	**330.000**	**116.000**
C4	**Distt Project office**				
	Staffing Coordinators-4				
	Consultants-2				
	Accountant				
	Assistant Account Officer				
	Computer Operator-1				

	Dailyways Allowance (20 days Per months) for Driver				
	Peon-2				
	Furniture	100.000	100.000	100.000	
	Publication of yearly magazine				
	Equip.	100.000	100.000	100.000	
	Chowkidar				
	Books				
	Salary of Librarian-1				
	Clerk-1				
	SSA Conference				
	Traveling Allowance				
	Consumable				
	Photo state machine and equipments				
	Telephone/Fax	10.000	10.000	10.000	
	POL				
	Honorarium to JE/AE				
	Maintenance of Equipments				
	Hiring of vehicle				
	Supervision and Monitoring	40.000	40.000		40.000
	Contingency				
	Research and Evolution				
	Sub Total (C4)	**250.000**	**250.000**	**210.000**	**40.000**
C4-1	MIS				
	MIS Call Furnisining	75.000	75.000	75.000	
	Salary for Computer Operator				

	MIS Equip.	204.15	204.15	204.15	
	Printing and Distribution of data formats				
	Maintenance of Equipments				
	Computer Consumables				
	Sub Total (C4-1)	**279.150**	**279.150**	**279.150**	**0.000**
C4-2					
	G.K. Competition				
	Prize Money in Distt Game				
	Developments of Games				
	Art and Cultural Exhibition at BRC level				
	Sub Total (C4-2)	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	Total (C)	**1911.150**	**1911.150**	**1719.150**	**192.000**
	Grand Total (A+R+Q+C)	**12396.000**	**12396.000**	**12204.000**	**192.000**

NIEPA DC
D11910

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11910
Date 27-06-2003